सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — बुधवार, तिथि 25 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 06 फाल्गुन, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री रूहेल रंजन जी ।

अल्पसूंचित प्रश्न सं0–93, श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र सं0–174, इस्लामपुर)
(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि उदेरास्थान बराज फल्गू नदी पर निर्मित है। इस बराज के अपस्ट्रीम से महमुदा मुख्य नहर निकलती है, जो जलवार नदी के मुहाने तक जाती है।

उदेरास्थान बराज के अपस्ट्रीम में फल्गू नदी से निःसृत मुहाने नदी का मुँह विगत कई वर्षों से बंद है। कालांतर में मुहाने नदी के उद्गम बिन्दु के निम्न प्रवाह में काफी दूरी तक घनी आवादी बस गयी है। मुहाने नदी के मुंह खोलने या सफाई कराने से उदेरास्थान बराज के अपस्ट्रीम में पानी जमा होने में कठिनाई होगी एवं बराज से निःसृत नहरों से सिंचाई सुविधा प्रभावित होगी।

उदेरास्थान बराज के अपस्ट्रीम से निःसृत महमुदा मुख्य नहर, जो मृतप्राय मुहाने नदी के सामानान्तर कुछ दूरी जाती है। महमुदा मुख्य नहर के माध्यम से जलवार नदी में 325 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने हेतु फल्गू जलवार लिंक योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन से जलवार नदी में निर्मित निश्चलगंज वीयर को पानी मिलना सुनिश्चित हो सकेगा ।

श्री रूहेल रंजन : सर, जवाब अपलोड नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो अपलोडेड है । लेकिन माननीय सदस्य को हम बताना चाहते हैं, इन्होंने इसमें दो बात कही, एक तो मुहाने का मुंह खोलने की और दूसरी जलवार नदी को फल्गु से कनेक्ट करने का तो जहां तक मुहाने का मुंह खोलने की बात है वह तकनीकी रूप से वांछनीय नहीं है इसलिए कि उदेरास्थान बैराज जो बना है उसके अपस्ट्रीम में इसका मुंह है, मतलब उसके खोल देने से उसमें पाउंडिंग मतलब पानी जमा होगा ही नहीं और उसी से सब जगह पानी जाता है, जो आप महमुदा

कैनाल वगैरह की बात किये हैं सब में तो पानी उसी से जाता है । जब पानी का पाउंडिंग ही नहीं होगा बैराज के अपस्ट्रीम में तो फिर वह सिंचाई योजना एक तरह से नॉन–फिजिबल हो जायेगा । जहां तक आपका जलवार नदी को फल्गु से जोड़ने की बात है तो इस योजना पर हमलोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी डी0पी0आर0 तैयार हो गया है और हमलोग इसका जलवार नदी को फल्गु से सीधा कनेक्टिविटी दे रहे हैं ।

श्री रूहेल रंजन : सर, एक छोटा सा पूरक प्रश्न है कि मुहाने नदी को भी इससे अगर कनेक्ट कर देंगे फल्गु से, जोकि डी0पी0आर0 में है तो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा इशू सॉल्व हो जायेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने इसको दिखवाया था और उसके बहुत बड़े विभाग में दशकों से आबादी बस गयी है और सब गरीब लोग हैं और दूसरी बात जो तकनीकी बात हमने कही कि मुहाने का अगर मुंह खुलवा दीजिएगा तो उदेरास्थान बैराज की उपयोगिता ही खत्म हो जायेगी, क्योंकि वह उसके अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम से ही किसी जलाशय का पानी निकल जायेगा तो जलाशय में पानी रहेगा कहां से, इसलिए दिक्कत है । वैसे जो हमारे स्थानीय पदाधिकारी हैं, हम उनको कहेंगे कि माननीय सदस्य के साथ उस स्थल पर जाकर फिर से एक बार देख लें ।

<u>अल्पसूंचित प्रश्न सं0–94, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र सं0–99, बैकुण्ठपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि दीघा से दीदारगंज तक 4–लेन जे०पी० गंगा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं वाहनों का आवागमन चालू है।

दीदारगंज से फतुहा, बख्तियारपुर होते हुए अथमलगोला तक (राज्य उच्च पथ सं०–106), कुल लम्बाई–41.270 कि०मी० का 4–लेन चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है।

गंगा नदी के दक्षिणी तट की ओर से मुंगेर (सफियाबाद)–बरियारपुर–घोरघट–सुल्तानगंज गंगा पथ परियोजना, कुल लम्बाई–42.00 कि०मी०, सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर गंगा पथ परियोजना, कुल लम्बाई–40.80 कि०मी० एवं जे०पी० गंगा पथ परियोजना का दीघा–शेरपुर–बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ), कुल लम्बाई–35.65 कि०मी० का 4–लेन पथ निर्माण हेतु HAM पद्धति पर कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है।

जे०पी० गंगा पथ को कोईलवर से बक्सर तक विस्तारित करने तथा जे०पी० गंगा पथ के तर्ज पर नारायणी नदी के किनारे

सोनपुर हरिहरनाथ क्षेत्र से गोपालगंज होते हुए बाल्मीकि नगर तक नारायणी हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सारण जिलान्तर्गत दरिहारा से डुमरियाघाट (गोपालगंज) तक ग्रीन फिल्ड 4–लेन निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त है।

संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप स्वीकृत्योपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो आया हुआ है लेकिन माननीय मंत्री जी विशाल हृदय के व्यक्ति हैं और थावे की पुडुकिया खाना भी चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा में घूम रहे थे और जब ये वहां की विकास योजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहे थे तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह होगा भी और आज इतनी खुशी है बिहार के लोगों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाओं की घोषणा की, सब पर कार्य प्रारंभ है और इतने ही कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर उसका उद्घाटन, शिलान्यास करना भी शुरू कर दिया है महोदय । महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि आप पटना से भागलपुर तक ले जा रहे हैं, जे0पी0 गंगा कोरिडोर और यह इतना सुंदर बना है कि अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब पटना आ रहा है तो एक बार जे0पी0 गंगा कोरिडोर को देखने जाता है तो इसलिए इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का हम अभिनंदन करना चाहते हैं महोदय । लेकिन महोदय, कोईलवर तक तो लोग बड़ा खुश हैं, लेकिन कोईलवर से प्रभु श्रीराम की ज्ञान स्थली बक्सर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हम उसी पर आ रहे हैं और वहां बावन भगवान ने जन्म लिया है महोदय, विश्वामित्र जी की तपोस्थली है महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : और जगह को छोड़ देना उचित नहीं होगा । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कोईलवर से बक्सर तक इसको विस्तारित कर दीजिए और उसी प्रकार का अभी घोषणा हुआ है सदन में महोदय हरिहरनाथ नाथ क्षेत्र को पूरा शहर के जैसा बसाया जा रहा है और वहां से हमलोगों का बाल्मीकिनगर तक गंडक का जो कोरिडोर है महोदय उसको भी उसी प्रकार से, ठीक है आगे अगले वित्तीय वर्ष में हो, लेकिन महोदय होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही अच्छा मिथिलेश तिवारी जी किये हैं, बिहार के विकास की चिंता और विशेषकर के बक्सर की भी चिंता इनको है । हमलोगों को ख्याल है कि बचपन में बहुत

पहले मरीन ड्राइव देखने के लिए बम्बई जाते थे और बड़ा गर्व से बोलते थे कि हमलोग मरीन ड्राइव पर घूमकर आ गये हैं लेकिन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये जो विजन है, सोच है और यही कारण है कि आज हम गंगा पथ पर जाकर उसको मरीन ड्राइव बोलने लगे हैं धीरे–धीरे और आपने देखा कि इनकी सोच, जो आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे है, आप बक्सर तक सोच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो यह गंगा पथ का प्रोजेक्ट लाये हैं इसके पीछे इनका वाटरवेज, जो हमारा गंगा बनारस से फरक्का तक और मिर्जा चौकी से पहले जो बॉर्डर है हमारा साहेबगंज का तो ये गंगा पथ आने वाले समय में हमारा लॉजिस्टीक जो हमारा वाटरवेज का प्रावधान होगा, जो हमारी शिप चलेगी, हमारा जहाज चलेगा गंगा में और लॉजिस्टीक ले जाने में सस्ता पड़ेगा, सामान लाने में बहुत ही सस्ता पड़ेगा ढुलाई में तो आने वाले समय में यह सोच हमारी है । अभी आपने देखा कि मुंगेर से लेकर सुलतानंगज होते हुए सबौर तक इस गंगा पथ के निर्माण के लिए और इधर कोईलवर तक और इधर बिदुपुर तक इसको बढ़ाया जा रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी वित्तीय व्यवस्था को भी देखते हुए, फिजिब्लिटी को भी देखते हुए और ये गंगा पथ जो है बक्सर से लेकर और फरक्का तक समुद्र के नजदीक तक जाने का यह सपना हमलोग की सरकार का है और अभी दो जगह तो बन ही गया, अब तो बीच में मुंगेर से मोकामा और मोकामा से फिर बिदुपुर और उसी तरह इधर जो है कोईलवर से आगे बक्सर और बनारस गंगा को मिला दिया जायेगा तो यह आने वाले समय में मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि हम बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने के लिए और लगातार प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है और निश्चित रूप से आपका सपना साकार होगा, बस इस सपने को साकार करने के लिए सभी लोग सकारात्मक भाव से बिहार के विकास में लग जाइये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और । अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई गुरेज नहीं है हमको कहने में अध्यक्ष महोदय कि भारत सरकार और बिहार सरकार रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज और रोडवेज सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम, उत्कृष्ट काम कर रही है, लेकिन महोदय माननीय मंत्री जी सवाल है रोड का लेकर चले गये वाटरवेज में और माननीय मंत्री जी तो बहुत कुशल कारीगर भी हैं तो मेरा आग्रह है कि सपना दिखाने से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि फंड की कमी हो तो बी0ओ0टी0 बेसिस पर बना दीजिए, बी0ओ0टी0 बेसिस पर लाइये इसको लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में महोदय बक्सर के लोगों की यह आवाज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में प्रभु श्रीराम के ज्ञानस्थली के लिए बहुत

प्रेम है तो इस प्रेम का प्रकटीकरण हो और इसकी घोषणा हो महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा जैसे बनाना हो, बना दीजिए, प्रभु श्रीराम का मंदिर बन गया, अब कम से कम कोरिडोर तो बन जाये महोदय ।

अध्यक्ष : मो0 तौसीफ आलम ।

श्री बीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आपका इसी पर है ।

श्री बीरेंद्र सिंह : जी महोदय ।

अध्यक्ष : यह आपके क्षेत्र का है, ठीक है बताइये ।

श्री बीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, गयाजी के लिए भी मेरा सवाल था आज ही मरीन ड्राइव के लिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह आ जायेगा, आपका नंबर आ रहा है ।

श्री बीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह चढ़ेगा नहीं इसलिए मेरा निवेदन है कि गयाजी के दोनों साइड में....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसका जवाब आपको मिल जायेगा ।

श्री बीरेंद्र सिंह : गयाजी के दोनों साइड में मरीन ड्राइव बनाया जाये, फल्गु के तरफ ।

अध्यक्ष : जरूर–जरूर । मो0 तौसीफ आलम ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अनुरोध हम सदन के सदस्यों से करना चाहते हैं कि अब गंगा पथ को मरीन ड्राइव जैसा नहीं कहें या गयाजी में, गयाजी तो आसन से सीधे संबद्ध है इसलिए वहां कुछ करना हो तो उसको मरीन ड्राइव जैसा नहीं कहिये, क्योंकि हाल की सूचना है कि अब महाराष्ट्र और मुम्बई के लोग मरीन ड्राइव को कह रहे हैं गंगा पथ जैसा बनाओ, यह उससे भी सुंदर है महोदय, इसलिए महोदय अब बार–बार हमलोग मरीन ड्राइव की सुंदरता, आकर्षकता के बारे में फंसे न रहें, वह आकर्षकता और सुंदरता का मानक तो अब गंगा पथ बन गया है इसके जैसा कहें, मरीन ड्राइव से क्या मतलब है ।

अध्यक्ष : मो0 तौसीफ आलम ।

मो0 तौसीफ आलम : जी पूछता हूं महोदय ।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, अब बात आगे बढ़ गयी है ।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 10 सेकंड ।

अध्यक्ष : तौसीफ जी, आप बैठ जाइये, क्या आपका इससे जुड़ा हुआ विषय है ।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जी इसी से । बक्सर जिले से ही जुड़ा हुआ विषय है । अध्यक्ष महोदय, डुमरावं विधान सभा अंतर्गत सभी सड़कों की स्थिति जर्जर है, माननीय मंत्री महोदय जी इसकी भी समीक्षा कर लें हम यही प्रश्न करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग विषय है, इसके बारे में आप अलग से लिखकर दे दीजिए । माननीय सदस्य, मो0 तौसीफ आलम जी ।

<u>अल्पसूंचित प्रश्न सं0–95, मो0 तौसीफ आलम (क्षेत्र सं0–52, बहादुरगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड अन्तर्गत पश्चिमी कनकई नदी के तट पर अवस्थित प्रश्नगत ग्राम पहटगाँव के समीप बाढ़ अवधि 2025 के दौरान कटाव होने पर तत्काल बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करा कर कटाव को नियंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त इस स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ 2026 पूर्व कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है, जिसे 15 मई 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्नगत ग्राम महेशबथना, बोचागाड़ी, सतमेढ़ी एवं ग्वालटोली के समीप पूर्व में कराया गया कटाव निरोधक कार्य वर्तमान में भी प्रभावी है एवं स्थल सुरक्षित है ।

नदी तट पर बसे गांव के सुरक्षार्थ प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है तथा बाढ़ अवधि के दौरान कटाव होने पर विभिन्न स्थलों पर तत्काल बाढ़ संघर्षात्मक कार्य भी कराया जाता है।

किशनगंज जिलान्तर्गत वर्तमान में कुल 9 अदद् स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य प्रगति में है, जिसे 15 मई 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 2 अदद् स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को समर्पित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यान्वयन कराया जा सकेगा।

अध्यक्ष : आपको उत्तर मिला है ?

मो0 तौसीफ आलम : उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

मो0 तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : आपको उत्तर नहीं मिला है ?

मो0 तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उत्तर से संतुष्ट हैं, आप पूरक प्रश्न पूछने के लिए क्यों कह रहे हैं ।

मो0 तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, हम संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

मो0 तौसीफ आलम : महोदय, मेरे विधान सभा में तीन प्रखंड आता है, तीन प्रखंड में जो डॉक नदी है उसमें 60 पंचायत काफी प्रभावित है । जो गांव कटाव होता है

जैसे बहादुरगंज प्रखंड में महेश्वथाना पंचायत है, खाड़ी बस्ती पूरा एकदम आधा गांव कटकर गिर गया है । पहटगांव में तो कुछ हिस्सा में काम हो रहा है अभी क्वेश्चन के बाद, महेश्वथाना गांव में भी इसी तरह का हाल है । पंचायत निसन्द्रा में खाड़ी टोला में भी पूरा कटिंग हो रहा है, मुसलडंगा में इसी तरह से हो रहा है । मुसलडंगा कब्रिस्तान कटकर चला गया, लौचा पंचायत में, बोचागाड़ी पंचायत, बोचागाड़ी गांव,

क्रमशः

टर्न–02 / सुरज / 25.02.2026

(क्रमशः)

डॉ0 तौसीफ आलम : धीम टोला, यूनूस टोला लौचा काफी कटाव हो रहा है । उसी तरह से बहादुरगंज प्रखंड में मोहम्मद नगर पंचायत का मोमिन टोला, जानकी भिट्ठा इसी तरह से तीन प्रखंड है, यह बहादुरगंज प्रखंड का हुआ । प्रखंड दिघलबैंक का पथड़घट्टी पंचायत है जो एक गांव कचना है । अभी सिर्फ कागज में लिखा हुआ है, वह पूरा गांव कटकर नदी में चला गया । गुआल टोली में भी इसी तरह का हाल है । कमरखेद गुआबाड़ी में भी इसी तरह का हाल है । बालुबाड़ी उसके बाद घोघड़ा गांव....

अध्यक्ष : आप चाहते हैं न कि कटाव को सुरक्षा प्रदान हो ?

डॉ0 तौसीफ आलम : जी महोदय । एक और प्रखंड है हुजूर मैं प्रखंड टेरागाछ की बात करूंगा मटियारी पंचायत में, मटियारी गांव, मालीटोला मटियारी पंचायत डाक पोखड़ का बलबा डांगी, पंचायत हाटगांव के आशा धापड़टोला, पंचायत–हवाकोल के खजूड़वाड़ी...

अध्यक्ष : इन सभी जगहों पर आप कटाव को रोकना चाहते हैं न ?

डॉ0 तौसीफ आलम : जी महोदय । चिलहनिया, सुहिया हाट मस्जिद का पूरा कटान हो रहा है । पंचायत–ढ़वेली के लोधाबाड़ी गांव...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं हमने तो कटाव या इसकी संभावना से इन्कार किया नहीं है और कटाव हो रहा है इसलिये तो हम कटाव निरोधक काम करा रहे हैं । बाढ़ अवधि में अगर कटाव ज्यादा इस तरह की भीषण स्थिति बनती है तो हमलोग बाढ़ संघर्षात्मक कार्य भी कराते हैं और जहां तक इन्होंने कहा है, जो इनके प्रश्न में है महेशबथना, बोचागाड़ी, सतमेढ़ी एवं ग्वालटोली इन सब पर तो पहले भी कटाव निरोधक काम कराया गया है और माननीय सदस्य अभी कचना गांव की चर्चा कर रहे थे उसकी चर्चा प्रश्न में नहीं थी । कचना गांव की क्या स्थिति है वह भी हम दिखवा लेते हैं और अगर कहीं पर हमने यह भी कहा है प्रश्न में कि कहीं पर कोई विशेष

आक्राम्यता बनेगी तो हमलोग जरूर वहां पर काम कराके जगह को सुरक्षित रखेंगे । महोदय, वैसे यह उत्तरी बिहार का कनकई नदी है, कनकई नदी स्वभावगत कटाव करती है । इसलिये पूरे नदी के कटाव की जो प्रवृति है, उसको तो रोका नहीं जा सकता है । हमलोग सिर्फ कटाव में जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर रिहायशी इलाके हैं, कोई सरकारी भवन है उन जगहों को प्राथमिकता से बचाते हैं, कटाव निरोधात्मक या बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर ।

अध्यक्ष : श्री रत्नेश कुमार ।

डॉ0 तौसीफ आलम : हुजूर...

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट जवाब है ।

डॉ0 तौसीफ आलम : हुजूर, क्योंकि साल में दो महीना हमारे क्षेत्र में ऐसा रहता है कि सिर्फ बाढ़ को लेकर ही चर्चा रहता है और कुछ नहीं और इस विधान सभा में यह समझिये की एकमात्र नदी कटाव है जिससे हमलोग परेशान रहते हैं । हम महोदय से चाहेंगे, माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी आदमी हैं । आखिर किस कारण यह हर साल बनता भी है, ऐसा नहीं है । बांस और बालू के बोरा से बांधा जाता है । हर साल किस समय बांधा जाता है, जिस समय बाढ़ आ जाता है, उस समय कंट्रोल से बाहर हो जाता है । हम चाहते हैं कि बाढ़ से पहले, बरसात से पहले जिन–जिन स्थानों का हमने जिक्र किया है उसका काम करवा दीजिये नहीं तो हमारा विधानसभा समझिये कि बाढ़ से प्रभावित तो है ही और हमलोग दो महीना–तीन महीना सो नहीं पाते हैं । हमलोगों के ऊपर पब्लिक टूट पड़ता है । हम चाहेंगे महोदय कि कोई खास खर्चा होगा नहीं हम तो यह कहेंगे कि आप आदेश अगर देंगे तो हम अपने विधायक फंड से भी करना चाहेंगे...

अध्यक्ष : आप सरकार में विश्वास कीजिये, आराम से सोइये सारा काम करवा दिया जायेगा ।

डॉ0 तौसीफ आलम : और एक सुझाव देना चाहेंगे...

अध्यक्ष : श्री रत्नेश कुमार ।

डॉ0 तौसीफ आलम : महोदय, एक सुझाव देना चाहेंगे...

अध्यक्ष : सुझाव दे दीजिये ।

डॉ0 तौसीफ आलम : जहां कहीं भी कटिंग हो रहा है, अगर बोल्डर पीचिंग वहां बनाया जाए तो हमेशा का झमेला खत्म हो जायेगा । हर साल वहां करोड़ों का काम होता है और यह बरसात में बह जाता है । हम चाहेंगे कि 10 स्थान पर ही काम हो, बोल्डर पीचिंग से काम हो ।

अध्यक्ष : सरकार ने सुझाव ग्रहण कर लिया है, कार्रवाई होगी ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, हमारा सीमांचल का क्षेत्र है और हम सब जानते हैं कि महानंदा और अन्य नदी से काफी कटाव वहां पर होता है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : और हमारे मुख्यमंत्री जी कोसी–मेची योजना में भी राशि दी गयी है और कार्य भी प्रारंभ है लेकिन जहां कटाव होता है मंत्री जी भी चिंता करते हैं लेकिन वहां सैंड बैग से कटावरोधी काम होता है । अभी माननीय विधायक जी ने ठीक सुझाव दिया । हमारे पूर्णियां विधान सभा में पहले भी मंत्री जी को हमलोगों ने कहा, मंत्री जी ने करवाया लेकिन उन क्षेत्रों में अगर बोल्डर पीचिंग का काम हो जाए तो निश्चित रूपेण वहां कटाव का...

अध्यक्ष : सुझाव आ गयी है, सरकार निश्चित देखेगी । श्री रत्नेश कुमार ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–96, श्री रत्नेश कुमार (क्षेत्र सं0–184, पटना साहिब)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल, गंगापुल परियोजना अन्तर्गत महात्मा गाँधी सेतु निर्माण हेतु गृह अर्जन के कारण विस्थापितों के पुनर्वास हेतु गायघाट गुलजारबाग में पाँच कॉलोनियाँ विकसित है, पाँचों कॉलोनियों में कुल– 475 विस्थापितों को प्लॉट आवंटित किया गया, जिनमें से कुल–347 प्लॉटों का निबंधन हो चुका है। शेष 128 विस्थापितों का निबंधन नहीं हुआ है। आवंटित प्लॉटों के निबंधन हेतु नियमावली में आवंटिती द्वारा ससमय प्रतिफल धनराशि जमा करने अथवा ससमय एकरारनामा कराने में असफल रहने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा, का प्रावधान है।

प्रश्नगत गैर निबंधित 128 प्लॉट से संबंधित विस्थापित ससमय प्रतिफल की पूर्ण राशि जमा करने अथवा ससमय एकरारनामा कराने में असफल रहने के कारण आवंटन स्वतः रद्द है।

तद्नुसार निबंधन पर विचार किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

अध्यक्ष : आपको उत्तर मिला है न रत्नेश जी ?

श्री रत्नेश कुमार : जी उत्तर प्राप्त है महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, उत्तर में यह बताया गया है कि 128 लोग जिनका गंगा ब्रिज बनने में 1971 में उनकी जो भूमि, मकान लिया गया था उसके बदले में उनको प्लॉट एलॉट हुआ था और उस प्लॉट में 475 विस्थापितों को बसाया गया था । 128 लोगों का निंबधन नहीं हो पाया था और निबंधन के संबंध में ही मेरा प्रश्न था । विभाग से उत्तर आया कि वैसे 128 लोग, चूंकि पैसा ससमय जमा नहीं कराये हैं इसलिये उनका जो आवंटन है गंगाब्रिज कॉलोनी में वह रद्द माना जायेगा । महोदय, इसमें विभाग ने माननीय मंत्री जी को पूर्णतः नहीं बताया है, इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा 128 लोगों ने 1975 में ही चालान जमा कर चुके

हैं, जिसका एक चालान अभी मेरे पास मौजूद है । चालान सं0–44 दिनांक–28.10.1975 में...

अध्यक्ष : रत्नेश जी आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री रत्नेश कुमार : पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय । पूरक ही है कि चालान सं0–44 दिनांक– 28 अक्टूबर, 1975 प्लॉट सं–ए/43 का चालान 1975 में जमा है उसके बावजूद उत्तर दिया गया है कि उन्होंने चालान नहीं जमा किया है इसके लिये निबंधन नहीं हुआ और उनका प्लॉट रद्द कर दिया गया ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, यह 55 साल पुराना मामला है, 1971–72 के आसपास का है । 475 विस्थापित थे और उसमें 347 प्लॉट का निबंधन हो गया, 128 विस्थापित समय पर न तो एकरारनामा किये और न ही प्रतिफल राशि जमा किये । माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि एक आदमी का स्लीप है । अगर उस तरह का मामला है तो माननीय सदस्य मिल करके उस कागजात को देंगे, हम समीक्षा करवा लेंगे । निश्चित रूप से सरकार समीक्षा करेगी ।

अध्यक्ष : आप कागज दे दीजिये मंत्री जी को, रत्नेश जी ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, मेरा बस इतना ही आग्रह था, माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं । इसमें एक बार जांच करा लिया जाए और जो लोग नहीं भी कराये हैं, उनका घर तो लिया ही गया है एक्वायर करके...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने समीक्षा कराने की बात कही है । आप पेपर दे दीजिये समीक्षा के बाद निश्चित निर्णय होगा । श्री बैद्यनाथ प्रसाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–97, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र सं0–23, रीगा)</u>

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास एप 2024 के माध्यम से दिनांक–15.05.2025 तक प्रतीक्षा सूची से छूटे हुये एवं नवनिर्मित सभी योग्य परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया । इस सर्वेक्षण में प्रखंड स्तर से पंचायतवार नामित सर्वेक्षणकर्ता के माध्यम से नाम जुड़वाने तथा लाभुकों के द्वारा स्वयं सेल्फ सर्वे के माध्यम से भी नाम जोड़ने का विकल्प मौजूद था । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोलों के सभी पात्र परिवारों के सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षणकर्ता को विकास मित्रों के अपेक्षित सहयोग के लिये विभागीय पत्रांक–3613375 दिनांक–23.01.2025 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को निर्देश देते हुये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से भी अनुरोध किया गया था ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से सर्वेक्षण की समय–सीमा समाप्त कर दी गयी है । वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों के चेकर स्तर से सत्यापन का कार्य किया जा रहा है ।

टर्न–3 / धिरेन्द्र / 25.02.2026

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार के इस उत्तर से मैं साक्ष्य के साथ असहमत हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र रीगा का मैं दो पंचायत का सैम्पल में देता हूँ, स्थितियां सभी पंचायतों की है जहाँ बड़े पैमाने पर पात्र लाभुक छूटे हुए हैं चूंकि सरकार की मंशा सभी पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करना है । इसीलिए मैंने कहा है कि विकास मित्र स्थानीय स्तर पर जो खेल कर रहे हैं, वह पवित्र नहीं है और मैं नहीं समझता हूँ कि रीगा में गड़बड़ी है तो बिहार के और क्षेत्रों में नहीं होगा । इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहती है कि सभी लाभुक आच्छादित हों तो इसके लिए दोनों सरकार बात कर सभी छूटे हुए लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने के लिए क्या परिणाममूलक कार्रवाई करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार की चिंता है कि गरीबों को घर मिले और 01 करोड़ 04 लाख 90 हजार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने सर्वेक्षण कराया है और 01 करोड़ 04 लाख 90 हजार के नाम आये हैं । माननीय सदस्य एक प्रखंड की बात कर रहे हैं, रीगा प्रखंड की बात कर रहे हैं और रीगा प्रखंड के दो पंचायतों के बारे में बता रहे हैं कि जो विकास मित्र हैं उन्होंने सब का नाम जोड़ा नहीं है लेकिन भारत सरकार से तो एक बार हमने समय मांगा कि इसको बढ़ाया जाय तो भारत सरकार ने, 31.03.2025 तक पहले समय निर्धारित था और भारत सरकार से अनुरोध करने पर 30.04.2025 तक का समय हमको दिया गया और इसको विस्तारित करते हुए 15.05.2025 तक इसको विस्तारित किया गया । विस्तार तो भारत सरकार ने की और इसमें दो–तीन प्रकार से सर्वेक्षण का काम हुआ है, एक तो स्वयं भी आवेदन अधिकारियों को दिया है तो उसमें जो अधिकारियों को आवेदन दिया गया है उसमें 48 लाख 46 हजार से ज्यादा लोगों ने अधिकारियों को आवेदन दिया है और स्वयं से भी लोग आवास ऐप पर आवेदन लोड कर सकते थे, उसमें 20 लाख 44 हजार लोगों ने अलग से अपना नाम दर्ज कराया है और इसके अलावा और भी आवेदन नीचे के स्तर पर दिये गये हैं, सभी को समेकित किया गया है । महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है उसकी हम समीक्षा कर लेते हैं, अगर वहां पर कोई दिक्कत हुई है तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने सैम्पल में दिया है, मेरे रीगा विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में यह समस्या आयी है । इसलिए मैं सवाल का जवाब सरकार से जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ॰ सुनील कुमार जी ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है कि देश के हर गरीब को हम छत देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना से देंगे । सरकार काफी प्रयास कर रही है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लेकिन बिहारशरीफ विधान सभा के रहुई प्रखंड के रहुई पंचायत में घर–घर जा कर, प्रधानमंत्री आवास योजना जिनकी स्वीकृत हो गयी है जिनको पैसे आ गए हैं उनसे 25 परसेंट वसूला जा रहा है, जिसका वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दे दीजिये ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उसकी जाँच प्रश्नकर्ता सदस्य की उपस्थिति में कराना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी ।

डॉ॰ सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि बिहारशरीफ शहर का 60 परसेंट भूमि असर्वेक्षित है और इसका नियम है कि असर्वेक्षित भूमि जिस पर 200 साल से गरीब रह रहे हों लेकिन उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना पारित नहीं होगी । इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, निकल जायेगा ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि क्या वैसे गरीब लोग जो असर्वेक्षित भूमि पर बसे हैं और उनके पास...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, उसका 50 वर्षों से ज्यादा का नगर निगम की रसीद है । क्या उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना पारित करना चाहते हैं ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में जो सर्वेक्षण किया गया है, उसमें दो तरह की सूची अभी बनी है । एक है एक्सेप्टेड, जो भारत सरकार का पोर्टल है उस पर उसको स्वीकार किया गया है कि जाँच के बाद जो चेकर की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने कही है, उस व्यवस्था में उसको सही पाया गया है । एक दूसरी श्रेणी है डिस्प्यूटेड, जैसे किसी भी पंचायत में अगर 1500 नाम थे, चेकर के द्वारा सर्वेक्षण में 700 नामों को स्वीकार किया गया और 800 नामों को डिस्प्यूटेड श्रेणी में रखा गया है और उसको फिर से चेक कराया जा रहा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगा कि बहुत जगह की शिकायतें इसमें आ रही हैं क्योंकि बगल के पंचायत के आवास कर्मी से इसे

फिर से सूची को चेक कराया जा रहा है तो क्या कोई पारदर्शी व्यवस्था सरकार या विभाग ऐसा सोच रही है कि जो भी डिस्प्यूटेड श्रेणी में जिनका नाम अभी चेकर के द्वारा लाया गया है, उसको पारदर्शी रूप से उसकी अगर जाँच करा रहे हैं तो करायें ताकि कोई भी उचित लाभुक इस लाभ से वंचित न रहे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बाबुलाल शौर्य जी ।

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला नगर परिषद में भी इसी तरह का है । नगर परिषद, गोगरी में भी है । 200 वर्ष से लोग रह रहे हैं, उनके पास बिजली बिल भी है, राशन कार्ड है लेकिन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं । कारण यह है कि कहा जाता है रसीद नहीं कटता है इसलिए नहीं मिल रहा है । महोदय, यह देखा जाय, बहुत ही गंभीर विषय है और यही मांशी में भी एक वार्ड है जो कि नगर पंचायत जब बढ़ा, पंचायत से जब नगर पंचायत में गया....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय आ गया है ।

श्री बाबुलाल शौर्य : महोदय, जिसके चलते...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बातें आ गयी हैं ।

श्री बाबुलाल शौर्य : महोदय, वहां पर प्रधानमंत्री आवास से लोग वंचित हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी, आप क्या बोलना चाहते हैं ? जो बात छूट गयी है, वह बोलिये ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, पूरे राज्य पैमाने पर जो प्रधानमंत्री आवास का सर्वेक्षण हुआ, उसमें जहाँ दबंग प्रतिनिधि थे वे अपने हिसाब से करा लिए, जो वोटर विरोधी थे तो उसको छाट दिये । जिस भी पंचायत में भेदभाव हुआ है और दूसरी बात कि जो लाभुक प्रभावित किये उनका हुआ, जो प्रभावित नहीं किये उनका छूट गया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो समय–सीमा बढ़ा है, उस समय–सीमा में पूर राज्य पैमाने पर जहाँ–जहाँ ऐसी गड़बड़ी हुई है, उसकी अपने स्तर से उच्चस्तरीय जाँच करा कर पुनः सर्वेक्षण कराने का विचार रखते हैं ? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ।

अध्यक्ष : माननी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई तरह के सवाल पूरक प्रश्न में किये हैं । माननीय सदस्यों की चिंता यह है कि जो गरीब लोग छूटे हैं उनका नाम हर हालत में रहना चाहिए और माननीय नीतीश मिश्रा जी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी एक सवाल किया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ कि अब तो यह सूची बन गयी, अब उसकी जाँच भी चल रही है और माननीय सदस्य जो

इसके पहले माननीय सदस्य थे इस सदन के, सब को मैंने पत्र लिखा है कि यह सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सर्वेक्षण में आप गरीबों के सूची के निर्माण का भी काम चल रहा है, आप इसमें सहयोग कीजिये तो उस समय माननीय सदस्य जो थे उनको सहयोग करना चाहिए, उनको तो यह सवाल पूछना नहीं चाहिए कि सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है । अगर उनके क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके इलाके में गड़बड़ी हुई है तो माननीय सदस्य को भी देखना चाहिए था लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार जी ने एक प्रश्न किया कि वहां पर जिन लोगों को स्वीकृति मिल गयी है और उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, वे स्पेशिफिक पंचायत का नाम बता दें हम उस पंचायत में जाँच करायेंगे और जिस अधिकारी से जाँच कराने के लिए कहेंगे और अधिकारी के साथ इनको भी हम उसमें शामिल होने के लिए निर्देश देंगे कि शामिल होकर जाँच करेंगे ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

आप लिखित दे दीजिये । माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

डॉ॰ सुनील कुमार : महोदय, नगर पंचायत रहुई का मेरे पास वीडियो है....

अध्यक्ष : डॉक्टर सुनील बाबू, आप लिखित में दे दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, नगर पंचायत इसमें नहीं आता है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी–सी सूचना माननीय मंत्री जी को देना चाहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूचना दे दीजिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इमेज खराब की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही मेरे पास मोबाईल पर आवास सहायक के द्वारा लाभुक से पैसा मांगते हुए टेप आया है और हमने डी॰एम॰, गोपालगंज को भेजा है और महोदय, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमने डी॰एम॰, डी॰डी॰सी॰ और सभी को भेजा है, 30 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं आवास सहायक के द्वारा और जिस व्यक्ति ने, जो लाभुक हमको भेजा है कल से उसको टॉर्चर किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, सीनियर अधिकारी के द्वारा मुझे कहा गया है, मेरे पास रिकॉर्ड है कि हम उस आवास सहायक पर भी केस करेंगे और लाभुक का भी रद्द करेंगे । महोदय, यह ऐसा कार्रवाई होने जा रहा है जिससे कोई व्यक्ति बताने का साहस नहीं करेगा कि हमसे पैसा मांग रहा है सरकारी अधिकारी ।

टर्न–4 / पुलकित / 25.02.2026

अध्यक्ष : सरकार सारी बातों को देखेगी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, गोपालगंज जिला का सिद्धवलिया प्रखंड...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मिथिलेश जी बैठिये । माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

(व्यवधान)

मिथिलेश जी, बैठिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, इस तरह की खबरें जहां से प्राप्त होंगी और माननीय सदस्य ने अगर उस खबर को हमारे अधिकारियों तक पहुंचाया है, उस पर एक्शन नहीं लिया है । वे खबर की सूचना मुझ तक पहुंचायें, हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, अब कोई विषय नहीं है । बैठिए, आपने विषय रख दिया है ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : बैद्यनाथ जी, बैठ जाइये । बिना अनुमति के मत खड़ा होइये । बैठिये । माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2196, श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र सं0–86, केवटी)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वच्छता कर्मी एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक का पारिश्रमिक केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि के अंतर्गत स्वच्छता हेतु प्रावधानित टाईड निधि से भुगतान किया जाना प्रावधानित था । प्रावधानित राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 5635 ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों/स्वच्छता पर्यवेक्षक को एक वर्ष तक पारिश्रमिक का भुगतान राज्य योजना मद से किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

साथ ही, वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4463980, दिनांक–12.08.2025 के माध्यम से स्वच्छता पर्यवेक्षक को 9000 एवं स्वच्छता कर्मी को 5000 पारिश्रमिक के साथ–साथ स्वच्छता कर्मी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त वार्ड स्तर पर घरों से (Household) संग्रहित मासिक उपयोगिता शुल्क की 50 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी को बढ़े हुए मानदेय का भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है ।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के उठाव का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर जो मुझे प्राप्त हुआ है उससे मुझे संतोष नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, पूरक है कि राज्य सरकार द्वारा जवाब जो मुझे प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया था कि वित्त आयोग के अनुशंसा पर टाईड निधि के द्वारा भुगतान किया जाना था । मगर किसी कारणवश टाईड निधि से पैसा प्राप्त नहीं हो सका बिहार सरकार को, योजना मद से देने की बात कही गई है । महोदय, अभी तक इतने दिनों से ये लोग कार्यरत हैं फिर भी अभी तक उनका एक पैसा भुगतान नहीं हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मानदेय भुगतान से संबंधित विषय है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार से मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बात को बताया है । अभी यह प्रश्न पहले भी सदन में आया है, उपेन्द्र प्रसाद जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने यह प्रश्न किया था । हमने चुनाव से पहले उनकी बढ़ोतरी की है । जिनका 3000 था उनको 5000 पारिश्रमिक किया है और जिनका 7500 था, उनको 9000 पारिश्रमिक किया गया है । महोदय, जहां तक इनकी राशि के भुगतान का सवाल है तो राशि के मानदेय का भुगतान से संबंधित मामला है । अगस्त से अभी तक भुगतान बाकी था, हमने तीन दिन पहले आदेश दिया है कि इनके जो मानदेय का भुगतान है, यह जल्द से जल्द हो जाए, यानी एक सप्ताह 15 दिन के अंदर इनके जो मानदेय का भुगतान है वह कर दिया जाएगा ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : हो जाएगा भुगतान । माननीय मंत्री ने कहा है कि भुगतान हो जाएगा । अब क्या विषय है ? माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, पूर्ण रूप से बंद है, कहीं कचरा उठाव नहीं किया जा रहा है। कचरा जहां था वह खराब पड़ा हुआ है । अनेक पंचायत में यह लागू भी नहीं किया गया है, हमारे यहां 26 पंचायत है उसमें 14 पंचायत अभी तक वंचित है और कचरा उठाव शुरू में किया था मगर दो–तीन महीने करने के बाद बिल्कुल ही अभी तक बंद है । महोदय, मानदेय नहीं दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष : मानदेय के बारे में माननीय मंत्री ने कहा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा । बाकी बातों को सरकार देखकर के समीक्षा कर लेगी ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, एक समय निर्धारित होना चाहिए । कितने दिनों से नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, होली का समय है ।

अध्यक्ष : मुरारी मोहन झा जी, सरकार ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा । सरकार बाकी बातों की समीक्षा करके समाधान कर लेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2197, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र सं0–87, जाले)</u>

(मुद्रित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3556556, पटना, दिनांक–10 जनवरी, 2025 द्वारा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन एवं प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें दरभंगा जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन भी सम्मिलित है । जाले प्रखंड में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण कराया गया है ।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3556556, पटना, दिनांक–10.01.2025 की कंडिका–2 में स्पष्ट किया गया है कि आगे के चरण में आवासीय परिसर का नवनिर्माण कराया जायेगा ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है इसका, लेकिन मेरा सवाल पर्टिकुलर दो ब्लॉक में अधिकारियों के आवासीय भवन को लेकर के था। इन्होंने जवाब दिया है प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है । जम के सरकार करा रही है इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि ये दिनांक 18–11–2019 को जाले भी गए थे । जो अपना आई0टी0 भवन है प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी भवन का, ऑफिस के तर्ज पर 7 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हुआ था, उसका उद्घाटन इनके कर कमलों के द्वारा किया गया । लेकिन उत्तर जब अधिकारी बनाते हैं तो एक बार अधिकारी को बैठाकर पूछना चाहिए कि सवाल क्या है, उत्तर क्या है ? अब जिस विभागीय संकल्प की चर्चा इसमें की गई है, अभी मैं चुनौती देता हूं कि आप अभी किसी अधिकारी को लगा कर के विभाग की पूरी साइट दिखवा लीजिए, यह संकल्प उस साइट पर कहीं दिखता नहीं है । हुजूर, पूरा दिखवा लीजिए और जवाब दिया गया है कि दिनांक– 10–01–2025 को जो संकल्प आया है 3556556 के द्वारा आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा । दिनांक– 10–1–2025 का संकल्प है ।

महोदय, मेरे पास एक अल्पकालीन निविदा है एक ही जिला का, ये जिला भी नहीं बदला है । ये दरभंगा जिला का है जिसमें 10 ब्लॉक का अल्पकालीन निविदा ई–निविदा किया गया है । 10 ब्लॉक में तीन ब्लॉक में केवल आवासीय परिसर के साथ राशि 30 करोड़ 74 लाख स्वीकृत की गई है । बाकी सात ब्लॉक में केवल ऑफिस बनाने की बात की गई है । बाकी सात ब्लॉक के साथ यह भेदभाव क्यों, मेरा पहला सवाल ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि यह तो सीधा सवाल है कि 45 किलोमीटर से अधिकारी अगर ब्लॉक में जाएंगे, उनके रहने की छोटी जगह है व्यवस्था नहीं है, बाजार में भी किराए का मकान नहीं मिलता है । हर दिन वह अगर अप–डाउन करेंगे तो उनके काम करने की एनर्जी खराब होगी। समय पर आएंगे नहीं, लौटने की चिंता उनको पहले हो जाएगी मुख्यालय को।

ये दो मुख्यालय, टाउन में क्या है सर जिला मुख्यालय में किराए के मकान भी अधिकारी को मिल जाता है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, पूरक पर आ रहा हूं । टाउन में तो आवास की चिंता हम लोग कर रहे हैं, सरकार को संकल्प लाना चाहिए और बाकी जगह से थोड़ी कटौती करके भी ब्लॉक स्तर पर, सी0एच0सी0 स्तर पर जो हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, उनका आवासीय परिसर का निर्माण हो, मुख्यमंत्री जी तो इतना काम किए हैं हम तो आग्रह करेंगे संकल्प भी लिया गया है । आज इस काम को किया जाए, माननीय मंत्री जी तो विशाल हृदय के हैं कम से कम इन दो ब्लॉक में इसको कर दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि प्रखंड कार्यालय बन गए हैं तो उसमें आवासीय परिसर कर्मचारियों के लिए अधिकारियों के लिए बनना चाहिए । सरकार कहां इनकार कर रही है ? सरकार तो कह रही है कि यह प्रथम फेज में हमने कार्यालय बनाया है और द्वितीय फेज में इसका भी निर्माण कराया जाएगा, माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि पहले ऑफिस का काम कार्यालय का काम हम पूर्ण कर लेते हैं और सेकंड फेज में आवासीय भवन का निर्माण कराएंगे । महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इनके आवास परिसर का निर्माण कराएंगे ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : हो गया । सारी बात क्लीयर हो गयी है । आप धन्यवाद दे दीजिए मंत्री जी को ।

श्री जिवेश कुमार : मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । प्रश्न करने के कारण प्राथमिकता में लेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय तीन ब्लॉक का कर दिये और उसमें...

अध्यक्ष : सब क्लियर हो गया । प्रायोरिटी में सरकार लेगी, आप विश्वास रखिए सरकार पर ।

श्री जिवेश कुमार : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2198, श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या–62, पूर्णियां)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मंझेली पुल से भागा करियात हसनगंज कटिहार सीमा तक पथ दो पथों से संबंधित है, जिसकी स्थिति निम्नवत हैः–

1. जियागाछी से बेलवा–इस पथ का निर्माण बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत दिनांक 20.03.2025 को पूर्ण किया गया है।

2. ब्रह्म स्थान से कवैया कटिहार सीमा तक पथ–इस पथ का निर्माण बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत दिनांक 26.06.2024 को पूर्ण किया गया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार में बिहार के सभी गांवों में सड़कों का जाल बिछ गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, काफी सड़कें बनी हैं और मंत्री अशोक भाई भी हैं, हमारे यहां भी देखे हैं । खाली इतना ही हम आग्रह करेंगे कि जो सड़कें टेंडर में चली गई है उसका निष्पादन, और जिसको वित्त नहीं है उसको वित्त हमारे मंत्री जी उपलब्ध करवा दें ताकि जो काम पेंडिंग है वह पूरा हो जाए । इतना ही आग्रह करेंगे और उत्तर से हम संतुष्ट हैं, मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2199, श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र सं0–19, मोतिहारी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0–6549, दिनांक 23.05.2025 द्वारा कुल 1069 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक–120, दिनांक 24.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मोतिहारी सदर प्रखंड अंतर्गत झिटकहिया, रामसिंह छतौनी, उत्तरी ढेकहाँ एवं मधुबनी में नये पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास हुआ है ।

विभागीय निदेशानुसार प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार, (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–2) पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को भेजा गया है । तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

ग्राम पंचायत बरदाहाँ में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

पीपराकोठी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज पंडितपुर एवं सलेमपुर में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–1 द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है । ग्राम पंचायत राज सूर्यपुर एवं ग्राम पंचायत राज रामगढ़वा में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन–1 द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, उत्तर आया है । महोदय, मेरा प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह भवन, इन दोनों का दिनांक– 23–05–2025 को शिलान्यास हुआ । हमने अपने पूरे क्षेत्र में टीवी

लगाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भाषण जनता को सुनाया । महोदय, स्वयं मैंने मंत्री जी से भी मिलकर दो बार कहा, लेकिन मेरे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो स्थान है वहां का सब चयनित होकर आ गया, लेकिन वहां के अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन नहीं देने के कारण यह विलंब हुआ। इधर एक अभी माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि पत्रांक–120, दिनांक–24–02–2026 को यानी फिर ये रिमाइंडर भेजे हैं । मेरे सामने भी मंत्री जी रिमाइंडर भेजे थे । जो अधिकारी समय से प्रतिवेदन नहीं दिया जिसके कारण पंचायत सरकार भवन बनाने में विलंब हुआ ।

(क्रमशः)

टर्न–5 / हेमन्त / 25.02.2026

(क्रमशः)

श्री प्रमोद कुमार : और कुछ पंचायत सरकार भवन बना है, वह हैंडओवर, टेकओवर नहीं हो रहा है और कुछ पंचायत सरकार भवन पंचायती राज के माननीय मुखिया जी द्वारा बना है, जो अधूरा पड़ा हुआ है जिसका पुनःनिरीक्षण स्टीमेट नहीं हो रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि जो अधिकारी विलंब से प्रतिवेदन दिये उनके खिलाफ, जो पंचायत सरकार भवन अधूरे पड़े हुए हैं उसकी क्या नीति है, जो पंचायत सरकार भवन बने हैं उसके रख–रखाव की क्या नीति है महोदय, यह बताना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहेंगे कि जब भी कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, तो अद्यतन स्थिति जानने के लिए जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर दिया जाता है, अद्यतन स्थिति के लिए पत्राचार किया गया है। ऐसे माननीय सदस्य को जानकारी दे देते हैं, चूंकि आपने इसमें नौ पंचायतों का जिक्र किया है। आप सही बता रहे थे अक्टूबर, 2025 में शिलान्यास का काम किया गया था। उसमें से झिटकइया, राम सिंह छतौनी, उत्तरी ढेखा और मधुबनी, इन चार जगहों पर साइट स्पेसिफिक इस्टीमेट का काम हो गया है और उसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए संबंधित एजेंसी जो कि एल0ए0ई0ओ है, उनको दिया गया है, उनसे जैसे ही तकनीकी स्वीकृति मिलती है, उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बरदाहा का आपने जिक्र किया है। बरदाहा में भी भवन निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है और कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत पंडितपुर और सलेमपुर यहां भी एल0ए0ई0ओ0 के माध्यम से निर्माण कराया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। सूर्यपुर और रामगढ़वा का भी जिक्र किया है, यहां पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और भवन क्रियाशील भी है। चूंकि पूरे बिहार में 8,000 से ज्यादा पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का काम किया जाना है, काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है।

सारी जगह पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता है, चूंकि चरणबद्ध तरीके से है, इसलिए आपको यह देखने को मिल रहा है, कहीं पर काम शुरू नहीं है, लेकिन टाइमलाइन के साथ काम पूरा करना है और काम चल रहा है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो मुखिया के द्वारा काम कराया जा रहा था, अधूरा छोड़ दिया गया है। उसका क्या हो रहा है?

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : कुछ जगह पर माननीय मुखिया जी के द्वारा काम किया जा रहा था, चूंकि वह फर्स्ट फेज में काम शुरू हुआ था, उसमें काफी देरी हो गई है। उसमें कुछ जगहों से डिमांड आ रही है, उसका एस्टीमेट बढ़ाने का। विभाग जहां कहीं भी, कोशिश कर रहा है, अगर एस्टीमेट बढ़ा के 20 प्रतिशत का उसमें प्रावधान है। अगर 20 प्रतिशत एस्टीमेट बढ़ा के काम पूरा किया जा सकता है, तो उसको भी टेक अप किया जा रहा है।

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार पाण्डेय।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय,...

अध्यक्ष : प्रमोद जी, अब बैठिए, सारी बात आ गई।

तारांकित प्रश्न संख्या–2200, श्री संजय कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या–03, नरकटियागंज)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि हरबोड़ा और पंडई नदी एक पहाड़ी एवं बरसाती नदी है जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से निकलती है। अतिवृष्टि के समय जलस्तर बढ़ने से पानी का फैलाव अल्प अवधि के लिए होता है एवं कुछ समय पश्चात् पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है।

उक्त बरसाती नदियों के प्रश्नगत प्रभागों में तटबंध निर्माण तकनीकी रूप से सम्भाव्य नहीं है।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, लेकिन मैं पूर्ण संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि हरबोड़ा एवं पंडई नदी बरसाती प्रकृति की है तथा तटबंध निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि तटबंध निर्माण संभव नहीं है, तो नरकटियागंज नगर परिषद् क्षेत्र को प्रति वर्ष होने वाले जल जमाव एवं क्षति से बचाने हेतु सरकार की वैकल्पिक अस्थाई कार्य योजना क्या है ? क्या जल निकासी हेतु ड्रेनेज सुदृढ़ीकरण, नदी की धारा संशोधन, चेनेलाइजेशन अथवा गाद निकासी के संबंध में कोई तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

अध्यक्ष : बैठ जाइए। माननीय मंत्री।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : क्या सरकार यहां आश्वासन देगी कि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व ठोस एवं समयबद्ध कार्य योजना बनाकर बाढ़ से राहत हेतु आवश्यक कार्य...

अध्यक्ष : संजय जी, बैठिए, बात आ गयी है। माननीय मंत्री।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम एक बार फिर कोशिश करते हैं इनको संतुष्ट करने की।

महोदय, इन्होंने प्रश्न में सिर्फ हरगोड़ा और पंडई नदी पर बांध बनाने के लिए कहा है। महोदय, क्योंकि यह बरसाती नदी है। एकदम पहाड़ की तराई से निकलती है और इसका पूर्ण नदी का स्वरूप भी नहीं होता है। जब अतिवृष्टि होती है, उस समय में कुछ इलाकों में जल फैलाव होता है, जो तुरंत बरसात बंद हुई और उसके घंटों बाद ही निकल जाती है और अमूमन हम लोग ऐसी नदियों पर बांध का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने जिसकी चर्चा की, वह दूसरी जगह कहीं जल जमाव होता है, उसकी निकासी का प्रश्न उन्होंने किया है, तो वह अलग से लिख कर दे देंगे, हम जरूर उसको दिखवा कर करवाएंगे।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : माननीय मंत्री महोदय,...

अध्यक्ष : लिख कर दे दीजिएगा।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : मैं कहना चाहता हूं कि 2017 और 2010 में इस तरह की वहां बाढ़ आयी थी कि जितने औद्योगिक प्रतिष्ठान और जितने व्यवसायी हैं, सबके यहां जल जमाव हो गया। सारे रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड भी समाप्त हुए और एक सप्ताह से अधिक तक जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया।

अध्यक्ष : वह नौबत अब नहीं आयेगी।

श्री संजय कुमार पाण्डेय : इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी कोई स्थाई व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि लिख कर दे दें, निश्चित कार्रवाई करेंगे।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–2201, श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या–188, फुलवारी (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रष्नाधीन पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अन्तर्गत लखनपार मेन रोड से सवलपुर वाया हरेचक सिसवाचक पथ के नाम से मरम्मति कार्य दिनांक–08.07.2022 को पूर्ण करा दिया गया है। सम्प्रति यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है। पथ में अनुरक्षण कार्य सतत कराया जाता है। पथ की स्थिति संतोषजनक है एवं आवागमन सुचारू रूप से चालू है।

श्री श्याम रजक : सर, पूछता हूं। जवाब आया है। मेरा यह कहना है कि इसका 2017 में ही शिलान्यास हुआ था। दो बार, 17.6.2020 में भी इसका जीर्णोद्धार का बोर्ड लगा, फिर 17.3.2021 में भी जीर्णोद्धार का बोर्ड लगा। पांच साल तक इनकी

देखभाल करनी थी, लेकिन काम ही अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी परसों वहां पर मिट्टी गिराने का काम शुरू हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये चौथे वर्ष के अनुरक्षण नीति में है। जिस सड़क का माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसका हमने पूरा फोटोग्राफ मंगाया है, पथ का। पथ की क्या स्थिति है, 29.1.2026 को यह पथ की स्थिति है और पथ की स्थिति का फोटो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के साथ है। फिर भी, माननीय सदस्य को अगर लगता है कि पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है और किसी ने सरकार को गलत सड़क का फोटो दे दिया है, जबकि हमने पूरी लैटिट्यूड– लैंगिट्यूड के साथ मंगाया है। फिर भी, किसी से, जिससे जांच कहते हैं, जांच करा देंगे और आपकी बात सत्य होती है या विभाग की बात सत्य होती है। अगर आपकी बात सत्य है, तो उस पर कार्रवाई करेंगे, पदाधिकारी पर।

तारांकित प्रश्न संख्या–2202, श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या–174, इस्लामपुर)

(मुद्रित उत्तर)

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत रेल खंड नेउरा दनियावां के दनियावां जंक्शन के निकट LC No.–02 पर ROB का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा किया जाना प्रस्तावित है एवं रेलवे द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं GAD अनुमोदन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

श्री रूहेल रंजन : महोदय, एक छोटा सा पूरक है मेरा माननीय मंत्री जी से कि जिस रेलवे ओवर ब्रिज की बात हो रही है, वह स्टेट हाइवे फोर पर है। यहां दनियावां से लेकर और एकंगर सराय तक तीन ऐसे और रेल ओवर ब्रिज की जरूरत है। अगर समीक्षा करा कर इस पर कार्रवाई करेंगे, तो बड़ा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, हम लोगों ने इसकी समीक्षा करवा ली है और रेलवे के द्वारा इसको प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है। इसके लिए जी0ए0डी के अनुमोदन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

(व्यवधान)

अब तो इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। अब बनाने जा रहे हैं। जी0ए0डी की परमिशन के लिए चला गया है, तो अब क्या ? आर0ओ0बी0 ही न बनाना है?

श्री रूहेल रंजन : महोदय, मैं बस यह कह रहा था...

अध्यक्ष : सारी बातें आ गयी हैं।

श्री रूहेल रंजन : कि इसी रोड पर तीन और ऐसे ब्रिज की रिक्वायरमेंट है।

अध्यक्ष : उसके लिए अलग से देखिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–2203, श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या–187, मनेर)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल, उदा–किशुनगंज–भटगामा एस०एच०–58 की लम्बाई 29.48 कि०मी० एवं चौड़ाई 10.00 मी० है। पथ की स्थिति अच्छी है।

एस०एच०–58 मार्ग पर अवस्थित भटगामा, डुमरैल चौक, पुरैनी बस स्टैंड चौक, नया टोला चौक तथा पुरैनी–अंबेडकर चौक पर रम्बल स्ट्रीप एवं संकेतक बोर्ड लगाया जा चुका है।

वर्तमान में पथ Crust 10.00 मी० चौड़ाई के साथ ROW 13.00 मी० से 15 मी० एवं पथ आरेखन सीधा होने के कारण गोलम्बर निर्माण Feasible नहीं है।

श्री भाई बिरेंद्र : महोदय, प्रश्न का जवाब आया है, लेकिन उसमें स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है। जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है कि गोलंबर बनाने का उन्होंने कोई स्पष्टता नहीं दी है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट करेंगे कि जब उक्त राज्य उच्च पथ की क्रॉस–चौड़ाई 10 मीटर है, तो ऐसे पथ के नियमानुसार न्यूनतम आदर्श आर0ओ0डब्ल्यू0 कितना होना चाहिए ? क्या वर्तमान 1300 से 1500 मीटर आर0ओ0डब्ल्यू0 निर्धारित मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : यह 1300 और 1000 नहीं है, यह 13 मीटर और 10 मीटर का है मामला। अध्यक्ष महोदय, इस रोड का एलाइंमेंट एकदम सीधा है, जहां पर पुरैनी बाजार की बात कर रहे हैं। पुरैनी बाजार में रोड में कोई चौराहा नहीं है, कोई तिराहा नहीं है, वह रोड सीधा गया है और इसके लिए एस0एच0 58 मार्ग पर अवस्थित भटगामा, डुमरैल चौक, पुरैनी बस स्टैंड चौक, नया टोला चौक और पुरैनी अंबेडकर चौक पर रम्बल स्ट्रिप हम लोग लगा दिए हैं और संकेतक बोर्ड भी लगाया जा चुका है। चूंकि वह सीधा रोड है, इसीलिए उस पर गोलंबर निर्माण फिजिबल नहीं है। अगर कोई तिराहा होता, तब भी बनवा देते, चौराहा की तो बात छोड़िये। अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह एकदम सीधा है और आगे जाकर वही नवगछिया, भटगामा के पास फिर नवगछिया आ गया है, तो सीधा रोड पर गोलंबर फिजिबल नहीं होता है और हमारे पास मात्र 13 मीटर की वहां पर जगह है।

अध्यक्ष : आप जगह पर गये हैं या कोई क्वेश्चन करवा दिया आपसे।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : एक बार ले चलेंगे माननीय सदस्य को।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, साइट पर गये हैं कि नहीं ? भाई बिरेंद्र जी, स्थल पर गये हैं कि नहीं?

श्री भाई बिरेंद्र : भाई वीरेंद्र, बिहार की राजनीति करता है।

अध्यक्ष : मैं जान रहा हूं।

श्री भाई बिरेंद्र : और ऐसा नहीं है कि मैं केवल मनेर का ही क्वेश्चन करता हूं। पूरे बिहार का यह सदन है।

अध्यक्ष : आप साइट पर गए हैं ?

श्री भाई बिरेंद्र : हां, निश्चित रूप से गया हूं। तो माननीय मंत्री का भी कहना सही है, लेकिन वहां घटना दुर्घटना काफी होती रहती हैं और काफी लोगों की मौत भी होती है, तो क्या सरकार वहां चौराहा गोलंबर बनाने का विचार करती है ?

अध्यक्ष : पुनः समीक्षा कर लीजिए।

टर्न–6 / संगीता / 25.02.2026

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : सरकार स्वीकार कर ली है आपकी बातों को ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक है कि माननीय मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि जब उक्त राजपथ की क्रॉस चौड़ाई 10 मीटर है तो भारतीय सड़क कांग्रेस आई0आर0सी0 के मानकों के अनुसार उसके लिए न्यूनतम आदर्श राईट ऑफ वे कितना निर्धारित है ? क्या वर्तमान 1300 से 1500 मीटर आर0ओ0डब्लू0 निर्धारण मानक के अनुरूप है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब कुछ स्पष्ट है कि रोड सीधा है, उसमें...

(व्यवधान)

ठीक है, एक बार दोनों आदमी हमलोग माननीय सदस्य के साथ चले जायेंगे वहां नौगछिया और हमलोग देख लेंगे, अगर जरूरत होगा तो समीक्षा कर लेंगे ।

अध्यक्ष : डॉ0 प्रकाश चन्द्र ।

तारांकित प्रश्न सं0–2204, डॉ0 प्रकाश चन्द्र (क्षेत्र संख्या–220, ओबरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री शंभू नाथ यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0–'क'–2205, श्री शम्भू नाथ यादव (क्षेत्र संख्या–199, ब्रह्मपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ तिलक राय के हाता ग्राम अवस्थित है, जिसे शीर्ष PMGSY-III योजनान्तर्गत निर्मित MRL02- सिमरी से तिलक राय के हाता भाया बड़का राजपुर पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। वर्त्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। पुल स्थल के दूसरी तरफ कोई बसावट अवस्थित नहीं है।

प्रष्नाधीन पुल जिला संचालन समिति द्वारा अनुमोदित सूची में माननीय स0वि0स0 श्री शंभू नाथ यादव द्वारा अनुशंसित सूची के क्रमांक–09 पर शामिल है।

समीक्षोपरांत, तकनीकी व्यवहार्यता, प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

श्री शम्भू नाथ यादव : पूछता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : उत्तर नहीं मिला शंभू जी ?

श्री शम्भू नाथ यादव : नहीं सर ।

अध्यक्ष : अच्छा बैठिए । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमने पिछली बार भी कहा था कि ये पुल जो है, इस पुल का इन्होंने आग्रह किया है और ये पिछली बार जिस जिला संचालन समिति से पुल आना था, उसमें स्वयं माननीय विधायक जी भी मौजूद थे और क्रमांक–9 पर यह शामिल है और सरकार की जो निधि की उपलब्धता थी, उसमें हमलोगों ने इनके यहां भी दो ब्रिज देने का पिछले वित्तीय वर्ष में काम किया है और इनके यहां लगभग 85 रोड, 170 करोड़ रुपया इनके विधान सभा में देने का काम किया है, तो वह प्रायोरिटी लिस्ट में है, निधि की उपलब्धता होगी फिर उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, सरकार जब बक्सर, कोइलवर तटबंध पर मेरिन ड्राइव का सपना देखती है, जैसे हमारे माननीय मिथिलेश तिवारी साहब ने उत्तरी बिहार से बक्सर पहुंच गए हैं इस मैटर को लेकर, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इतना बड़ा सपना है, इतना बड़ा धन है सरकार के पास तो महोदय, उस मेरिन ड्राइव पर चलने वाले लोग रहेंगे, तब मेरिन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी । वहां समस्या धरातल का यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जाकर वहां एक प्लांट है, केशो मानिकपुर में, बहुत रूपया का बना हुआ है, मात्र बांध से डेढ़ सौ मीटर पर गंगा जी का कटाव है और वहां से आप आगे बढ़ेंगे तो नैनी जोर, उत्तरी नैनी जोर में इतना जबदस्त कटाव है कि जब–जब बाढ़ आता है, तब–तब त्राहिमाम होता है । ऐसे में यदि सरकार सतर्क रहती तो हम पिछले साल जो भुगतने का काम किया शाहपुर में, जोगनिया गांव पूरा जलमग्न हो गया तो जो पहले होना चाहिए,

मेरिन ड्राइव तो बाद की चीज है, हम चाहेंगे सरकार से कि केशो मानिकपुर में, जितना दूर कटाव है गंगा का, वहां बोल्डर पीचिंग करा दिया जाएगा तो हर साल जो ये बोरा में बालू भरकर हमलोग गंगा में बहवा देते हैं उससे निजात मिल जाता ।

अध्यक्ष : वह तो जल संसाधन कराती है । अब ग्रामीण कार्य का क्वेश्चन आपका है, आप पुल निर्माण कराना चाहते हैं ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, इसी से संबंधित है और जो सपना दिखाया जा रहा है, एक हमारे यहां पुल का ही बात है, महोदय का ये विषय है, मंत्री जी का...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री शम्भू नाथ यादव : ड्राई घाट, ज्योंही भागड़पुर का हमने 10 साल क्वेश्चन करता रहा और हमेशा आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा और आज तक वह पुल नहीं बनाया गया ।

अध्यक्ष : ठीक है आप बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह निर्णय किया था और यह कैबिनेट का डिसिजन था कि जिला संचालन समिति से ही पुलों का हमलोग प्राथमिकता लेंगे। उसमें सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि विम्स एंड फैंसीज से पुलों का निर्माण कराया है और जिस संचालन समिति में माननीय सदस्य खुद उसमें मेंबर हैं, वहां से पुल आया है और यह पुल ऐसा नहीं है कि पुल की भी संख्या लिमिट है । माननीय नेता ने पुल के लिए भी 900 पुल दिया था और उसमें 2 पुल आपके विधान सभा में पिछली बार दिए हैं और अगर हम गलत सपना दिखा रहे हैं तो आपके यहां 170 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कैसे दिया ? आपके यहां 85 सड़क दिया, 184 किलोमीटर दिया और 2 पुल दिया, 64.76 मीटर का पुल दिया और हम कह रहे हैं कि...

श्री शम्भू नाथ यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइए । सरकार खड़ी है, बैठिए प्लीज ।

(व्यवधान)

शम्भू जी, बैठिए, जब सरकार खड़ी है...

(व्यवधान)

बैठ जाइए, सुनना चाहिए बात को, बात सुनिए तो ।

(व्यवधान)

बात सुन लीजिए, माननीय मंत्री खड़े हैं...

(व्यवधान)

माननीय मंत्री खड़े हैं, बैठ तो जाइए कम से कम ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री खड़े हैं, सुन तो लीजिए ।

(व्यवधान)

बैठ तो जाइए, जवाब हो रहा है सरकार का ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : तो ये बस बात तो आपको अपने नेता से भी तो पूछना चाहिए, ग्रामीण कार्य जब था, तो आपके विधान सभा में क्यों नहीं पैसा दे दिए ? आप नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि विधायक आप थे, तब भी आपके यहां लगभग 200 करोड़ का काम किए ।

अध्यक्ष : डॉ सियाराम सिंह ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आज श्री अशोक चौधरी जी का जन्मदिन है उनको बधाई दे दीजिए ।

अध्यक्ष : बधाई दे दीजिए सबलोग । आज माननीय मंत्री डॉ0 अशोक चौधरी जी का जन्मदिन है, सदन की ओर से हम बधाई देते हैं ।

डॉ0 सियाराम सिंह ।

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : 26 जून का समय है, उसके पहले नहीं होगा, तब न बोलिएगा ।

अध्यक्ष : हां बिल्कुल । आ गई बात । डॉ0 सियाराम सिंह ।

(व्यवधान)

बैठिए, भाई वीरेन्द्र बैठ जाइए ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2206, श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या–179, बाढ़)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0–8103 दिनांक 27.06.2025 द्वारा ''मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना'' के अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

इस क्रम में प्रथम चरण में भूमि उपलब्धता के आलोक में कुल–1000 विवाह भवन के निर्माण हेतु राशि विमुक्त की गई है।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

डॉ0 सियाराम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज मंत्री जी से मेरा आंसर मिला है लेकिन इन्होंने लिखा है कि...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

डॉ0 सियाराम सिंह : आंशिक स्वीकारात्मक है । हमारे शहरी पंचायत में कन्या विवाह मंडप उत्सव मनाने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था, तो अभी तक किसी तरह का वहां पर बोले कि...

(व्यवधान)

डॉ0 सियाराम सिंह : 27.06.2025 से ही इन्होंने जवाब दिया था, अभी तक वहां पर न जमीन का ट्रेसिंग हो पाया है, मेरे 32 पंचायत, बाढ़ विधान सभा में कहीं भी कन्या विवाह मंडप उत्सव का शुरूआत नहीं हुआ है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । डॉ0 साहब बैठ जाइए । माननीय मंत्री ।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हर पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का काम होना है और 2030 तक इस योजना को पूर्ण करना है । फेजवाईज, चूंकि काम चल रहा है, पहले फेज में 1000 जगहों का चयन किया गया है, आने वाले समय में आप जिस पंचायत का जिक्र कर रहे हैं, वहां भी हो जाएगा ।

अध्यक्ष : श्री राम सेवक सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2207, श्री रामसेवक सिंह (क्षेत्र संख्या–104, हथुआ)</u>

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न ?

श्री रामसेवक सिंह : जवाब नहीं मिला है सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर है ।

श्री रामसेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पईन का मैटर है, छोटा चौर से जल निकासी का है तो लघु जल संसाधन में आता है तो जल संसाधन में कैसे चला गया ? अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि किसानों के पक्ष में है...

अध्यक्ष : पूरक देख लीजिए । पूरक देख लीजिए एक बार कि आपका है कि नहीं है, नहीं होगा तो ट्रांसफर कर दीजिए ।

श्री रामसेवक सिंह : हजारों एकड़ जमीन इससे प्रभावित है, यह लघु जल संसाधन का प्रश्न है तो फिर जल संसाधन में कैसे चला गया ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री पुनः देख लेते हैं, इनके विभाग में आएगा तो निश्चित कार्रवाई करेंगे।

श्री रामसेवक सिंह : जी ठीक है ।

अध्यक्ष : श्री रामविलास कामत ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–2208, श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या–42, पिपरा)</u>

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर नहीं मिला है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : यह ट्रांसफर कर दिया गया है । उत्तर चला जाएगा, आप बैठ जाइए । श्री इन्द्रदेव सिंह ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : रामविलास जी बैठ जाइए । वह ट्रांसफर हो गया रामविलास बाबू, बैठ जाइए । उत्तर जाएगा आपको । श्री इन्द्रदेव सिंह ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, मेरा...

अध्यक्ष : देखिए, क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया है, उत्तर मिलेगा । बैठ जाइए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, मेरा कहना है...

अध्यक्ष : उसके लिए प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति बनी हुई है, इन बातों की समीक्षा करके देखेगी । आप लिखित दे दीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0–2208, श्री इन्द्रदेव सिंह (क्षेत्र संख्या–110, बड़हरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखंड के प्रश्नगत ग्रामों के क्षेत्रों में उखई चौर अवस्थित है। उखई चौर बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के आर्द्रभूमि की सूची में शामिल है। बिहार सरकार द्वारा राज्य की आर्द्रभूमियों के सरंक्षण निमित कई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः आर्द्रभूमियों में जल संचयन कर इसके जैव पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित तथा भू–गर्भ जलस्तर बनाये रखना शामिल है।

श्री इन्द्रदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल था कि उखई चंवर से उखई पूर्व पट्टी, सिसवा, पिपरा, समोहपुर, ओलीपुर, श्रीकांत बंगरा, सुरवाला, नथनपुरा, सहलौर, ईलामदीप...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रदेव सिंह : जी । उत्तर आया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे ये लोग दे दिए हैं, जिस खेत में बराबर खेती हो रहा था, 10 वर्षों से प्रभावित है वह संतोषजनक उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरे मामले की सरकार जांच कराकर...

श्री इन्द्रदेव सिंह : खेत में से पानी निकलवाया जाय, माननीय मंत्री जी से मैं यही आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर, सरकार आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जांच कराकर पानी निकालने की व्यवस्था करेगी ।

श्री इन्द्रदेव सिंह : धन्यवाद ।

टर्न–7 / यानपति / 25.02.2026

तारांकित प्रश्न संख्या–'ख'–2210, श्री बाबुलाल शौर्य (क्षेत्र सं0–151, परबत्ता)

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, ये कोशी नदी बहती है, धारा लिखा गया, गलती से हो गया, कोशी नदी बहती है जहां पीपा पुल ऑलरेडी बन गया है । माननीय हमारे नरेन्द्र नारायण यादव जी का । चूंकि वह ऐसा सेंटर है त्रिवेणी है, बगल में मधेपुरा है, बगल में भागलपुर है, बगल में खगड़िया की घनी आबादी है महोदय । अगर ये पुल आर0सी0सी0 पुल का निर्माण हो जाता है तो सीधे नेपाल और एक सबसे बड़ा है कि एक जो फरकिया का जो केंद्र है मक्का का सबसे बड़ा वो जगह है, अगर पुल बन जाने से मक्के के किसानों को और अन्य रोजी–रोजगार को बहुत बड़ा फायदा होनेवाला है । महोदय, नरेन्द्र नारायण यादव जी का भी वह क्षेत्र है जिससे कि वह फरकिया, फरकिया नहीं रहेगा महोदय । एक पीपा पुल बन जाने से...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बाबुलाल शौर्य : बहुत सुगम हो गया है महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, यह पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर है, यह पथ निर्माण विभाग का है । आपने ग्रामीण कार्य विभाग को लिखा है । पथ निर्माण विभाग के मंत्री इसका जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : इसको कल दिखवा लेंगे । उत्तर मिल जायेगा आपको । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–25 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री अजय कुमार, सवि0स0, श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0, श्री अविनाश मंगलम, स0वि0स0, श्री गौतम कृष्ण, स0वि0स0, श्री अभिषेक रंजन, स0वि0स0 ।

आज दिनांक–25 फरवरी, 2026 को सदन में गैर सरकारी संकल्प निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर कार्यस्थगन प्रस्ताव है, इसे पढ़ने दिया जाय ।

अध्यक्ष : पढ़ दीजिए ।

श्री अरूण कुमार : वित्त रहित शिक्षकों का जो हालात है, वह आज भुखमरी की कगार पर हैं इसीलिए मैं कार्यस्थगन रखना चाहता हूं ।

माननीय महोदय, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे 248 वित्त रहित डिग्री कॉलेजों एवं 599 से अधिक इंटर कॉलेजों में लगभग

40 हजार से 50 हजार शिक्षक एवं शिक्षिकेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं, जो पिछले कई वर्षों से बिना वेतन के शैक्षणिक कार्य का संपादन कर रहे हैं । शैक्षणिक सत्र 2015–2018 के बाद से राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों को देय अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है । इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक–30.09.2025 को ज्ञापांक संख्या–2829 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था । समिति को अनुदान वितरण, वेतन विसंगतियों के निराकरण और मानदेय निर्धारण पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देनी थी । महीनों बीत जाने के बाद भी समिति की अनुशंसाएं ठंडे बस्ते में हैं और धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । अनुदान के अभाव में इन कर्मियों के परिवारों के समक्ष भुखमरी और मानसिक प्रताड़ना की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर है ।

अतः दिनांक–25.02.2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर वित्तरहित डिग्री एवं इंटर कॉलेजों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के लिए तत्काल अनुदान देने हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

महोदय, मेरा आग्रह है कि इसपर आपको बहस करानी चाहिए, चूंकि आज 40 से 50 हजार कर्मियों की जिंदगी खतरे में है ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–84 के तहत ''बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025'' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–84 के तहत ''बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली, 2025'' की प्रति सभा पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–182 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमनों के संकलन की भाग–1 एवं 2 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा–6(4) के तहत ''बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025'' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ''मैं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 91(2) के तहत बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023'' एवं बिहार दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–76(3) के तहत ''बिहार ई–स्टाम्प शुल्क (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2020'' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम–2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के परिणाम बजट, बाल कलयाण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक–एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अविनाश मंगलम ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्रीमती दीपा कुमार : अध्यक्ष महोदय, इमामगंज विधान सभा अंतर्गत प्रखंड बांकेबाजार के डुमरावां मोड़ से बाबा धाम तक लोगों के निजी जमीन से 11 हजार बोल्ट का बिजली का तार गया हुआ है स्थानीय लोग बार–बार आवाज उठा रहे हैं । मैं भी कई बार विभाग को अवगत कराई हूं परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिले के डोभी–गया एन0एच0–22 पर मेघगारिया काली नगर ग्रामीण सड़क के समीप लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं । स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु ब्रिज के नीचे अंडरपास तथा फुट आवेरब्रिज का शीघ्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, रूपौली मतमाजिक पथ पर बागमती नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण जनहित में अत्यंत आवश्यक है । पुल के अभाव

में क्षेत्र का आवागमन बाधित रहता है । सरकार से इस मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की स्वीकृति और कार्य आरंभ करने की मांग करता हूं ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग शेरघाटी द्वारा अनियमितता किया जा रहा है संपर्क पथ निर्माण कार्य अधूरा करके छोड़ दिया गया और कई संपर्क पथ में सामग्री घटिया लगाया गया है । अतः कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग शेरघाटी पर उच्चस्तरीय जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती सोनम रानी : अध्यक्ष महोदय, सुपौल जिलांतर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के ललित नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय हनुमानगढ़ी का अतिक्रमित भूमि मुक्त करने एवं क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती करने की मांग करती हूं ।

टर्न–8 / मुकुल / 25.02.2026

श्रीमती बिनिता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर विधानसभा के रोह प्रखंड में एक भी कन्या उच्च विद्यालय नहीं है, जिसके कारण रोह प्रखंड के बच्चियों को पठन–पाठन की समस्या बनी रहती है । अतः रोह प्रखंड कन्या उच्च विद्यालय खोलने के लिए सरकार से मांग करती हूं ।

श्री रंजन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के सरकारी विद्यालय बीबी कॉलेजिएट के भवन एवं परिसर को मात्र 2000 रुपये प्रतिमाह किराए पर निजी संस्थान को सौंपने का मामला है, यह गंभीर अनियमितता और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है । सरकार से उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बरौली विधान सभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों बरौली और माझा में खेल स्टेडियम नहीं होने से बच्चों और खिलाड़ियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए गोपालगंज जिले के बरौली और माझा में खेल स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर भारत की अंतिम चीनी मिल बिरला समूह की इकाई हसनपुर में संचालित है गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान उत्पादन घटा रहे हैं, जिससे मिल संकट में है । अतः किसानों के हित में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बिहार के राशन कार्डधारियों को 5 के0जी0 के जगह 4 के0जी0 अनाज मिलने का कारण एस0एफ0सी0 गोदामों में चोरी है । गोपालगंज के बैकुण्ठपुर एस0एफ0सी0 गोदाम में 22 / 02 / 2026 को अनाज चोरी का मामला सामने आया है जिसमें संचालक सहित संबंधित पदाधिकारियों की संलिप्तता है । सरकार सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पथ प्रमंडल कटिहार अंतर्गत 6.20 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय उच्च पथ 131 ए के गोविंदपुर चौक से हसनगंज प्रखंड मुख्यालय में हसनगंज सपनी विभागीय पथ तक अत्यंत महत्वपूर्ण पथ का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण तथा इस पथ पर एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड में उमगा पहाड़ पर अवस्थित उमेंगश्वरी माता मंदिर जहां प्रत्येक वर्ष राजकीय महोत्सव का आयोजन होता है, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उमगा पहाड़ पर जैव विविधता पार्क का निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री माँशरीक मृणाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, खानपुर प्रखंड अंतर्गत शोभन पंचायत के सामने बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण न होने से 5–6 पंचायतों के ग्रामीणों को आज भी नाव से आवागमन करना पड़ता है । बरसात में स्थिति और गंभीर हो जाती है । अतः शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार–पूर्णिया जिला को जोड़ने वाली आर0सी0डी0 सड़क, जो एन0एच0–131 ए फोरलेन बेलौरी–पूर्णिया से सोनैली होते हुए एन0एच0–81 बस्तौल तक जाती है । सीमित चौड़ाई में भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित, दुर्घटना का खतरा एवं आमजनों को आवागमन में असुविधा हो रही है । उक्त सड़क का चौड़ीकरण किया जाए ।

श्री साम्रीद वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विद्यालयों में बी0ओ0ओ0 से बी0ओ0ओ0टी0 मॉडल परिवर्तन से हजारों आई0सी0टी0 इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर संकट है । अतः मैं मांग करता हूं कि नए मॉडल में अनुभवी पुराने इंस्ट्रक्टर्स को प्राथमिकता देकर उनकी सेवा सुरक्षा एवं विस्तार सुनिश्चित किया जाए ताकि इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके ।

श्री सियाराम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन से संबंधित कार्यरत स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों का वेतन भुगतान अगस्त, 2025 से लंबित हैं । उक्त कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, हायाघाट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत प्रखंड हायाघाट एवं बहेड़ी के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार द्वारा ऋण दिया गया था । फसल क्षति के कारण किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हैं । अतएव मैं सरकार से उक्त दोनों प्रखंड के किसानों का ऋण माफ करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सूचना काल में सात माननीय सदस्यों के द्वारा शून्यकाल की सूचना पोर्टल अपलोड नहीं हो पाई है, सिर्फ विषय अपलोड हैं । उनमें श्री अमित कुमार हैं, श्री मंजीत कुमार सिंह हैं, श्री रोहित पाण्डेय, श्री

मनोज कुमार, श्री महेन्द्र राम, श्री राकेश रंजन, श्री अजीत कुमार । आगे से इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सूचना ही विभाग को भेजा जाता है ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन हम आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन आगे से सबलोग इसका ख्याल रखेंगे ।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के गंगा तट पर अवस्थित बाबा बूढ़ानाथ मंदिर क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक धरोहर है, जहां प्रतिदिन हजारों तथा विशेष अवसरों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं । श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था हेतु यहां भव्य मंदिर कोरिडोर का निर्माण आवश्यक है । साथ ही, नाथनगर स्थित मनोशकामनानाथ मंदिर तथा बरारी स्थित राधा कृष्ण मंदिर, बरारी के सौंदर्यीकरण प्रकाश, स्वच्छता एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार से यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आग्रह करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बिहार में यूनिसेफ एवं सरकार के संयोजन से संचालित एस0एम0नेट ने पोलियो उन्मूलन और कोविड प्रबंधन जैसे स्वास्थ्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 31 मार्च, 2026 के बाद इसे समाप्त करने की चर्चा चिंताजनक है । अतः सरकार से एस0एम0नेट का संचालन यथावत जारी रखने की मांग करता हूं ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा हेतु देकुलीधाम, कुअमा व बेलवा घाट में थाना या पुलिस ओ0पी0 की स्थापना आवश्यक है । कुअमा व आसपास के गांव बागमती नदी के दूसरे किनारे हैं । पिपराही थाना दूर होने से आपात स्थिति में लोगों को कठिनाई होती है । अतः जनहित में शीघ्र थाना ओ0पी0 की स्थापना की मांग करती हूं।

श्री सचीन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत कैथवलिया में निर्माणाधीन विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से चकिया केसरिया पथ जाम हो जा रही है, उक्त स्थान पर आवागमन सुचारू करने हेतु स्थाई ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था करने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बम्हौर की 4 एकड़ 26 डिसमिल तथा प्रखंड परिसर स्थिति सरकारी पोखरा की 9 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है । दोनों सार्वजनिक भूमि को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार रजौली विधानसभा क्षेत्र की सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में मृत अथवा वास्तविक लाभुकों के स्थान पर गलत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा हो रहे खाद्यान्न के अवैध उठाव की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा प्रभावित लाभुकों को बकाया अनाज उपलब्ध कराएगी ।

टर्न–09 / सुरज / 25.02.2025

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरान्त समय बचने पर, अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल सूचनाएं ली जायेंगी ।
अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार चौधरी अपनी सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री श्री विनय कुमार चौधरी, उपेन्द्र प्रसाद एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने इतने गंभीर मुद्दे को लिया इसके लिये आपको धन्यवाद ।

कांवरिया बेगूसराय जिला के सिमरिया धाम से मधुबनी जिला के पंडोल में अवस्थित उगना महादेव, भवानीपुर में गंगाजल अर्पित करते हैं । कांवरिया सिमरिया से रोसड़ा बहेड़ा, बहेड़ी होते हुए भवानीपुर जाते हैं । इसी तरह कहलगाँव एवं वटेश्वर स्थान से घोघा होते हुए बासुकीनाथ, पुनपुन नदी घाट से बैजूधाम प्रखंड–गुरूआ गयाजी के लिए नया कांवर पथ वाया–किंजर, टेकारी, गुरूआ, बैजुधाम (विवाह मंडप निर्माण) तथा सोनपुर से मुजफ्फरपुर गरीबस्थान तक नया कांवर पथ की आवश्यकता है । इन तथ्यों पर वर्तमान में भारी वाहन का आवागमन रहता है । साथ ही पीच सड़क है जिससे हजारों की संख्या में जाने वाले कांवरियों को परेशानी के साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ।

अतः पथ निर्माण विभाग से सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ के तर्ज पर विषयांकित पथों के लिए भी अलग से नया कांवर पथ बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय सदस्य जवाब मिला है इसका ?

श्री विनय कुमार : जी, नहीं मिला है ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के सिमरिया धाम से मधुबनी जिला के पंडोल में अवस्थित उगना महादेव मंदिर की कुल दूरी लगभग 115 किलोमीटर है । सोनपुर से मुजफ्फरपुर तक गरीबस्थान और मंदिर तक की कुल दूरी 80 किलोमीटर है । पुनः पुनपुन नदी से बैजुधाम, प्रखंड–गुरूआ गयाजी वाया–किंजर टेकारी गुरूआ, बैजुधाम तक की कुल

लंबाई 91 किलोमीटर है, जिसके 86 किलोमीटर का पथांश एस0एच0–69 का भाग है एवं चौड़ाई 07 मीटर है । शेष पथांश गुरूआ से बैजुधाम की लंबाई 05 किलोमीटर है । इसी प्रकार भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव एवं बटेश्वर स्थान से घोघा होते हुये बासुकीनाथ तक की कुल लंबाई 123 किलोमीटर है । बटेश्वर स्थान से कहलगांव की लंबाई 10 किलोमीटर है । कहलगांव से घोघा की लंबाई 10 किलोमीटर है । घोघा से सन्हौला 16 किलोमीटर है । सन्हौला से पंजबाड़ा 27 किलोमीटर है । पंजबाड़ा से विक्रमपुर 2.60 किलोमीटर है । विक्रमपुर से बौंसी 7.50 किलोमीटर है । बौंसी से बिहार–झारखंड बार्डर की लंबाई 14 किलोमीटर है । यानी कुल लंबाई 87 किलोमीटर है एवं झारखंड में कुल लंबाई 35.90 किलोमीटर है । माननीय सदस्य के द्वारा जो यह ध्यानाकर्षण लाया गया है इस पर हमलोग प्राथमिकता से विचार करेंगे कि क्या संभावना बन सकती है कि वहां पर कांवर पथ बनाया जाए । तकनीकी संभाव्यता, साधन की उपलब्धता को देखते हुये और हमलोग इस पर समीक्षा करके विचार करेंगे ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, सुल्तानगंज से देवघर के बीच में पहले भी कांवर पथ था । जब मुख्यमंत्री नीतीश जी जब 2005 में सरकार में आयें तो एक नया कांवर पथ का निर्माण किया गया ।

(हिंदी रूपांतरण)

महोदय, हम भी उस रोड पर हर साल एक बार पैदल जाते हैं और पहले उस रोड पर जब लोग जाते थे तब लोग एक गाना गाते रहते थे 'छोट–छोट रोड़ी गड़े ओ बाबा, हमरा चललो न जाए छे ।' यह कुंजबिहारी जी जो एक गायक थे यह उन्हीं का गाना था । अब उस रोड पर इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गयी है और पूरे रास्ते में अगर किसी को पता चल जाता है कि हम नीतीश जी और एन0डी0ए0 के एम0एल0ए0 हैं तो लोग जो आप सबको और हमें जो आशीर्वाद देते हैं वह कहने लायक नहीं है । वही आशीर्वाद का परिणाम था कि नितीन नवीन जी जब पथ निर्माण मंत्री थे तो उनको हम कहे थे कि उस पर रोड़ा बहुत गड़ता है तो उस पर वह गंगा जी का बालू गिरवा दिये । तो नतीजा क्या हुआ कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गये । उस समय में जो पदाधिकारी लोग थे कई बार उनका प्रमोशन हुआ और एक्सटेंशन मिला । हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी इसको बनवा दीजिये, समय कोई नहीं देखा है, कहीं वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन जाएं । बाबा से जुड़े इन चारों पथ का निर्माण आप कर दीजिये । आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने कितना ये लोग बोलते रहते हैं कि 20–20 साल मुख्यमंत्री रह गये अगर बाबा के रास्ता को कर दीजियेगा तो बाबा आपको आशीर्वाद देंगे और बाबा का आशीर्वाद तो अध्यक्ष जी को सबसे

पहले मिलेगा क्योंकि इन्होंने ध्यानाकर्षण लिया है और आपको भी मिलेगा। इसलिये आग्रह है कि इसको निश्चित रूप से करवा दीजिये ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : महोदय, जिस जगह का मैंने चर्चा किया वह देवों के देव महादेव का स्थल है और गयाजी तो मुक्ति स्थल है । वहां पर गयाजी में जो मुक्ति स्थल है, दुनिया के लोगों को मुक्ति प्रदान करता है और उस मुक्ति प्रदान करने में महादेव का क्या रोल हो सकता है, यह आप समझ रहे हैं और वहां पर बैजुधाम में हरेक साल हजारों की संख्या में जोड़ियों की शादियां भी होती है और खुले आसमान में होती है । इसलिये वहां पर जो कांवरिया पथ है उसके अलावे विवाह मंडप भी बहुमंजिला विवाह मंडप भी निर्माण करने की आवश्यकता है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी दया के सागर हैं । माननीय मंत्री जी भोलेनाथ के भक्त भी हैं और जब ये उस दिन बजट पर बोल रहे थे तो पूरे देश में हलचल था कि बिहार में कितना काम हो रहा है, इसके लिये इनको हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार बहुत तरक्की कर रहा है और इसलिये केवल एक तरफ से सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा और कांवरिया पथ बनाने से काम नहीं चलेगा । एक समय था जब हरिहरनाथ मंदिर और गरीबनाथ मंदिर तक बिरले लोग जाते थे और आज एक अलग प्रकार से जो सुल्तानगंज से देवघर का पथांश है लगभग वैसी भीड़ मुजफ्फरपुर जाती है । लेकिन हरिहरनाथ से चूंकि भगवान विष्णु अगर निवास करते हैं तो वह गंडक नदी में करते हैं, जिसको नारायणी नदी कहा गया है । महोदय, मेरा प्रस्ताव होगा माननीय मंत्री जी से कि हरिहरनाथ सोनपुर से धनेश्वरनाथ बैकुंठपुर को जोड़ा जाए । वहां से नागेश्वरनाथ जो सिद्धवलिया में है वह जोड़ा जाए । वहां से सीधे सोमेश्वरनाथ जो अरेराज में है उसको जोड़ा जाए और वहां से फिर गरीबनाथ को जोड़ दिया जाए । भरत सरकार इन आध्यात्मिक पथों के लिये, आध्यात्मिक सर्किट के विकास के लिये पैसे देती है और इसलिये आध्यात्मिक सर्किट के माध्यम से इसका डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार से पैसा लिया जाए और इसका विकास उस रूप में किया जाए ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, कहलगांव से बटेश्वर होते हुये जो बासुकीनाथ का है । यह 113 वर्षों से है और बाबा बासुकीनाथ के बारे में लोग कहते हैं कि फौजदारी बाबा हैं तुरंत सुनवाई होती है और आस्था 113 वर्षों से है तो बाबा की कृपा माननीय मंत्री जी पर भी रहेगी और आसन के प्रति भी । आस्था 113 वर्षों से है तो इस पर जरा विशेष ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक बाबा मटेश्वर स्थान है जो मुंगेर घाट से बाबा मटेश्वर स्थान है वहां सावन में काफी भीड़ रहता है और करीब हमको लगता है कि प्रत्येक सोमवारी चार से पांच लाख लोग आते हैं ।

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पथ को भी देखिये चूंकि यह रेलवे लाइन से गुजर कर जाता है । माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दीजियेगा । इस पथ पर भी ध्यान देने की जरूरत है...

अध्यक्ष : श्री विनय बिहारी । संजय जी बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार सिंह : क्योंकि बहुत श्रद्धालु आते हैं और बाबा मटेश्वर स्थान है आप जानते ही हैं इसलिये बहुत जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने एक नाम छोड़ दिया है रामनगर का नर्मदेश्वरनाथ मंदिर । हमारा वाला भी एक ले लीजिये पश्चिमी चंपारण का रामनगर...

श्री नन्द किशोर राम : नर्मदेश्वरनाथ महादेव मंदिर को जोड़ने की मांग मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : हम चारों बोल रहे हैं बाबा नर्मदेश्वरनाथ मंदिर...

टर्न–10 / धिरेन्द्र / 25.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनायें । सारी बातें आ गयी हैं । माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शांति–शांति । शांति बनाये रखें । माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी, बैठ जाइये । सारी बातें आ गयी हैं । बेतिया की बात आ गयी, पश्चिम चम्पारण का ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की भावना को मैंने सुना और बहुत ही अच्छा विचार आया है शिव सर्किट बनाने का । हमने पहले जो उत्तर दिया है तकनीकी संभाव्यता और संसाधन की उपलब्धता का लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्यों के द्वारा सभी बातें रखी गयी हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी ऐसे शिव के पौराणिक मंदिर हैं, वहां से जो माननीय विधायक हैं उनके साथ एक टीम बना कर इसकी समीक्षा कर लेते हैं और जो भी शिव मंदिर पौराणिक मंदिर हैं जहां पर लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और भारी संख्या में लोग जाते हैं और उसका पथ बनाने के लिए कावरियां पथ, उसमें हो सकता है कि कुछ इसमें नाम नहीं है लेकिन उस पथ को बनाने के लिए हम सभी माननीय सदस्यों के साथ जो उस शिव मंदिर के इलाके के माननीय विधायक हैं, उनकी एक टीम बनाकर एक समीक्षा करते हैं और इसको हमलोग भारत सरकार के पास भी प्रपोजल भेजेंगे, बहुत अच्छा होगा कि इस तरह का अगर कांवरिया पथ बन जाता है तो हमारा पर्यटन भी और श्रद्धा भी दोनों धरातल पर उतरने का काम होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी संबंधित माननीय सदस्य लिखित में माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा देंगे । माननीय सदस्या श्रीमती छोटी कुमारी ।

(व्यवधान)

बात आ गई । माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बैठक बुलायेंगे, उसके पहले अपने क्षेत्र का लिखित में दे दीजियेगा, उसी के आधार पर बैठक बुलाकर समीक्षा कर निश्चित भारत सरकार को अनुशंसा करेंगे । माननीय सदस्या श्रीमती छोटी कुमारी, अपनी सूचना को पढ़िये ।

(व्यवधान)

सब शामिल हो जायेगा । पाण्डेय जी, बैठिये ।

(व्यवधान)

आ जायेगा । बाबू लाल शौर्य जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है संबंधित स्थानों का लिखित में दे देंगे तो बैठक बुला कर उसकी समीक्षा वे कर लेंगे । माननीय सदस्या श्रीमती छोटी कुमारी जी ।

श्रीमती छोटी कुमारी, स॰वि॰स॰ से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सहित छपरा नगर निगम एवं रिविलगंज क्षेत्र में बुडको द्वारा संचालित विकास योजनाओं की अत्यंत धीमी प्रगति एवं लापरवाही की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ । बुडको द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में कई योजनाओं को 10 प्रतिशत प्रगति पर दर्शाया गया है किन्तु स्थल निरीक्षण के दौरान अनेक स्थानों पर कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया है, जिससे गंभीर अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है । शिल्पी पोखरा सहित कई परियोजनाओं में अधूरे कार्यों को कागजों पर पूर्ण दर्शाकर राशि का बंदरबाट कर लिया गया है जबकि धरातल पर कार्य गुर्णवत्ता एवं मानकों के अनुरूप नहीं है । ड्रेनेज सिस्टम का कार्य मात्र 34.46 प्रतिशत प्रगति पर है तथा महत्वपूर्ण खनुआ नाला परियोजना अब भी लंबित है, जिसके कारण क्षेत्र में जलजमाव, गंदगी एवं संक्रामक रोगों का खतरा निरंतर बना हुआ है। अरबों रुपये व्यय होने के बावजूद हल्की वर्षा में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी अधिकारियों, संवेदकों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वर्ष 2024–25 में छपरा नगर निगम अंतर्गत स्वीकृत कुल 13 योजनाओं के विरुद्ध 05 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो

गया है एवं 05 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । उक्त के अंतर्गत दो योजनाओं का कार्य प्रारंभ कराया गया था परंतु अतिक्रमण एवं डबल डेकर ब्रिज निर्माण के कारण कार्य स्थगित करना पड़ा है । साथ ही, एक योजना का एकरारनामा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । रिविलगंज नगर पंचायत अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वर्ष 2024–25 में कुल स्वीकृत 05 योजनाओं के विरुद्ध 03 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 02 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वर्ष 2025–26 में छपरा नगर निगम अंतर्गत कुल स्वीकृत 37 योजनाओं के विरुद्ध 04 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 04 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रारंभ कराने की कार्रवाई की जा रही है । इसी प्रकार रिविलगंज नगर पंचायत में कुल स्वीकृत 06 योजनाओं के विरुद्ध 02 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और शेष 04 योजनाओं का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है । छपरा नगर निगम अंतर्गत शिल्पी पोखर में बुडको द्वारा केवल पी॰सी॰सी॰ सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना था जो पूर्ण हो चुका है । उक्त कार्य को गुणवत्तापूर्वक कराया गया है जिसकी गुणवत्ता की जाँच पथ प्रमंडल, छपरा से कराया गया है । छपरा नगर निगम अंतर्गत स्ट्रार्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत नाला निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 40.25 प्रतिशत एवं शेष कार्य प्रगति पर है । उक्त कार्य के तहत प्रस्तावित नाला के एलाइनमेंट में अतिक्रमण विद्युत पोल, वृक्ष इत्यादि के कारण कार्य के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है । फिर भी उक्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए 05 अगस्त, 2026 की समय–सीमा निर्धारित की गई है । छपरा नगर निगम अंतर्गत खनुआ निर्माण कार्य के वर्तमान भौतिक प्रगति करीब–करीब 89 प्रतिशत है एवं योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक निर्धारित की गई है ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । सारी बात आ गयी है ।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर से सहमत नहीं हूँ शिल्पी पोखरा के चारों ओर पी॰सी॰सी॰ पथ का निर्माण तो कराया गया है लेकिन यह जो नाला का निर्माण है वह नहीं कराया गया है और जो डबल डेकर वाला है तो इसको छोड़ दीजिये लेकिन यह 10 परसेंट और 15 परसेंट, 30 परसेंट जो दर्शाया गया है, यहां पर भी काम नहीं हो पा रहा है और मैं यहां पर खुद निरीक्षण करने गई थी तो इसमें पाया गया है कि यहां पर अभी काम की शुरूआत ही नहीं हुई है तो...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बार पूरे मामले की समीक्षा कर लें । माननीय सदस्या ने जिन बातों को उठायी हैं, उसका रिव्यू कर लीजिये, रिव्यू करने के बाद कार्रवाई कराइये । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेरा ध्यानाकर्षण नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कल आ जायेगा । अब शेष शून्यकाल की सूचना ली जायेंगी ।

शेष शून्यकाल

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला अंतर्गत प्रखण्ड–बोधगया में गयाजी–डोभी उच्च पथ में ग्राम–शेखवारा से खरांटी जाने के रास्ते में नहर पर जमींदारी के समय का पुल बना हुआ है जो पूर्णतः जर्जर हो चुका है ।

अतएव, सदन से उक्त पुल के निर्माण हेतु शून्यकाल की सूचना देती हूँ ।

श्री राज कुमार राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलांतर्गत हसनपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय, हसनपुर रोड का भवन 2007 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया । वर्ग–01 से 08 तक कक्षों में कुल 15 सैक्शन हैं, जहाँ कुल 950 बच्चे पढ़ते हैं । भवन पूर्णतः ध्वस्त है ।

सरकार से अतिशीघ्र नए भवन निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह जी, आपका नाम पुकारा गया था, आप नहीं थे । अभी पुनः मैं आपको मौका दे रहा हूँ । पढ़िये ।

श्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर से समय देने के लिए धन्यवाद। महोदय, छातापुर विधानसभा क्षेत्र में स्नातकोत्तर (पी॰जी॰) की पढ़ाई अब तक प्रारंभ नहीं होने से स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है जिससे आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं ।

अतः सरकार से आग्रह है कि छातापुर में शीघ्र पी॰जी॰ पाठ्यक्रम प्रारंभ कराने की मांग करता हूँ ।

टर्न–11 / पुलकित / 25.02.2026

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा क्षेत्र के साम्हर खुर्द पंचायत में साम्हर कला से धमहारा स्टेशन तक जाने वाला पथ अत्यंत जर्जर है । रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली इस सड़क के जर्जर रहने से आमजनों को भारी कष्ट होता है । मैं सरकार से इस पथ के जल्द निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री भरत बिंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के राजा के अकोढ़ी नहर की सड़क जो करगोई, मिरियां–पसौली पुल तक जाती है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है।

अतः उक्त सड़क की चौड़ीकरण की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री पप्पु कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अमर शहीद जगदेव बाबू का सपना हम्मिदनगर पुनपुन परियोजना बराज प्रोजेक्ट औरंगाबाद जिले के पुनपुन नदी तट पर स्थित प्रमुख सिंचाई योजना है जो 20 वर्षों से अधिक समय से अधर में लटकी हुई है।

अतः हम इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने की मांग करता हूँ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला का तेतरिया प्रखंड पूर्व में नक्सल प्रभावित रहा है। यहाँ संचालित राजेपुर थाना अब 6 किलोमीटर दूर रानीपट्टी में शिफ्ट होने जा रहा है जिससे तेतरिया थाना रहित प्रखंड हो जाएगा।

अतः तेतरिया में पुलिस ओ0पी0 का निर्माण करने की सरकार से मांग करते हैं।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में बांग्लादेशी रोहिंग्या बड़ी संख्या में राशन कार्ड, आधार कार्ड के जरिए अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इनके फर्जी दस्तावेज को रद्द कर देश से बाहर करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइए, आपने सूचना पढ़ ली है । माननीय सदस्या सुश्री मैथिली ठाकुर ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, अलीनगर विधानसभा के तारडीह प्रखंड में पोखर भिंडा के वार्ड संख्या–8 में उपेंद्र सिंह के आवास से पंकज सिंह के आवास तक 400 फीट लंबी सड़क सुरक्षा दीवार के अभाव, कटाव से सड़क पर आवागमन जोखिम भरा है, जिसे मरम्मती तथा रिटेनिंग वॉल निर्माण हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : अध्यक्ष महोदय, विशाल क्षेत्रफल, अधिक जनसंख्या एवं पटना से दूरी के कारण भोजपुर, रोहतास, कैमूर एवं बक्सर की जनता को प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः सरकार दीर्घकाल से लंबित जनभावना के अनुरूप पृथक शाहाबाद प्रमंडल बनाने की मैं सरकार से मांग करता हूँ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत अंचल इसुआपुर के ग्राम–डोइला, हंकारपुर, लौंवा, सढ़वारा, चहपुरा, आतानगर, नगराज, सतासी, गोहा, गंगोई, परसा, अमरदह, छपिया, शामकौड़िया, केरवां, सिसवां एवं अन्य गांवों के चौरों से जल निकासी नहीं होने के कारण सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बाधित है। सरकार उक्त चौरों से जल निकासी हेतु आवश्यक कारवाई करावें ।

श्री बबलू कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया के कसरैया धार को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ–साथ चित्रगुप्त नगर स्थित चिल्ड्रन पार्क को विस्तारित करने और दाननगर स्थित सरदार पटेल पार्क में सरदार वल्लभ भाई

पटेल की आदमकद प्रतिमा लगाते हुए जीर्णोद्धार की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिला धान का कटोरा है। विशेषकर करगहर विधान सभा क्षेत्र में सर्वाधिक धान एवं गेहूं का उत्पादन होता है। किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी का अभाव है । मैं मांग करता हूँ कि ग्राम शिवन प्रखंड करगहर में कृषि महाविद्यालय स्थापित करें, यहां उनतीस एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी के कारण किसानों को अधिक मूल्य पर खाद खरीदना पड़ता है।

अतः संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अविलंब जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए सभी दुकानदारों को नियमित आपूर्ति की मांग करती हूँ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा में सरकारी आई0टी0आई0 कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः उक्त विधान सभा के अरेराज अनुमंडल में आई0टी0आई0 कॉलेज खोलने की सरकार से मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री मनोज कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण ।

श्री गौतम कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी विकासात्मक कार्य केवल निविदा से कराने के नए नियमों से छोटे कार्यों में अनावश्यक विलंब होगा। विभागीय स्तर पर कार्य जल्दी होता है।

अतः उक्त निर्देश की समीक्षा कर संशोधन की मांग सरकार से करता हूँ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौरीपुर पंचायत के इंग्लिश तथा सिंघौल पंचायत के औलिया गांव का अस्तित्व महानंदा नदी के कटाव के कारण खतरे में है। उक्त गांवों में बरसात से पहले कटाव रोकने हेतु जरूरी कार्य करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिले में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार हेतु सी0एस0डी0 कैंटीन, जिला सैनिक बोर्ड, ई0सी0एच0एस0 क्लिनिक और सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु 50 डिसमिल भूमि की अत्यंत आवश्यकता है ।

अतः सैनिकों के सम्मान और सुविधा हेतु बक्सर जिला मुख्यालय के समीप अविलंब भूमि आवंटन की मांग करता हूँ ।

श्री आसिफ अहमद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी विधान सभा के ज्यादातर पंचायतों व गांव में नाला एवं जल निकासी की गंभीर समस्या है। वर्षा का पानी सड़कों व बस्तियों में जमा रहता है जिससे गंदगी और बीमारी बढ़ रही है ।

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्रीमती देवंती यादव ।

श्रीमती देवंती यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर से मधुरा होते हुए नरपतगंज जाने वाली सड़क के दोनों तरफ संपर्कता बहाल करने हेतु मुख्य नहर के 88.5 आर0डी0 पर पुल निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करती हूँ।

श्रीमती अश्वमेध देवी : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत विक्रमपुर बांदे पंचायत में पोखर का सौंदर्यीकरण आवश्यक है । यह धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थल है, जहां छठ पर्व सहित अन्य अनुष्ठान होते हैं । श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सरकार से घाट निर्माण, प्रकाश एवं स्वच्छता व्यवस्था कराने की मांग करती हूं।

श्री महेन्द्र राम : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के हाजीपुर–बछवाड़ा रेलखंड पर देशरी स्टेशन ढाला संख्या 37 से प्रतिदिन महुआ, हाजीपुर, जमदाहा, राघोपुर सहित हजारों लोग आते–जाते हैं । प्रतिदिन घंटों यह ढाला बंद रहने के कारण आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः जनहित में यहां आर0ओ0बी0 निर्माण की मांग करता हूं ।

टर्न–12 / हेमन्त / 25.02.2026

श्री रितुराज कुमार : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलांतर्गत घोसी विधानसभा में काजी सराय से लखावर मोड़ तक सड़क का शीघ्र चौड़ीकरण कराया जाए, ताकि जहानाबाद जाने का वैकल्पिक रास्ता बन जायेगा।

अतः सरकार से उक्त सड़क को चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं।

श्री सुभाष कुमार : महोदय, हरखुआ वार्ड नं–24, गोपालगंज में 250 घर तीन तरफ से नहर एवं रेल लाइन से घिरे हैं। रेलढाला सं0–65 / सी0–64 / सी0 तक सड़क निर्माण हेतु NER, वाराणसी द्वारा नगर परिषद, गोपालगंज को अनापत्ति निर्गत है, राशि के अभाव में निर्माण नहीं कराया जा सका है। सड़क निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

श्री भीषम प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत नवतन प्रखंड में 1967 में स्थापित ''दामोदर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, नारायणपुर'' का भवन जर्जर हो चुका है। इससे पठन–पाठन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः सरकार से मैं उक्त विद्यालय में भवन निर्माण की मांग करता हूं।

श्री अभिषेक रंजन : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड में 47 HWC और 3 APHC हैं। इनमें 23 किराये के मकानों, 8 पंचायत भवन और 1 आंगनबाड़ी केंद्र में संचालन हो रहा है। चिकित्सक व प्रसव सुविधा के अभाव से जनता परेशान है। मैं सरकार से भवन व डॉक्टर की व्यवस्था करने की मांग करता हूं।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद विधानसभा के देव प्रखंड अंतर्गत इसरौर पंचायत स्थित कटैया गांव के समीप अदरी नदी पर बना पुलिया काफी पुराना एवं संकीर्ण है और सड़क सुरक्षा मानक के अनुकूल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जनहित में उक्त पुल के नवनिर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, अतरी विधानसभा के अतरी प्रखंड में टेउसा मेंड़ से टेउसा पुल तक एवं मोलनागा बाजार में सड़क किनारे दोनों तरफ पक्का नाला निर्माण आवश्यक है, ताकि जलजमाव खत्म हो। सरकार से शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की मांग करता हूं।

श्री पुरन लाल टुडू : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के बॉउसी प्रखण्ड अन्तर्गत सांगा पंचायत में भुरभुरी नदी है, जो झारखंड राज्य की सीमा के मुख्य मार्ग से सटा हुआ है, नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण जनता, किसान एवं मरीजों को आवागमन में कठिनाई होती है, भुरभुरी नदी में पुल बनाने की मांग करता हूं।

श्री नंद किशोर राम : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला में रामनगर, गौनाहा, वाल्मीकिनगर, धनहा, बगहा–1, बगहा–2 प्रखंडों की दूरी जिला मुख्यालय से बहुत अधिक है, जनता को प्रशासनिक कार्यों हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला बनाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच, पंच, न्याय मित्र एवं सचिवों को देय विशेष भत्ता तथा यात्रा भत्ता वर्ष–2011 से अब तक लंबित है। मैं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का लंबित बकाये भत्ते का भुगतान करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

श्री राहुल कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् 1952 में शाहबाद नार्थ तथा 1957 में बक्सर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय निर्वाचित स्व0 महाराजा कमल प्रसाद सिंह के निधन (05.01.2020) के बाद डुमरांव में स्थापित उनकी मूर्ति का अब तक अनावरण नहीं हुआ है। सरकार से निवेदन है कि शीघ्र अनावरण कराया जाय।

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता विधानसभा अंतर्गत गोगरी नगर परिषद के हजारों गरीब परिवार की जमीन की रसीद नहीं काटने के कारण वे सभी परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, जबकि वे लोग 50 वर्ष से ज्यादा दिन से वहां हैं।

अतः मैं सरकार से जमीन की रसीद कटवाने की मांग करता हूं।

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत बहादुरगंज और कोचाधामन में फौजीकैंप के लिए गरीब किसानों से उपजाऊ जमीन ली जा रही है। इससे हजारों परिवारों का चूल्हा बुझ जाएगा। सरकार से आग्रह है देश की सुरक्षा और किसानों की रोटी दोनों का ख्याल रखते हुए, इस कैंप को किसी गैर आबादी वाली जमीन पर बनाया जाय।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत जमुई–कटौना पथ में किऊल नदी पर निर्मित सिकेरिया घाट पुल से गरसंडा ग्राम होते हुए पथ निर्माण विभाग की मांगोबंदर–गिद्धोर सड़क से जुड़ने वाली पथ को आर0सी0डी0 में अधिग्रहित कर उक्त पथ का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, लौरिया विधानसभा अंतर्गत योगापट्टी प्रखंड के पंचायत बहुअरवा स्थित गोइताटोला मिश्रौली+2 उच्च विद्यालय की जमीन अतिक्रमित होने से विद्यालय भवन का निर्माण बाधित है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त जमीन को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करें ताकि विद्यालय भवन का निर्माण हो सके।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा पर कार्यरत वार्डन–सह–शिक्षिका, लेखपाल, आदेशपालक, रसोइया, गार्ड आदि कर्मियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन लागू किया जाए। 10 साल से अधिक कार्यरत सभी कर्मियों को सेवा स्थाईकरण, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टी, ऐच्छिक स्थानांतरण, ईपीएफ कटौती आदि की सुविधा दी जाए।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड के ग्राम पंचायत मदारगंज निवासी रतन ठाकुर, जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए उनके सम्मान में उच्च विद्यालय, मदारगंज का नामकरण शहीद रतन ठाकुर उच्च विद्यालय, मदारगंज करने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष : शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है। सदन की सहमति से इन्हें लिखित उत्तर के लिए विभाग को भेजा जाता है।

(सदन की सहमति हुई)

<u>पढ़ी हुई मानी गयी शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

मोहम्मद मुर्शिद आलम : राज्य के 1128 अनुदानित मदरसों तथा अनुदानित संस्कृत विद्यालयों में Science शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, मदरसा शिक्षकों प्रतिमाह मानदेय B.sc वाले को 6000/– I.sc वाले को 3000/– संस्कृत विद्यालय वाले को नियत मानदेय 20000/– दिया जाता है। उक्त मदरसा शिक्षकों को नियत 20000/– मानदेय देने की मांग करता हूँ।

श्री मुरारी पासवान : भागलपुर जिलान्तर्गत स्थित राजा धर्मपाल के शासनकाल के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वैश्विक ज्ञान का मुख्य केन्द्र था, को नालंदा

के तर्ज पर आधुनिक शिक्षा, शोध सुविधाएँ और सांस्कृतिक सरंक्षण के रूप में अंतराष्ट्रीय ख्याति का शिक्षण संस्थान बनाने हेतु मैं सरकार से मॉग करता हूँ।

श्री राम सिंह : पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा विधानसभा अंतर्गत चौतरवा NH.727 के बगल में बहुत बड़ा पोखरा हैं उस पोखरा को सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार से माँग करता हूँ।

मो0 गुलाम सरवर : पूर्णिया जिलांतर्गत बायसी विधानसभा में प्राथमिक विद्यायल मंडेल, फकीरटोला भुतहा, पुरबटोला चरैया, मुंशीटोला ताराबारी, डुमराटोला ब्रहमपुर, दरियापुर पुरबटोला, मंझेली, मीनापुर कुल 29 विद्यालयों को वर्षों से भूमि उपलब्ध है भवन निर्माण नहीं हुआ। बच्चे दूर पढ़ने जाने को विवश है । उक्त विद्यालयों में भवन निर्माण का मांग करता हूं।

श्रीमती छोटी कुमारी : छपरा संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद औद्योगिक विकास के अभाव में युवा पलायन को विवश हैं। छपरा में औद्योगिक पार्क स्थापित होने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा और उत्तर बिहार को लाभ मिलेगा। बंद पड़ी मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः चालू करने की मांग करती हूं ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : नोखा विधान सभा प्रखंड नोखा में चौसा लाईन पर कृष्णापुर दुधार पुल अंग्रेजों का बनाए हुए संर्कीण पुल जो जर्जर अवस्था में है। बड़े वाहनों का आवागमन संकीर्णता के चलते नहीं होता है, किसान या आमजनों को कठिनाई होती है। उक्त जगहों पर पुल निर्माण की मांग करता हूं।

श्री राधाचरण साह : भोजपुर जिला के संदेश प्रखण्ड अंतर्गत कोरी बाजार में पथ निर्माण विभाग की सड़क पर सालों भर जल–जमाव रहने के कारण आम जन–जीवन बुरी तरह प्रभावित है।

अतः मैं जनहित में कोरी बाजार पर सड़क की दायीं तरफ जल निकासी हेतु नाला निर्माण की मांग करता हूँ।

श्री मनोज विश्वास : क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोगबनी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों नर्सों एवं आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। भवन, उपकरण और आपातकालीन सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

श्री शंकर प्रसाद : मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड अंतर्गत दो पंचायतों की 10 हजार आबादी की बच्चियों को उच्चशिक्षा हेतु लगभग 6 किमी दूर जाना पड़ता है। असुरक्षा के कारण छात्राएं आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। मध्यविद्यालय नीमटोला मंझौलिया को बालिका उच्चविद्यालय में अपग्रेड करने की सरकार से मांग करता हूँ।

श्री अजय कुमार : बिहार में कृषि योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु पृथक कृषि अभियंत्रण निदेशालय का गठन अत्यंत आवश्यक है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर तकनीकी निगरानी के लिए कृषि अभियंत्रण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंताओं के नियमित पद सृजन की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री संजय कुमार : नरकटियागंज विधान सभा में अगर उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बकाया है। उनका कनेक्शन बिना पूर्व सूचना काट दिया जाता है जिससे आमजन को परेशानी होती है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि कनेक्शन काटने से एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य किया जाए ।

श्री प्रमोद कुमार : पूर्वीचम्पारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के ऐतिहासिक मोतिझील पर N.H.9 बरियारपुर से P.W.D रोड को कृष्णनगर, L.N.D महाविद्यालय, अस्पताल, स्टेशन, N.H.9 सिंघिया जोड़ने वाला ओवर फ्लाई निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ, ताकि जाम का निदान हो सके।

श्रीमती अनीता : लखीसराय जिलान्तर्गत प्रखण्ड–सुर्यगढ़ा में ग्राम कोनीपार एवं मानीकपुर के बीच गड़खै नदी का पुल टुट गया है। जिससे ग्राम–मानीकपुर, लक्ष्मीपुर, कबाड़पुर, खाड़पुर, इमामनगर, गरीबनगर, कोनीपार, टाल–वंशीपुर, डीघरे, भवानीपुर, बाकरचक के ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है।

अतः उक्त स्थल पर पुल निर्माण करवाने की मांग करती हूँ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत मोतिहारी कोटवा पथ में शंकरसरैया चौक अतिव्यस्ततम होने के कारण जाम लगने से आवागमन बाधित होता है शंकरसरैया मुख्य चौक से गुजरने वाली चारों सड़कों का चौड़ीकरण, दोतरफा नाला एवं मुख्य चौराहा पर गोलंबर निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री संतोष कुमार : राज्य में कमकर एवं खरवार के लोगों की स्पष्ट जाति नहीं होने के कारण जाति प्रमाण–पत्र से वंचित रह जा रहे है। मैं कमकर एवं खरवार के लोगों का जाति एवं कैटगिरी स्पष्ट करते हुए जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की सदन के माध्यम से माँग करता हूँ।

श्री अरूण कुमार : पटना जिलांतर्गत बख्तियारपुर नगरपरिषद के मध्य विद्यालय रवाईच तथा दनियांवा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय दनारा की अत्यंत जर्जर भवन, चाहरदीवारी के अभाव तथा रवाईच विद्यालय में नंगी बिजली की तार लटकने से बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न है। क्या सरकार तत्काल नए भवन, चाहरदीवारी निर्माण एवं सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

श्रीमती मनोरमा देवी : गयाजी जिला के बेलागंज सहित राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को काफी कम वेतन मिलता है, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने में कठिनाई होती है।

अतः मैं सरकार से उक्त सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मानजनक वेतन वृद्धि करने की मांग करती हूं।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : कैमूर जिला अन्तर्गत प्रखंड दुर्गावती में श्रीरामनवमी में माँ कुलेश्वरी धाम मे एक माह तक आयोजित होने वाले प्राचीन मेला एवं प्रखंड रामगढ़ के देवहलिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में एक हफ्ते तक आयोजित होने

वाले प्राचीन मेला को सरकार से राजकीय मेला का दर्जा देने की माँग करता हूं।

श्री उपेन्द्र प्रसाद : गयाजी के गरूआ गुरारू परैया में पीएम आवास सर्वेक्षण, 2025 के दौरान बहुत सारे श्रमिक, गरीब, महादलित परिवारों के अनुपस्थित होने के कारण इस लाभ से वंचित हो गए थे। सरकार से मांग करता हूं सर्वे पोर्टल को समय सीमा देकर पुनः खोले जिससे कि छूटे हुए परिवार का नाम जुड़े।

श्री नचिकेता : जमालपुर विधानसभा अंतर्गत हवेली खरगपुर प्रखंड में खरगपुर झील से पटवन के लिए कैनाल से मणि नदी पर खंडबिहारी बियर का जीर्णोद्धार एवं उससे निकलने वाली शेष कैनल की लाइनिंग कार्य और इस पर कुल्हारिया से शामपुर, मुजफ्फरगंज केनाल, परसंड़ो और भूशिचक केनाल लाइनिंग कार्य को पूरा करवाया जाय।

श्री अजय कुमार : राज्य के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों द्वारा वित्तीय एवं सिग्नेचरी का प्रभार नहीं लेने से रात्रि प्रहरियों का वेतन विगत–6,7,8 महीनों से लंबित है जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से ऑनलाइन डीबीटी या सीएफएमएस द्वारा वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : मुसहर/भूईयां जाति सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक जाति है। जातिय जनगणना में दो जाति मे बाँट दिया गया है। सरकार से मांग करता हूँ कि मुसहर/भूईया को गजट में एक जाति मुसहर लिखी जाए।

श्री रणविजय साहू : समस्तीपुर जिला के मोरवा में अवस्थित बाबा केवल स्थान को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने 2022 में 6 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। उक्त स्थल पर अस्पताल बनाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री राम चन्द्र सदा : खगड़िया जिला अन्तर्गत असोली विधान सभा क्षेत्र के जहांगीरा पंचायत में लक्ष्मीयाँ महादलित टोला वार्ड नं–2 से लेकर रमुनियाँ महादलित टोला वार्ड नं–1 तक कच्ची सड़क है। इस सड़क के बन जाने से लगभग तीस हजार आबादी को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

श्री मिथुन कुमार : भागलपुर जिलांतर्गत नाथनगर प्रखंड के नाथनगर थाना चौक से अनाथालय रोड स्थित रेलवे अंडरपास के ऊपर R.O.B नहीं रहने के कारण लाखों यात्रियों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से R.O.B बनवाने हेतु मांग करता हूं।

श्री इन्द्रदेव सिंह : सिवान जिलान्तर्गत सहलौर–नौरंगा पथ से शिवकबीर सीनियर सेकेंडरी हाईस्कूल इलामदीपुर होते हुए बुद्धिछापरा मठिया तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे छात्रों एवं आमजनों को आवागमन में काफी परेशानी होती है।

अतः मैं सरकार से उक्त सड़क को निर्माण कराने हेतु माँग करता हूँ।

श्री केदार प्रसाद : मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड 39 पंचायत के बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 25 से 30 K.M की दूरी पर शहर जाना पड़ता है। मैं सरकार से कुढ़नी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का मांग करता हूं।

श्री देवेशकान्त : बिहार में कृषि शिक्षा के प्रति बढ़ते रूझान के बावजूद सीटों की भारी कमी है स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लिए मात्र 330–400 सीटें है, जबकि सफल अभ्यर्थी 30,000 से अधिक हैं। इस असंतुलन से विशेषज्ञ तैयार नहीं हो पा रहे हैं।

अतः सरकार प्रत्येक जिले मे कृषि महाविद्यालय स्थापित करे।

श्री मुरारी मोहन झा : दरभंगा जिला के प्रखंड सिंघवाड़ा अंतर्गत पंचायत कलिगांव स्थित प्राथमिक विद्यालय चमनपुर के बच्चे पाँचवा पास करने के बाद छठा वर्ग में नामांकन के लिए विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण पढ़ाई निरंतर नहीं कर पाते हैं, उक्त विद्यालय को मध्य विद्यालय में प्रोन्नत करने की मांग करता हूं।

श्रीमती सावित्री देवी : जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखण्ड के महतोडीह से कौझी होकर झारखंड सीमा चितरडीह से जमुआ तथा मेघनी से मधुपुर एवं सोनों प्रखण्ड के करमटिया, सारेबाद तथा चरकापत्थर, गगनपुर तथा मोतीसिंहडीह से झाझा सीमा तक पथों के पक्कीकरण करने हेतु सरकार से माँग करती हूँ।

श्रीमती गायत्री देवी : सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत भीसवा सीतामढ़ी से पटना बिहार राज्य परिवहन विभाग की बस नहीं चलने से गरीब जनता को जिला मुख्यालय एवं राजधानी पटना जाने में कठिनाई होती है।

अतः भीसवा से सीतामढ़ी होते पटना बिहार राज्य परिवहन बस चलाने की मांग सरकार से करती हूं।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : परियोजना निदेशक बुडको, मोतिहारी की निविदा सं–03/2025–26, ग्रुप सं–02 में चयनित संवेदक के अवैध कागजातों और गलत कार्यों सम्बन्धी परिवादों के जाँच की खानापूर्ति कर कार्यपालक अभियंता ने संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया। अतएव कार्यो को रोकते हुए कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के विरूद्ध जाँच की माँग करती हूँ।

श्री महेश पासवान : अगिआंव विधान सभा के अंतर्गत आरा–सासाराम मेन रोड से पशुमेला होते हुए लालगोबिंद पासवान, उ०म०वि० बराप, महादलित टोला होते हुए सतमाई तक सड़क जर्जर है। ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है।

अतः बिहार सरकार से जनहित में शीघ्र पक्की सड़क निर्माण की मांग करता हूं।

श्री कमरूल होदा : जिला व प्रखंड किशनगंज अन्तर्गत सिंधिया कूलामनी पंचायत के सेतीघट्टा–चौंदी के निकट रमजान नदी धार पर अवस्थित पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अवागमन बाधित है।

अतः मैं उक्त पुल का निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : औरंगाबाद जिला के गोह प्रखण्ड अन्तर्गत देवहरा पंचायत में भृगु ऋषि का आश्रम स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां भृगुरारी मेला लगता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री ललित नारायण मंडल : भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करहरिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने की मांग इस सदन से करता हूं।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : सीतामढ़ी जिला के रीगा विधानसभा क्षेत्र में रीगा एवं सुप्पी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज पूर्व से सरकारी या निजी नहीं है, सरकार की घोषित नीति के अनुसार हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज आवश्यक है। अतः रीगा एवं सुप्पी प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग करता हूं।

श्री नागेन्द्र राउत : सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड प्रखंड के ग्राम मतौना में अवस्थित मध्य विद्यालय के पास तीन कमरे हैं उसमें से दो कमरे क्षतिग्रस्त है। भूमि रहने के बावजूद भी मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 8 तक के पठन–पाठन हेतु भवन निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं।

श्री ललन राम : औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ग्राम घेऊरा के खाता संख्या–104, प्लॉट नंबर 1512, थाना नंबर 436, मौजा घेऊरा, रकबा 06 एकड़ में डिग्री कॉलेज एंड टेक्निकल कॉलेज खोलने की मांग करता हूं।

श्री सुजीत कुमार : बिरौल में न्यायाधीशों, पदाधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मियों के निवास हेतु आवासीय भवन निर्माण करवाये जाने की मांग करता हूं।

श्री अरूण मांझी : पटना जिला अन्तर्गत धनरूआ प्रखण्ड के मधुवन पथरहट पंचायत में जो जगह एन0एच0–22 के नजदीक पर सटे पूरब परती सरकारी जमीन है। जिसमें बाजार समिति का निर्माण करवायें।

श्री राजेश कुमार : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर में सभी संकाय में निर्धारित सीट कम के कारण स्नातक पास विद्यार्थियों का नामांकन स्नातकोत्तर में नहीं होने से उच्चशिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अतः सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर में 30 प्रतिशत सीट बढ़ाने के संबंध में।

श्री रूहेल रंजन : इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक–एक सरकारी डिग्री कॉलेज एकंगरसराय प्रखंड में स्थापित किया जाए, वहां के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए जरूरी है।

श्री जिवेश कुमार : हमारे क्षेत्रान्तर्गत राढ़ी दक्षिणी पंचायत अंतर्गत नरौछ वार्ड 01 महादलित बस्ती में 7–8 वर्षों तक मीटर रीडिंग नहीं ली गई, आर0आर0एफ0

के द्वारा निःशुल्क बिजली की भ्रामक जानकारी दी गयी। अब 30–35 हजार रूपये बिल लगाया गया है। ब्याज माफी, किस्त सुविधा एवं पूर्व आर0आर0एफ0 पर कार्रवाई की जाय।

श्री विनय कुमार सिंह : सारण जिला के हरिहरनाथ थाना अंतर्गत दिनांक 09.12.2025 को सुबोध कुमार के साथ झांसा देकर 14 लाख रूपया की छिनतई की गयी, जो हरिहरनाथ थाना में केस संख्या 135/25 दर्ज है, अपराधी की गिरफ्तारी एवं लूटी गयी रकम की बरामदगी कराने की कार्रवाई की जाए।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–13 / संगीता / 25.02.2026

(अंतराल के बाद)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

आज माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी जी का जन्मदिन है, उन्हें कुछ कार्यक्रम में भाग लेना है । अतः सदन की सहमति से मैं ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्पों को पहले ले रहा हूं, फिर क्रमवार चलेगा ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–8 : श्री भरत बिंद, स0वि0स0

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर प्रखंड के बरली गाँव में सड़क एवं नाली न होने से जल–जमाव के कारण आवागमन में परेशानी होती है। उक्त ग्राम में पक्की सड़क एवं नाली निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ योजना एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित हुआ है, जिसके कारण यह ग्रामीण कार्य विभाग के एम0आई0एस0 पर प्रविष्ट नहीं है । विभाग द्वारा निर्मित सभी पथ एम0आई0एस0 पर प्रविष्ट रहता है, जिसे एम0आई0एस0 पर ऑनलाइन देखा जा सकता है । विभाग द्वारा निर्मित एम0आई0एस0 पर प्रविष्ट पथों को प्राथमिकता के आधार पर चयन की स्वीकृति दी जाती है । अन्य योजना से निर्मित पथ के अर्हता की जांच कर निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने का काम करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भरत बिंद : जी, मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–17 : श्री प्रकाश चन्द्र, स0वि0स0
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–40 : श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०

श्री अवधेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधान सभा के सभी पंचायतों में बारिश से जल–जमाव का निकासी हेतु पूर्व से बनाए गए सड़कों में पुलिया एवं परम्परागत स्रोत बन्द हो जाने के कारण हो रहे जल–जमाव की समस्याओं का निदान करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण पथों के निर्माण अनुरक्षण के क्रम में पथ के डी0पी0आर0 निर्माण के दौरान आवश्यकतानुसार ह्यूम पाईप कलवर्ट का प्रावधान किया जाता है, जिसमें पथ के एक तरफ से जल दूसरी तरफ निकल जाए एवं पथ पर जल ओवरटॉप नहीं हो पाए । पथ के आरेखन में यदि कोई नदी–नाला अथवा अन्य जलस्रोत क्रॉस कर रहा है तो स्थल पर क्रॉस ड्रेनेज के निर्माण का प्रावधान डी0पी0आर0 में किया जाता है । साथ ही, कलवर्ट सीडी की समय–समय पर सफाई करायी जाती है ताकि जल की निकासी आसानी से हो सके । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अवधेश सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–41 : मो० तौसीफ आलम, स०वि०स०

मो० तौसीफ आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड टेढ़ागाच्छ के मटियारी घाट में एक पूल का निर्माण होने से बहादूरगंज एवं टेढ़ागाच्छ प्रखंड– मुख्यालय की दूरी 10 कि0मी0 कम करने हेतु मटियारी घाट पर पुल का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । अतः उक्त स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अभिस्तावित पुल के एक तरफ बसावट कमरखोद, गोवावाड़ी एवं दोदरा को संपर्कता पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अंतर्गत निर्मित पथ

दीघलबैंक, तेरागाछ रोड वाया मटिहारी पार्ट–बी से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल के दूसरी तरफ बहादुरगंज, टेढ़ागाछी, आर0सी0डी0 पथ है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें, अगले वित्तीय वर्ष में जब सरकार के पास पुल निर्माण की नई योजना शुरू होगी तो जिला संचालन समिति से पुल का प्रस्ताव भेजेंगे, सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : वापस तो लेना ही है हुजूर लेकिन महोदय, बहुत बड़ा मुद्दा है ये.. .

अध्यक्ष : इसीलिए तो माननीय मंत्री ने कहा है कि...

श्री मो0 तौसीफ आलम : मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कब तक मंगा लेंगे ? अगले साल का तो हो ही जाएगा लेकिन एक समयसीमा हो जाता तो ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–48 : श्री अनिल कुमार, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–61 : श्री रणविजय साहू, स०वि०स०

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अन्तर्गत लरूआ पंचायत में नुन नदी पर सखुआ घाट के निकट एक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित मोरवा प्रखंड अन्तर्गत लरूआ पंचायत में नुन नदी पर सखुआ घाट के निकट पुल के निर्माण हेतु प्रभारी मंत्री, समस्तीपुर जिला की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–16 पर सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिब्लिटी के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प लेने की कृपा करें । वैसे माननीय सदस्य को बता देते हैं कि मैं खुद इनके विधान सभा में गया था, 140 रोड पिछले वित्तीय वर्ष में इनको दिए हैं, 214 किलोमीटर और 4 ब्रिज माननीय नेता नीतीश कुमार ने इनको दिया है और 177 करोड़ रुपया इसलिए माननीय सदस्य से यह आग्रह करते हैं कि सरकार के ऊपर विश्वास करिए, नीतीश जी के नेतृत्व पर विश्वास कीजिए, आने वाले

वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची में आ जाएगा, निधि की उपलब्धता रहेगी, आपका बना दिया जाएगा ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में 2 पुल का अनुशंसा जिला संचालन समिति के द्वारा किया गया था । किसी कारणवश एक पुल हमारे मोरवा विधानसभा का छूट गया इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इसको करवा दें ।

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री रणविजय साहू : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–67 : श्री राणा रणधीर, स०वि०स०

अध्यक्ष : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह को उन्होंने प्राधिकृत किया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के सिरहां पंचायत ग्राम इटवा में बूढ़ी गंडक पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नागत पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत जिला संचालन समिति के सूची के क्रमांक–24 पर अंकित है । पुल की तकनीकी संभाव्यता प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । वैसे हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि पिछली बार 73 रोड, 106 किलोमीटर और 11 ब्रिज इनके विधान सभा में सरकार ने दिया है, 161 करोड़ रुपये की इसीलिए सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है कि बिहार का विकास हो, आने वाले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता पर आगे इस पर विचार किया जाएगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी को और जैसा बता रहे हैं मंत्री जी लगता है कि कोई क्रमिक विकास नहीं होने वाला था, सीधा विकास होने वाला है, सीधा हम कर दिए । एक क्रमिक विकास भी तो होता है कि एक औसत विकास होना है राज्य का, तो ऐसे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि सबकुछ हम कर दिए, बहुत अच्छी बात है अगर सबकुछ आपने कर दिया है...

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : नहीं, नहीं हम नहीं किए, हम बार–बार कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया और माननीय नेता ने किया ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय, महोदय, हमारी बात भी सुन लीजिए अगर आपने विकास कर दिया है, बहुत अच्छी बात है तो एक पुल यह भी आप बनवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी और आवागमन का एक सुचारू साधन प्राप्त हो जाएगा ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : प्रस्ताव वापस ले रहे हैं इस आग्रह के साथ कि आप पुल बनवा देंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–120 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स०

अध्यक्ष : इसमें श्री कुमार शैलेन्द्र जी को प्राधिकृत किया गया है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी प्रखंड के रामपुर तिलक और लादूगढ़ पंचायत को जोड़ने वाली हा हा धार पर कोशिका मंदिर के पास एवं गंगापुर पंचायत के मेहता टोला से भित्ता टोला को जोड़ने वाली कोशी क्रांति नदी पर सुगम आवागमन हेतु पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी टेक्निकल फिजिब्लिटी दिखवा लेते हैं इस पुल का, टेक्निकल फिजिब्लिटी दिखवाने के बाद अगर निधि की उपलब्धता रहेगी तो अगले वित्तीय वर्ष में इसको लेने का काम करेंगे । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–78 : श्री मिथुन कुमार, स०वि०स०

श्री मिथुन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत नाथनगर प्रखण्ड के NH-80- चम्पानाला से राधोपुर चौक, शाहपुर पुल होते हुए गंगाचक, अमरी विशनपुर तक 08 किलोमीटर सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

टर्न–14 / यानपति / 25.02.2026

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ निर्माण पथ ग्रामीण कार्य विभाग के पांच पथों से संबंधित है जिसकी स्थिति निम्नवत

है । छपना नाला से हरदासपुर पथ इस पथ की मरम्मती कार्य नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत छोटी हरदासपुर महादलित टोला से श्रीरामपुर तक पथ के नाम से दिनांक–17.07.2022 को पूर्ण किया गया है । इस पथ की लंबाई 01.20 कि0मी0 एवं कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मी0 है । वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के चतुर्थ वर्ष में है । हरदासपुर के राघोपुर पथ इस पथ की मरम्मती कार्य नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत एन0एच0–80 चंपा नाला से राघोपुर पथ के नाम से दिनांक–27.12.2024 को पूर्ण किया गया है । इस पथ की लंबाई 2.325 कि0मी0 एवं कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मी0 है । वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है। राघोपुर से शाहपुर पुल तक पथ यह पथ ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राघोपुर चौक से शाहपुर पुल तक के नाम से स्वीकृत एवं एकाकृत है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 03.02.2026 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 02.02.2027 है । इस पथ की लंबाई 1.8 कि0मी0 और कैरेज वे की चौड़ाई लगभग 3.75 मी0 है । वर्तमान में पथ मरम्मती की कार्य प्रगति पर है । शाहपुर पुल से गंगाचक पथ इस पथ का निर्माण एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत आर0ई0ओ0 रोड से गंगाचक पथ के नाम से दिनांक 26.06.2024 को पूर्ण किया गया है । इस पथ की लंबाई 3.3 कि0मी0 तथा कैरेज वे 3.75 मी0 है । वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है । गंगाचक से अमरी विशनपुर पथ इस पथ का निर्माण कार्य एम0एम0जी0एस0वाई के अंतर्गत एस 036 अमरी से विशनपुर पथ के नाम से 29.12.2024 को पूर्ण किया गया है । इस पथ की लंबाई एक कि0मी0 है एवं कैरेज वे की चौड़ाई 3.75 मी0 है । वर्तमान में पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के द्वितीय वर्ष में है । अनुरक्षण अवधि के समाप्ति के पश्चात उक्त सभी पथों का प्राथमिक सर्वे संसाधन की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलिटी के आधार पर उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण के समय अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मिथुन कुमार : महोदय, वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–83 श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०
(माननीय सदस्य अनुपस्थित)
क्रमांक–94 श्रीमती निशा सिंह, स०वि०स०
(माननीय सदस्या अनुपस्थित)
क्रमांक–106 श्रीमती कविता देवी, स०वि०स०
(माननीय सदस्या अनुपस्थित)
क्रमांक–74 श्रीमती संगीता देवी, स०वि०स०

श्रीमती संगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ लेती हूं ।

अध्यक्ष : पढ़ लीजिए ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत 65 बलरामपुर विधानसभा के बारसोई प्रखंड में अत्यधिक आबादी होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है साथ ही नागरिकों को पब्लिक सर्विस प्राप्त करने में काफी समय लगता है अतः उक्त सरकार से बारसोई प्रखंड के आबादपुर, हरनारोई, शिवानंदपुर, धरमपुर, चापाखोर, नलसर, लगुवा, एवं लगुवा दासग्राम पंचायत को मिलाकर एक नया प्रखंड बनवावे।"

अध्यक्ष : इसका जवाब बाद में आ जायेगा ।

क्रमांक–108 मो० सरवर आलम, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषि । माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र आप प्राधिकृत हैं ।

क्रमांक–120 श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स०वि०स०

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैंने पढ़ लिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हो जायेगा, अभी शांति से बैठिए । हो जायेगा, सबका हो जायेगा, बैठिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित संकल्प दो पुलों के निर्माण से संबंधित है । लादूगढ़ हटिया के पास रामपुर धार में पुल निर्माण जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–64 पर यह पुल अंकित है । लोहियापुर मेहता टोला धार में पुल निर्माण जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–41 पर अंकित है । इन दोनों पुलों का निर्माण एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अंतर्गत अग्रेतर कार्रवाई निधि की उपलब्धता, प्राथमिकता एवं टेक्नोफिजिबिलिटी के आधार पर की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए । श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी का जो आपने पढ़ा था, उसका जवाब हुआ है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : वापस लेते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–121 : श्री विशाल कुमार, स०वि०स०

श्री विशाल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला, प्रखंड– बंजरिया के पंचायत पचरूखा पूर्वी खैरा घाट के पास सिकरहना नदी में पूल का नवनिर्माण कार्य करावे।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुल के एक तरफ खैरा गांव एवं खैरा घाट एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खैरा टु खैरा घाट से संपर्कता प्राप्त है एवं दूसरी तरफ गोकुला बाजार बसावट को न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी 2018 योजनांतर्गत एल069 पी0एम0जी0एस0वाई0 टु सिसुआ गोकुला बाजार पथ से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर नहीं है । जिला संचालन समिति की सूची में भी शामिल नहीं है और हमलोगों ने यह निर्णय, सरकार ने निर्णय किया था कि जिला संचालन समिति से जो पुलों का नाम आयेगा, ग्रमीण कार्य विभाग उसको ही कंसीडर करेगी । इसलिए भविष्य में जो बैठक होती है अगर जिला संचालन समिति में इसको शामिल कर लेंगे तो आनेवाले समय में हमलोग इसपर विचार करेंगे निधि की उपलब्धता पर । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री विशाल कुमार : सर, मेरा आग्रह होगा कि इसको बनवा दिया जाय । ये रास्ता सीधे नेपाल को जोड़ता है । मैं वापस लेता हूं लेकिन आग्रह है कि बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–134 श्री गुलाम सरवर, स०वि०स०

श्री गुलाम सरवर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अन्तर्गत बायसी प्रखण्ड के मीनापुर पंचायत के परमान नदी गोटफोर धार पर पूल निर्माण करावे।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित संकल्प परमान नदी गोटफोर धार पर पुल निर्माण से संबंधित है । यह पुल जिला संचालन समिति की प्राथमिकता सूची के क्रमांक–36 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता प्राथमिकता अनुसार टेक्नोफैसेबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री गुलाम सरवर : महोदय, इस पुल के बनने से 22 कि0मी0 की दूरी आठ कि0मी0 में बदल जायेगी । अनुमंडल मुख्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : ठीक है ।

श्री गुलाम सरवर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–135 श्री अरूण मांझी, स०वि०स०

श्री अरूण मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत प्रखण्ड धनरूआ नदमा स्थित एन० एच० 22 से एस० पी० एम० पथ ग्रामीण कार्य विभाग सड़क को पथ निर्माण विभाग सड़क में स्थानांतरण करावे।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एन0एच0–22 से एस0पी0एम0 पथ वाया सुनमई यह पथ शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0–2 अंतर्गत 9 ए ओरियारा पथ के नाम से निर्मित है कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 02.08.2021 है । एन0एच0–22 से एस0पी0एम0 पथ किस्तीपुर तक वाया कोसू यह पथ दो पथों से संबंधित है । एन0एच0–22 मधुबन यह पथ क्रमांक–1 में वर्णित पथ का पथांश है । मधुबन से किस्तीपुर तक इस पथ का मरम्मती कार्य बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत किस्तीपुर से मधुवन वाया कोसू के नाम से दिनांक–08.03.2021 को पूर्ण किया गया है । उक्त पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पांचवें वर्ष में है । उक्त पथों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने हेतु पथ निर्माण विभाग के पास कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । लेकन यह पांचवें अनुरक्षण अवधि में है तो जैसे ही पांचवां अनुरक्षण खत्म होगा हमलोग स्वयं इसे पॉलिसी में लेंगे इसमें हमलोग प्रयास करेंगे कि अगर ट्रैफिक फ्लो होगा तो चौड़ीकरण के साथ इसको बना दिया जायेगा ।

श्री अरूण मांझी : माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । अब क्रमवार होगा । श्री विनय कुमार सिंह ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, पथ निर्माण विभाग का बाकी रह गया है ।

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य का हो रहा था ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पथ निर्माण का सब पढ़ रहे थे ।

अध्यक्ष : आयेगा । श्री विनय कुमार सिंह ।

टर्न–15 / मुकुल / 25.02.2026

श्री कुमार शैलेन्द्र : सर, मेरा पथ निर्माण का बाकी रह गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह ग्रामीण कार्य विभाग का हो रहा था ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : नहीं, पथ निर्माण का सब कोई पढ़ा है सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह आयेगा । श्री विनय कुमार सिंह, पढ़िए ।

<u>क्रमांक–1 : श्री विनय कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री विनय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल के नयागांव को प्रखण्ड कार्यालय का दर्जा दिलावे''।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलांतर्गत सोनपुर प्रखंड के नयागांव को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखंडसृजन संबंधी विहित प्रपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित

प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारा रह गया है ।

अध्यक्ष : अब फिर से नहीं । आपका नाम पुकारा गया था, अब आप बैठ जाइये ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा 83 नंबर है ।

अध्यक्ष : हम आपको बताते हैं कारण क्या है । आपका हम करवा देते हैं ।

श्री विनय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रमंडलीय आयुक्त से प्रतिवेदन मांगने के लिए कहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस लेने का बोलिए ।

श्री विनय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी ने, हम कहना चाहेंगे कि अभी प्रश्नोत्तर काल में हमको जवाब मिला था कि यह जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वापस लेना चाहते हैं ।

श्री विनय कुमार सिंह : महोदय, जिला पदाधिकारी द्वारा नयागांव को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंधित विविध पत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया था । पूर्व में ही अध्यक्ष महोदय कई बार कराया जा चुका है । फिर पुनः मंत्री जी कहते हैं तो ठीक है कमिश्नर साहब से प्रतिवेदन भेज दिया जायेगा लेकिन जब स्वीकार ही कर लिये मंत्री जी तो वापस लेने की क्या बात है, उसको स्वीकार कर दें, पारित कर दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । ,,

<u>क्रमांक–2 : श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, स0वि0स0</u>

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवगछिया भागलपुर जिला अंतर्गत एक सब–डिवीजन एवं ब्लॉक है, जिसे 1990 के दशक में मतलब 36 साल पहले बढ़ते अपराधिक घटना के नियंत्रण करने वास्ते तत्कालीन सरकार ने नवगछिया को स्वतंत्र नवगछिया पुलिस जिला के बतौर मान्यता प्रदान किया गया था, जिससे इस क्षेत्र में कानून–व्यवस्था को लागू करने में गुणात्मक सुधार परिदर्शित हुआ है, नवगछिया एक पूर्ण जिला हेतु आवश्यक सभी शर्तो एवं मानकों को पूरा करने की अहर्ता रखता है ।

अतः नवगछिया पुलिस जिला बल को पूर्ण जिला का दर्जा दिलावे ताकि नवगछिया का समुचित विकास हो सके ।"

हुजूर, यह बहुत गंभीर मामला है, इसको आप अपने स्तर से भी दिखवा लें । हम तो समझ रहे हैं कि मंत्री जी कहेंगे वापस ले लीजिए, लेकिन इतना गंभीर मामला है कि 36 साल हो गया नवगछिया पुलिस जिला बने हुए और सभी अर्हताएं पूरी कर रहा है जिसके चलते नवगछिया आज विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है । इसलिए मंत्री जी से चाहूंगा कि नवगछिया पुलिस जिला को पूर्ण जिला बनावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : जिला अनुमंडल, प्रखंड अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । इस प्रकार नवगछिया पुलिस जिला बल को पूर्ण जिला बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल : हुजूर, यह तो मैं पहले ही कहा था कि वापस लेने की बात आयेगी लेकिन मैं आपसे और सरकार से भी अनुरोध करता हूं, चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, नवगछिया के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और सारी अर्हताएं पूरी कर रहा है, अब जिला से नहीं आया है तो जिला से मंगवा लिया जाए सरकार के माध्यम से और उसको दर्जा दिलवाया जाए । चूंकि अब मंत्री जी का हुआ है कि वापस ले लें तो मैं उनके समर्थन में वापस भी लेता हूं लेकिन उनको पूर्ण जिला बनवाया जाए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–83 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०</u>

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत मोरसंड पंचायत के गौड़ीगमा ग्राम के वार्ड–15 लखनदेई नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, यह कराना बहुत जरूरी है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसको करवा दें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत मोरसंड पंचायत के गौड़ीगामा ग्राम के वार्ड–15 बसावट को एल0ए0ई0ओ0 की सड़क एन0एच0–77 कटरा मोड़ से सम्पर्कता प्राप्त है । लखनदेई नदी के दूसरी तरफ की बसावट चकदोनाई को नयी अनुरक्षण नीति 2018 योजना अंतर्गत रून्नीसैदपुर से चकदोनाई पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । लखनदेई नदी पर विषयांकित पुल स्थल के 0.96 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम पर एन0एच0ए0आई0 द्वारा उच्च स्तरीय पुल निर्मित है एवं 6.5 कि0मी0 के अप स्ट्रीम पर पुल निर्माण निगम द्वारा स्थलीय पुल निर्मित है । प्रश्नाधीन मोरसंड पंचायत के गौड़ीगामा ग्राम के वार्ड–15 लखनदेई नदी पर पुल निर्माण हेतु जिला संचालन समिति, इसके माननीय सदस्य खुद भी मेम्बर हैं, सीतामढ़ी द्वारा कोई प्रस्ताव अनुशंसित नहीं है, यह पुल निर्माण हेतु अभी विचाराधीन नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को लगता है कि यह बहुत जरूरी है तो आने वाले समय

में जिला संचालन समिति से पुल के लिए प्रस्ताव भेजेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : आप कह रहे हैं माननीय मंत्री जी तो हम वापस तो ले ही रहे हैं, मगर आग्रह, विनती और निवेदन है कि इसको बनवाने का कष्ट करेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–3 : श्री आदित्य कुमार, स०वि०स०

श्री आदित्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर शहर में गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदमकद प्रतिमा स्थापित करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिवंगत महानुभावों की प्रतिमा स्थापना हेतु अनुशंसा देने के लिए विभागीय संकल्प संख्या–730, दिनांक–30.04.2007 द्वारा राज्य स्तर पर राज्यस्तरीय अंतर्विभागीय समिति एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में स्थल चयन समिति गठित है । स्थल चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाती है । सम्प्रति भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा प्रश्नगत स्थल पर स्थापित करने से संबंधित सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे इस पर विचार करेंगे महोदय । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री आदित्य कुमार : मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–108 : मो० सरवर आलम, स०वि०स०

मो० सरवर आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के ग्राम पंचायत डेरामाड़ी के मोहरमाड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कनकई नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के स्वीकृत आरेखन पर नहीं है तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति से प्राप्त प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के एक तरफ से बसावट भोगल को पंचायत योजना द्वारा निर्मित सड़क एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है तथा दूसरी तरफ की बसावट को मस्जिदगढ़ को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनांतर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । सम्प्रति पुल निर्माण का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, आने वाले समय में जब जिला संचालन समिति की बैठक हो और सरकार जब पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगे, उसकी प्राथमिकता सूची

में इसको अंकित कराइयेगा, सरकार निधि की उपलब्धता के अनुसार इस पर विचार करेगी । इसलिए आपसे आग्रह है कि संकल्प को वापस लें ।

मो0 सरवर आलम : सर, यह बहुत ही है, दोनों तरफ से सम्पर्क है लेकिन लगभग 10 कि0मी0 जो है घूमकर जाना पड़ता है वहां से और बीच में अगर पुल हो जाता है तो 10 कि0मी0 की दूरी कम हो जायेगी, इसलिए सर आपसे आग्रह है कि इसको जिला में बोलकर के जिला पदाधिकारी को इसको अविलंब कराया जाए, चूंकि यह जरूरी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

मो0 सरवर आलम : ठीक है मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–16 / सुरज / 25.02.2026

क्रमांक–4 श्री रूहेल रंजन, स०वि०स०

श्री रूहेल रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में नाली एवं गली से संबंधित समस्याएं और इसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विभाग पृथक रूप से गठित करावे।"

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला नये विभाग के गठन से संबंधित है इसलिये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को स्थानांतरित किया गया है ।

क्रमांक–5 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–6 श्रीमती अनीता, स०वि०स०

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक–7 श्री अमरेन्द्र कुमार, स०वि०स०

श्री अमरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत हसपुरा बाजार में रोज घंटो जाम लगने की समस्या को दूर करने हेतु पचरूखिया रोड गिरधारी प्रसाद गुप्ता कॉलेज से चौराही रोड होते हुए पहरपुरा रोड तक एक बाइपास सड़क का निर्माण करावे।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत पचरूखिया हसनपुर पथ में हसपुरा बाईपास के निर्माण से संबंधित कार्य योजना एक्शन प्लान में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त है । तकनीकी संभाव्यता, संसाधन

की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप बाईपास पथ के निर्माण पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जनहित का मामला है । हसपुरा बाजार में जाम लगा रहता है, छात्रों और मरीजों को काफी समस्या होती है । महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण करा दिया जाये और हम अपना संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–106 श्रीमती कविता देवी, स०वि०स०

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखंड में मधुरा पंचायत के ग्राम मधुरा में कारी कोशी नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड में मधुरा कारी कोशी नदी पर 150 मीटर लंबे पुल के निर्माण का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत जिला संचालन समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिक सूची में सम्मिलित है, जिसका क्रमांक–34 है । निधि की उपलब्धा, प्राथमिकता एवं टेक्निकल फिजिबिलीटी के आधार पर अभिस्तावित पुल के निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, से कहेंगे कि माननीय मंत्री जी जितना जल्दी हो सके करा दें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–94 श्रीमती निशा सिंह, स०वि०स०

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखंड के रोहिया में आजमनगर को जोड़ने वाली बहुप्रतिक्षित महानंदा नदी के ऊपर पुल का निर्माण करावे।"

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ महानंदा नदी के पश्चिम बांध से सटे बसावट रोहिया को पी0एम0जी0एस0वाई0–3 अंतर्गत निर्मित पथ टी–09 पी0डब्लू0डी0 रोड वसतुला–सोनाली भोगवाहा टू रोहिया वाया गोंडा पथ से एकल संपर्कता प्रदत्त है तथा दूसरी तरफ आजमनगर प्रखंड को आर0सी0डी0 पथ से संपर्कता प्राप्त है ।

अभिस्तावित पुल ग्रामीण कार्य विभाग के आरेखन पर अवस्थित नहीं है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के अपस्ट्रीम में 5.5 किलोमीटर के पूर्व में पुल निर्मित है । जिला संचालन समिति द्वारा अभिस्तावित पुल निर्माण का प्रस्ताव प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । सम्प्रति पुल निर्माण का प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र में कई बार से मांग किया जा रहा है और बहुत ही जरूरी है । माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि इस पर विचार जरूर किया जाए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला संचालन समिति, हमलोग अपने निर्णय नहीं करते हैं। जिला संचालन समिति में खुद सदस्य सभी विधान परिषद्, विधान सभा के मेंबर होते हैं और उनके द्वारा यह लिस्ट बनता है और उसमें प्रायोरिटी फिक्स होती है और उसके बाद जो सरकार के पास निधि उपलब्ध होती है, जिससे हम बनाते हैं तो जब यह बैठक होगी तो माननीय सदस्या इसमें इंक्लूड करके भेजेंगी । निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करेगी ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्रीमती निशा सिंह : जी धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–38 श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स०</u>

श्री अख्तरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह देश के दो संवैधानिक महापर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणंतत्र दिवस के अवसर पर विधायकों के लिए झंडातोलन के संबंध में कोई नीति नहीं बना पाई है। पंचायतों में ग्राम पंचायतों के मुखिया, प्रखंडों में पंचायत समिति के प्रमुख, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला में जिला पदाधिकारी अथवा प्रभारी मंत्रियों द्वारा झंडा फहराया जाता है, किन्तु विधान सभा स्तर पर विधायकों के लिए कोई नीति न बनने के कारण विधायकों के गरिमा की अनदेखी एवं उपेक्षा महसूस होती है।

अतएव, विधान सभा स्तर पर झंडोतोलन के संबंध में विधायकों के लिए सरकार स्पष्ट नीति बनावे।"

यह पूरे सदन का मसला है, बड़ा गंभीर मसला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री अख्तरूल ईमान : आप कस्टोडियन हैं सर ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति । विषय को रख दिये तो फिर, बैठिये ।

श्री अख्तरूल ईमान : बहुत गंभीर मुद्दा है महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये तो । गंभीरता को खत्म कर रहे हैं आप । बैठिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय विधायकों के द्वारा झंडातोलन हेतु कोई प्रस्ताव सम्प्रति सरकार के विचाराधीन नहीं है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं । आपका प्रस्ताव था आपने पढ़ दिया है, सरकार ने जवाब भी दिया है। अब अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री श्रवण कुमार मंत्री : अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, आप कस्टोडियन हैं । सरकार यह पॉलिसी क्यों नहीं लायेगी, गंभीर मामला तो है नहीं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अख्तरूल ईमान : नहीं सर, वोटिंग कराइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री कुमार सर्वजीत ।

<u>क्रमांक–9 श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स०</u>
(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार सिंह यादव ।

श्री अख्तरूल ईमान : वोटिंग करवाइये सर ।

अध्यक्ष : कोई वोटिंग नहीं, बैठिये ।

<u>क्रमांक–10 श्री सतीश कुमार</u> सिंह यादव<u>, स०वि०स०</u>
(माननीय सदस्य द्वारा नहीं पूछा गया)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री केदार प्रसाद गुप्ता । पढ़िये ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये ।

(व्यवधान)

बैठिये आप । आपको इसलिये प्राथमिकता दिया था हमने, बैठिये ।

क्रमांक–11 श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड के 37 पंचायत से 14 पंचायत को अलग कर मनियारी को प्रखंड बनावे।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड के 37 पंचायतों से 14 पंचायत को अलग कर नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखंड सृजन संबंधी परिपत्र 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं 2015 से सदन में हूं तब से गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कुढ़नी को अलग प्रखंड बनाने की मांग करता रहा हूं और प्रमंडलीय आयुक्त से, सभी जगह से रिपोर्ट भी आता रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–17 / धिरेन्द्र / 25.02.2026

....क्रमशः....

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ जनहित में चूंकि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समिति की बैठक जब होगी तो विचार किया जायेगा । अभी वापस ले लीजिये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–12 : श्री विनोद नारायण झा, स॰वि॰स॰

श्री विनोद नारायण झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेनीपट्टी प्रखण्ड एवं विस्फी प्रखण्ड के कुछ पंचायतों को अलग कर जनहित में अरेर को प्रखण्ड बनावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलांतर्गत अरेर को नये प्रखण्ड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखण्ड सृजन संबंधी प्रपत्र–ख कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी विसंगति है प्रखण्डों के निर्माण में । मेरे विधान सभा में बेनीपट्टी 33 पंचायतों का प्रखण्ड है और कलुआही 11 पंचायतों का प्रखण्ड है, बगल में बिस्फी 29 पंचायतों का प्रखण्ड है । इसीलिए इस विसंगति को दूर करते हुए बनाने की कृपा करें और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–06 : श्रीमती अनीता, स॰वि॰स॰</u>

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखण्ड में ग्राम–पैंगरी के निकट सकरी नदी में चेक डैम का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इसमें आपने जो दिया है, क्रमांक–06 में मैं देख रहा हूँ इसमें नवादा जिलांतर्गत पकरीवरावां में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का लिख कर आपने दिया है । आप कहीं और चली गईं ।

(व्यवधान)

ठीक है, मौका हम दे रहे हैं । कोई पैरवी मत कीजिये । हम दोबारा मौका दे रहे हैं । पढ़िये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । माननीय सदस्या, क्रमांक–06 पर है। पढ़िये ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अभी नई–नई आयी हैं इसलिए दिक्कत हो रही है ।

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिलार्न्तगत प्रखण्ड–पकरीवरावॉ में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार के सात निश्चय–1 कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधीन नवादा जिले के नरहट प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम–खनवा में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, नवादा की स्थापना की गई है । राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, नवादा का प्रवेश क्षमता 360 है, इस संस्थान में जिले के अन्य प्रखण्डों के छात्र–छात्राएं भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन ले सकते हैं । वर्तमान में सरकार के अधीन नवादा जिलांतर्गत प्रखण्ड पकरीवरावॉ में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिए माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, वापस ले लीजिये ।

श्रीमती अनीता : महोदय, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–9 : श्री कुमार सर्वजीत, स॰वि॰स॰

श्री कुमार सर्वजीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखंड से डिग्री कॉलेजों की दूरी लगभग 80 से 85 कि०मी० दूर रहने के कारण छात्रों को काफी कठिनाइयाँ होती है, इसलिए फतेहपुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है, वस्तुस्थिति यह है कि गयाजी जिलांतर्गत फतेहपुर प्रखण्ड में पूर्व से ही महादेव प्रसाद कॉलेज संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित है । उक्त प्रखण्ड में तत्काल डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसके संबंध में अगले चरण में विचार किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने आपको यह प्रस्ताव भेजा है कि वहां पर पहले से कॉलेज है, इसकी जाँच करा कर जरूर आप उनको दंडित कीजियेगा । एक कॉलेज वहां पर नहीं है और सदियों से मांग होती रही है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार वहां दिखवा लेगी ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, आप स्वयं वहां के रहने वाले हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार निश्चित दिखवा लेगी । आप अपना प्रस्ताव ले लीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, अंत में हम सिर्फ इतना ही आग्रह करेंगे कि सरकार के द्वारा फतेहपुर प्रखण्ड में कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति मिली है, उस कॉलेज को फतेहपुर और टनकुप्पा के बीचों–बीच बनवा दिया जाय ताकि दोनों प्रखण्ड के लोगों के लिए सुविधा हो और यह प्रस्ताव हमने जिलाधिकारी से भी आग्रह किया है कि सेंटर में हो जाए ताकि बिहार में पहला वह विधान सभा है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय आ गया है । अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जहां बिरहोर जाति के लोग रहते हैं, पूरे बिहार में कहीं नहीं हैं । आज भी वह जाति शिक्षा से अधूरा है और अपने जीवनशैली में वे जीते हैं । घर से नहीं निकलते हैं, जंगल में रहते हैं तो इस पर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस ले लीजिये, आपने विषय रख दिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में हम प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–10 : श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स॰वि॰स॰</u>

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखण्ड के अवहियाँ मौजा में 30 एकड़ कृषि फार्म की जमीन पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना करावे।"

महोदय, वहां कृषि महाविद्यालय की बहुत जरूरत है क्योंकि कैमूर जिला कृषि प्रधान है और कैमूर को धान का कटोरा भी कहा जाता है और...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, कैमूर के मोकरी, बेतरी का चावल दिल्ली और कोलकत्ता में जाता है और कृषि महाविद्यालय नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बगल के जिलों में है । उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तीन–तीन कृषि महाविद्यालय है लेकिन हमलोगों का जिला अछूता है । इसलिए कैमूर जिला से सौतेला व्यवहार न हो । इसलिए कृषि महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि फार्म का कुल रकवा 10 हेक्टेयर है, इसमें 08 हेक्टेयर में भूमि पर खरीफ और रबी गरमा मौसम में प्रजनक बीज का प्रयोग करते हुए गुणात्मक प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है, 02 हैक्टेयर में गोदाम, खलिहान, रास्ता, कुंआ एवं तलाब है । उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज निगम में खुदरा में जमा किया जाता है तथा इसी निगम के माध्यम से किसानों को गुणवत्तायुक्त उत्तम और नीवनतम प्रमाणित बीज सुलभ होता है, जिसके उपयोग से फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों के आय में भी वृद्धि होती है । कैमूर जिला के सीमावर्ती दो जिला भोजपुर और बक्सर में पूर्व से दो कृषि महाविद्यालय स्थापित हैं । भोजपुर जिला में, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा और बक्सर में, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय,

डुमरावं में वर्तमान में कार्यरत है जिससे छात्रों के कृषि विषयों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है । कैमूर जिला में कृषि विज्ञान केन्द्र भी कार्यरत है जहाँ किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीक के संबंध में जानकारी दी जाती है, जिससे कृषक लाभान्वित होते हैं तथा फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है । अतः सरकार के स्तर पर कैमूर जिला में कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधित कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है । वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे संकल्प को कृपया वापस लें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन दो महाविद्यालयों का जिक्र है, वह कैमूर जिले से दोनों की दूरी 150–200 किलोमीटर...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, एक बार आश्वासन मिल जाय कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बात आ गई है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में वहां महाविद्यालय स्थापित हो जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बातों को माननीय मंत्री जी ने कहा है । कृपया वापस ले लें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–18 / पुलकित / 25.02.2026

<u>क्रमांक–107 : मो० कमरूल होदा, स०वि०स०</u>

मो० कमरूल होदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अन्तर्गत ए0एम0यू0 शाखा के निर्माण के लिए वर्ष 2011 में 224 एकड़ जमीन कुलपति ए0एम0यू0 को बिहार सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया है। उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु राशि आवटंन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–22.11.2011 के मद संख्या 29 में दी गई स्वीकृति के उपरांत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक– 1265 (6), दिनांक 01.12.2011 के आलोक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को बिहार राज्य में विश्वविद्यालय का कैंपस खोलने हेतु किशनगंज जिले में, किशनगंज में जमीन दी गई है । कुल मिलाकर 224.02 एकड़ गैर–मजरूआ खास भूमि को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को निःशुल्क स्थानीय हस्तांतरण किया जा चुका है । उक्त आशय की सूचना कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को विभागीय पत्रांक–703 / 6, दिनांक 03.12.2011 द्वारा दी जा चुकी है । किशनगंज जिले के उक्त हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण, संचालन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा किया जाना है । जो केंद्र सरकार के क्षेत्राधीन है । इसलिए राज्य सरकार ने अपना जो भी कार्य करना था, पूरा कर लिया है। यह कार्य अब शेष केंद्र सरकार को करना है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

मो० कमरूल होदा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि केंद्र सरकार को सिफारिश किया जाए कि पैसा आवंटन करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ? आपने अनुरोध कर दिया है, अब अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

मो० कमरूल होदा : ठीक है, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–93 : श्रीमती श्वेता गुप्ता, स०वि०स०</u>

श्रीमती श्वेता गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिवहर जिले के अशोगी बाजार में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं के अभाव में आम जनता को भारी कठिनाइयों का निराकरण हेतु शिवहर जिले के अशोगी बाजार में केंद्रीकृत बैंक की नई शाखा खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उप महाप्रबंधक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के पत्रांक–601, दिनांक 17.02.2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शिवहर जिले के अशोगी बाजार में 5 किलोमीटर के दायरे में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों की 3 शाखाएं, 4 ग्राहक सेवा केंद्र एवं 2 ए0टी0एम0 उपलब्ध है । इसका विवरण निम्नलिखित है– बैंक ऑफ बड़ौदा, बसंत पट्टी 3 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा अदौरी शाखा 5 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा अशोगी बाजार 0 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा चक सोनाली 2 किलोमीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा 1 किलोमीटर, बिहार पुनरिया शाखा 3 किलोमीटर, बिहार ग्रामीण बैंक बरही जगदीशपुर, यूको बैंक पुनरिया, भारतीय स्टेट बैंक 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पर है ।

उपरोक्त वर्णित बैंक शाखा एवं ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से शिवहर जिले के अशोगी बाजार के निवासियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक शाखा खोलने हेतु बैंक संबंधी सक्षम प्राधिकार मूलभूत बैंक आउटलेट खोलने का निर्णय, व्यावसायिक उद्देश्यों और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है। माननीय सदस्या अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती श्वेता गुप्ता : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक–13 : श्री जनक सिंह, स०वि०स०</u>

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अंतर्गत तरैंया विधान सभा के प्रखंड इसुआपुर एवं पानापुर का प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 30 वर्षो से लंबित है। जनता को असुविधा, अधिकारियों को परेशानी, कार्यकुशलता में कमी तथा अन्य समस्याओं के देखते हुए भूमि का अधिग्रहण करते हुए उक्त भवनों का निर्माण करावे।"

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री रत्नेश सादा द्वारा आसन ग्रहण किया गया)

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह ग्रामीण विकास में स्थानांतरित है । सारण जिला अंतर्गत इसुआपुर एवं पानापुर का प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए भू–अर्जन के प्रस्ताव की मांग समाहर्ता, सारण से की गई है । भूमि उपलब्ध होने के उपरांत संबंधित प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि भूमि उपलब्ध कराने में कुछ सहयोग करें तो जल्दी हो जाएगा । राज्य में कुल 32 ऐसे प्रखंड सह अंचल कार्यालय हैं जहां भूमि उपलब्ध नहीं है । हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी प्रयास करेंगे । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जनक सिंह : माननीय सभापति महोदय, वर्षों–वर्षों से लंबित है। यह अंचलाधिकारी दोनों अंचलाधिकारी तरैया तो पूर्ण बनकर तैयार है। इसुआपुर और पानापुर का भेजा जा चुका है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अपने स्तर से इसको त्वरित कार्रवाई करें ताकि जनहित का विषय है ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बता दिये हैं । आप अपना प्रस्ताव वापस लें ?

श्री जनक सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–14 : श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स०</u>

श्री रामसेवक सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ जंक्शन से गुजरने वाली लम्बी दूरी की ट्रेनों का ठहराव हथुआ जंक्शन पर करने के संम्बन्ध में रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, गोपालगंज जिला अंतर्गत हथुआ जंक्शन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव हथुआ जंक्शन पर करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सिफारिश करती है ।

श्री रामसेवक सिंह : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–15 : श्री अभिषेक आनंद, स०वि०स०

श्री अभिषेक आनंद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के चेरियाबरियापुर विधान सभा में गोंड जन जाति का जाति प्रमाण–पत्र नहीं बनने से समुदाय के लोग सभी तरह के सरकारी लाभ से वंचित है, सरकार गोंड जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समाहरणालय बेगूसराय के पत्रांक संख्या–289, दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन अंचल चेरिया बरियारपुर, खौदावनपुर एवं छौड़ाही तथा नावकोठी की 1.5 पंचायत आती हैं । साथ ही, जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा सूचित किया गया है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चेरिया बरियारपुर अंचल में ही गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। अंचलाधिकारी चेरिया बरियारपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोंड़ जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार गजट के असाधारण अंक के पत्र संख्या 11/अ–2, अ–नि (05)/2010 सा0प्रा0, 673, दिनांक 08.03.2011 की कंडिका 09 में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समुचित साक्ष्यों तथा कंडिका 9.1 राजस्व अभिलेख अथवा खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि, एवं कंडिका 9.2 कंडिका 9.1 के उल्लेखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति मानते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

अंचलाधिकारी, खौदावनपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोंड़ जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति इस अंचल अंतर्गत निवास नहीं करते हैं । अंचलाधिकारी, छौड़ाई तथा नावकोठी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अब तक गोंड़ जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में, माननीय सदस्य अनुरोध हैं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न–19/हेमन्त/25.02.2026

श्री अभिषेक आनंद : माननीय मंत्री महोदय, 2022 के बाद से एक भी गोंड जन जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है और बिना किसी रीजन के उसे निरस्त कर दिया जाता है। यह मौलिक अधिकारों का हनन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अभिषेक आनंद : बिल्कुल। मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–16 : श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स०

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला अन्तर्गत सुपौल जिला मुख्यालय होकर बहने वाली गजना नदी का जीर्णोद्धार करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, जल संसाधन।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह नगर विकास एवं आवास विभाग को स्थानांतरित है। लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, हम लोग पदाधिकारी भेज कर उसका सर्वेक्षण करा लेते हैं और उसकी संभाव्यता के हिसाब से उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना अभिस्ताव वापस लें।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?।

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, यह जो नदी है, कोशी की उपधारा थी पहले, जब कोशी बहती थी। पूर्वी कोशी बांध बनने के बाद, यह एक नाला का काम करने लगी। बहती बरसात में शहर और बगल के गांवों का पानी इससे बहने लगा।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव : एक मिनट सर। यह धीरे–धीरे गाद से भर गया है और भूमि माफिया द्वारा उसका गलत कागज बना कर, उसमें लोग खरीद रहे हैं और घर भी बना रहे हैं। 2–4 वर्ष में पूरा बंद हो जाएगा, शहर डूबेगा। इसलिए, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–18 : श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स०

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय प्रमोद कुमार जी हमको ऑथराइज किये हैं पढ़ने के लिए।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : ठीक है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित सीमा में ईलाज कराने हेतु चिकित्सा कार्ड निर्गत करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : महोदय, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–22814,

दिनांक 25.02.2008, विभागीय संकल्प संख्या 94614, दिनांक 14.08.2015 एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न संकल्पों, परिपत्रों के आलोक में सरकारी, गैर सरकारी, निजी अस्पतालों में कराए गए इलाज की चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य है। विधान मंडल के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, विचाराधीन है, तो इसको करवा दिया जाए जल्दी। लगातार सदन में बार–बार ये सवाल गूंजता है और बहुत दिनों से विचाराधीन है, तो इसको आदेश कर दीजिए। महोदय, इस प्रस्ताव पर आदेश दे दिया जाए।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : संकल्प वापस तो लेना ही है।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–19 : श्री केदार नाथ सिंह, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–20 श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स०

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के केवटी सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत स्थित श्मसान घाट का सौंदर्यीकरण एवं चाहरदीवारी निर्माण करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, गृह विभाग।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : सभापति महोदय, यह संकल्प स्थानांतरित है पंचायती राज विभाग को।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : महोदय, सात निश्चय–तीन अंतर्गत ''सबका सम्मान, जीवन आसान'' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित एवं संचालित श्मशान घाट, मोक्ष धाम को विकसित किए जाने की कार्य योजना पर कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत क्रियाकर्म हेतु एक चबूतरा, अंत्येष्टि हेतु शेड, प्रतीक्षा शेड, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्नानागार एवं घेराबंदी आदि का निर्माण किया जाएगा। विभागीय पत्रांक 1344 दिनांक 02.02.2026 द्वारा राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि पर अवस्थित शवदाह गृह, मुक्ति धाम का निर्माण अगले तीन वर्ष में चरणबद्ध तरीके से किए जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को निदेश दिया गया है। प्राक्कलन, नक्शा एवं दिशा निर्देश उपलब्ध कराने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाए।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, कई एक जगह निजी जमीन भी है, सरकारी जमीन जहां है, वह तो ठीक है, उस पर सरकार ने निर्णय लिया है, करवाएंगे तीन वर्ष के अंदर, मगर कई एक जगह ऐसा श्मशान का मामला है कि लोग आपस में मिलकर चंदा करके जमीन को खरीदे हुए हैं और वहां लाश जलाने का काम करते हैं। महोदय, उस पर भी विचार किया जाए, जब सरकार सोच ही रही है इतने बड़े स्तर पर, तो इसको भी जोड़ दिया जाए।

श्री दीपक प्रकाश, मंत्री : महोदय, जमीन भी अगर वह सरकार के, राज्य पाल के नाम से..

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें।

श्री मुरारी मोहन झा : ठीक है महोदय।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सम्मति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–21 : श्री संजय कुमार, स०वि०स०

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, श्री संजय कुमार जी हमको ऑथराइज किये हैं।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : ठीक है।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पाटलीपुत्र के ऐतिहासिक धरती कुम्हरार में कुम्हरार महोत्सव मनावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : महोदय, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित संकल्प है। महोदय, इस संकल्प के संदर्भ में विभाग जिला पदाधिकारी को पत्राचार करेगा और तद्नुसार विचार करेंगे।

अतः माननीय सदस्या अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें।

श्रीमती निशा सिंह : उचित जवाब दिया जाए और फिर हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक–22 श्री राज कुमार राय, स०वि०स०

श्री राज कुमार राय : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखण्ड के हसनपुर बाजार में जाम से मुक्ति के लिए रामपुर रेलवे ढाला से मिल चौक होते हुए बीरपुर इमली चौक तक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल की कुल लंबाई जी 2500 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर है। यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 अंतर्गत संधारित है एवं पथ की स्थिति अच्छी है। प्रश्नगत स्थल के हसनपुर प्रखंड के हसनपुर बाजार में रामपुर रेलवे ढाला से मिल चौक होते हुए बीरपुर इमली चौक तक फ्लाई ओवर ब्रिज आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक संख्या 1458 ई0बी0, दिनांक 23.02.2026 द्वारा

पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस करें।

श्री राज कुमार राय : धन्यवाद महोदय।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

टर्न–20 / संगीता / 25.02.2026

क्रमांक–23 : श्री विनय बिहारी, स०वि०स०

श्री विनय बिहारी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण के योगापट्टी अन्तर्गत नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरू बाबा मछेन्द्रनाथ की पावन धरती नवसृजित नगर पंचायत मच्छरगावां एवं योगापट्टी प्रखंड को मिलाकर जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मच्छरगावां के नाम पर अनुमंडल बनाने की कार्रवाई करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार में अभी नये अनुमंडलों के सृजन पर कोई विचार नहीं चल रहा है । जब सरकार विचार करेगी तो विचार करेगी अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री विनय बिहारी : सभापति महोदय, विचार करने के लिए ही तो इस मंदिर में हमलोग आए हैं, विचार कब होगा ?

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : क्या आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री विनय बिहारी : नहीं, नहीं । मुझसे ही मोहब्बत है और मुझसे ही शहंशाही है, समझ में नहीं आ रही है कि किस बात की बेवफाई है ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–24 : श्री सुनील कुमार पिन्टू, स०वि०स०

श्री सुनील कुमार पिन्टू : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में एक आदर्श परीक्षा केन्द्र की स्थापना करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2026 के लिए सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में कमला बालिका उच्च विद्यालय, डुमरा, सीतामढ़ी तथा ओरिएंटल मध्य विद्यालय, सीतामढ़ी में आदर्श परीक्षा केन्द्र बनाया गया था । इसी प्रकार, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2026 के लिए जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जिला

मुख्यालय में सीतामढ़ी उच्च विद्यालय, डुमरा सीतामढ़ी एवं नगरपालिका मध्य विद्यालय, भवदेहपुर, सीतामढ़ी में आदर्श परीक्षा केन्द्र बनाया गया । सम्प्रति सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में स्थायी रूप से आदर्श परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार के अंदर में शिक्षा पर ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि हर साल एक टेम्पररी आदर्श परीक्षा केन्द्र बना रहे हैं तो सीतामढ़ी जैसे महत्वपूर्ण जगह पर...

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : एक आदर्श शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे । मैं माननीय मंत्री जी से यही आश्वासन चाहता हूं और माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–25 : सुश्री मैथिली ठाकुर, स०वि०स०

सुश्री मैथिली ठाकुर : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलान्तर्गत घनश्यामपुर एवं तारडीह प्रखण्ड की चौमुखी विकास एवं रोजगार के अवसर हेतु लोहना से मुक्तापुर रेलवे लाईन को जोड़े जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत घनश्यामपुर एवं तारडीह प्रखण्ड की चौमुखी विकास एवं रोजगार के अवसर हेतु लोहना से मुक्तापुर रेलवे लाईन को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करती है ।

सुश्री मैथिली ठाकुर : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–26 : श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, स०वि०स०

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रेलवे द्वारा डेहरी डालमियानगर की जमीन अधिग्रहण कर रेल वैगन फैक्ट्री के निर्माण हेतु वर्षो से लंबित परियोजना को चालू करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत डेहरी डालमियानगर की भूमि पर रेल वैगन फैक्ट्री के निर्माण की परियोजना का संबंध राज्य सरकार से नहीं है । उल्लेखनीय है कि डालमियानगर स्थित फैक्ट्री की भूमि का एक अंश रेलवे द्वारा क्रय की गयी है, जो वर्तमान में खाली है । आंशिक रूप से अतिक्रमण की सूचना है, इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन के स्तर पर की जा रही है । रेल वैगन फैक्ट्री की परियोजना चालू करने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : माननीय मंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारा डेहरी एक औद्योगिक नगरी है और उसमें हम चाहते हैं कि राज्य सरकार और रेलवे, वहां कोई ऐसा एनक्रोचमेंट नहीं है, पूरी फैक्ट्री एरिया रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर ली गयी है । हमलोग राज्य सरकार से चाहते हैं कि केंद्र सरकार को वहां कह कर रेलवे फैक्ट्री को यथाशीघ्र वैगन का, वहां शिलान्यास भी हो चुका है और उसको चालू कराया जाय ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : मैं संकल्प वापस लेता हूँ लेकिन मैं आग्रह करता हूँ ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–27 : श्री रोहित पाण्डेय, स०वि०स०

श्री रोहित पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर शहर में वर्षों से व्याप्त भीषण यातायात एवं जाम की स्थिति के दृष्टिकोण से जनहित में जीरो माइल से तिलकामांझी चौक, घंटा घर चौक, स्टेशन गोलम्बर, ततारपुर, टीएनबी कॉलेज होते हुए चंपानाला तक एक समग्र एवं सुव्यवस्थित बाईपास/फ्लाईओवर /एलिवेटेड रोड निर्माण करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत शहर में यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए बी0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा सुल्तानगंज, भागलपुर–सबौर गंगा पथ परियोजना के निर्माण हेतु एच0ए0एम0 पद्धति पर निविदा आमंत्रित कर कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है, जो गंगा नदी के दक्षिणी तट की ओर से भागलपुर शहर के बाईपास के रूप में कार्य करेगी । जिससे भागलपुर शहर

में जाम की समस्या से काफी हद तक निदान मिल जाएगा । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर बाईपास/फ्लाईओवर /एलिवेटेड रोड निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप बाईपास/फ्लाईओवर /एलिवेटेड रोड निर्माण पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री रोहित पाण्डेय : महोदय, निवेदन है कि आंशिक रूप से उससे जाम से मुक्ति तो मिलेगी लेकिन स्थायी समाधान जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर अगर मिल जाता है तो उससे स्थायी समाधान होगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–28 : रामविलास कामत, स०वि०स०

श्री रामविलास कामत : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत नौआबाखर के चमेलवा–सिमराहा घाट एवं ग्राम पंचायत मौजहा के सुकुमारपुर सिसवा घाट पर पीपा पुल का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री रत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल पर वर्तमान में पीपा पुल निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न–21/यानपति/25.02.2026

श्री रामविलास कामत : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि सबका सम्मान, जीवन आसान । महोदय, कोशी तटबंध के अंदर में पंचगछिया, सिसवा, जोबहा, गोरियारी, बौराहा, परसाही, सिमराहा, एकडारा, सोनवर्षा, नौआबाकर, सुकुमारपुर, चमेलवा ये सारे गांव बसे हुए हैं और चारों तरफ से कोशी नदी से घिरा हुआ है । इन लोगों को किसी भी परिस्थिति में जल्दी निकलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है महोदय । अगर कोई बीमार हो जाय तो उनको पांच घंटा में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है । विद्यालय खुला हुआ है लेकिन शिक्षक को आने और जाने में 10 घंटा का समय लग जाता है महोदय । स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और जब बाढ़ का समय आता है तो उससे निकलने में काफी कठिनाई होती है । तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक पीपा पुल का निर्माण करवाने की कृपा करें ।

सभापति : अपना संकल्प वापस ले लीजिए । दिखवा लेंगे माननीय मंत्री जी ।

श्री रामविलास कामत : प्रस्ताव पर आश्वासन मिल जाता तो मैं वापस ले लेता ।

सभापति : माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

श्री रामविलास कामत : बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–29 : श्री चेतन आनंद, स०वि०स०

श्री चेतन आनंद : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड के कोइरिडीह से तेतरिया मोड़, बडेम, सरना, मेह होते बारूण एन०एच० 19 तक फोर लेन पथ का निर्माण करावे।"

सभापति : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलांतर्गत प्रश्नगत स्थल नवीनगर प्रखंड के तेतरिया से कोईरीडीह पथ की लंबाई 6.70 कि0मी0, चौड़ाई 5.50 कि0मी0 है जो वर्तमान में ओ0पी0आर0एम0सी0 फेज वन पैकेज नंबर 44 ए के अंतर्गत संधारित है । पथ की स्थिति अच्छी है शेष पथांश तेतरिया मोड़ से बरेसरना में होते हुए बारूल एन0एच0 19 तक जाती है जिसकी लंबाई 30.30 कि0मी0 है जिसमें पूर्व पश्चिम का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । जिससे आवागमन सुचारू रूप से चालू है । वर्तमान में विषयांकित पथांश के फोर लेन लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री चेतन आनंद : महोदय, वहां पर वस्तुस्थिति ऐसी है कि वहां पर दो–दो थर्मल प्लांट है एक बी0आर0बी0सी0एल0 और एक एन0टी0पी0सी0 और साथ ही साथ वहां पर जो है श्री सीमेंट का भी जाता है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा बिजी रोड है और वहां पर आवागमन बहुत ज्यादा लचर स्थिति में हो जाती है जिसकी वजह से वहां पर, नॉर्मली हमलोग भी अगर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उधर हमलोग जाम में फंसते ही फंसते हैं । तो वहां पर जो इतनी इंडस्ट्रीज है, इतना थर्मल प्लांट है, सबकुछ है तो वहां पर हमको लगता है कि अगर रोड को थोड़ा चौड़ा कर दिया जायेगा तो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो जायेगा ।

सभापति : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लें ।

श्री चेतन आनंद : हम तो बस इसपर आश्वासन ले लेते हैं । थोड़ा इसको दिखवा लीजिए । अपना संकल्प हम वापस लेते हैं ।

सभापति : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–30 : श्री रत्नेश कुमार, स०वि०स०

श्री रत्नेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के पटना नगर निगम क्षेत्र में गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल को दिनांक 12/05/2018 को जिला अस्पताल बनाने की निर्गत अधिसूचना के आलोक में जिला अस्पताल के मानक के अनुरूप सभी मूलभूत सुविधा, चिकित्सकों एवं पारा मेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति करावे।"

सभापति : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री संजय सिंह 'टाइगर' : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा गुरू गोविंद सिंह सदर अस्पताल में 100 शैय्या का मौडल अस्पताल के निर्माण किया गया है इसलिए मॉड्युलर ऑपरेशन, थियेटर, लेबर रूम, आई0सी0यू0, लिफ्ट, रैंप सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं । संस्थान के मरीजों के लिए आपातकालीन सेवा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं । अस्पताल में दो मूर्च्छक जो एन्थीसिया देते हैं महोदय, एक चर्म रोग विशेषज्ञ, एक कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, 10 समान चिकित्सा पदाधिकारी, दो समान सर्जन, दो स्त्री रोग विशेषज्ञ, दो शिशु रोग विशेषज्ञ, एक फिजीशियन, तीन रेडियोलॉजिस्ट, एक मनोचिकित्सक, एक पैथोलॉजिस्ट, दो दंत चिकित्सक, एक एक्स–रे टेक्नीशियन, दो प्रयोगशाला प्रबंधक एवं 15 लिपिक पदस्थापित हैं । जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा दी जा रही है । विगत तीन माह में ओ0पी0डी0 के मरीजों की संख्या 48915 एवं आई0पी0डी0 के मरीजों की संख्या 1043 है । उल्लेखनीय है कि राज्य में संसाधनों एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया उस आलोक में कहना है कि जिस भवन की बात की गई है उस भवन को अभीतक गुरू गोविंद सिंह एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर नहीं किया गया है । 8 जनवरी, 2026 को उस अस्पताल के सुप्रीटेंडेंट की चिट्ठी मेरे हाथ में है । जिसके माध्यम से 281 सृजित पदों में सिर्फ 59 पोस्ट पर डॉक्टर, पारामेडिकल स्टाफ एप्वाइंटेड है ।

सभापति : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री रत्नेश कुमार : महोदय, इसमें विभाग के द्वारा जवाब गलत दिया गया है । 222 कर्मचारियों का अभाव है और चिट्ठी है सुप्रीटेंडेंट के माध्यम से महोदय । तो यह जो जवाब दिया गया है वह जवाब गलत दिया गया है । जितने पद सृजित हैं उनके आलोक में वहां नहीं हुआ है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–31 : श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा विधानसभा अंतर्गत पिपरा को प्रखण्ड का दर्जा देते हुए नए पिपरा प्रखण्ड का निर्माण करावे।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आम जनता, जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड के पिपरा को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्राप्त आवेदन जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को भेजकर विहित प्रपत्र कॉलम 16 में मंतव्य सहित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । नये प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र के 16 कॉलम में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडल आयुक्त के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलवा कोठी में गए थे चकिया में और मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि उसको प्रखंड बनाया जायेगा । मैं आग्रह और निवेदन करूंगा कि जल्द ही प्रतिवेदन को मंगाकर प्रखंड का दर्जा देने का काम किया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–32 : श्री फैसल रहमान, स०वि०स०

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–33 : श्री साम्रीद वर्मा, स०वि०स०

श्री साम्रीद वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सरकारी नीति 'प्रत्येक प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना' के अनुरूप पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला के मैनाटाड़ प्रखण्ड में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा सुलभता से प्रदान करने के लिए एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करावे।"

सभापति : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटाड़ प्रखंड में पूर्व से चंपारण कॉलेज, गोरागंज, बगहा, पश्चिम चंपारण एवं चंपारण ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मैनाटाड़ संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित है । इसलिए माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है उसपर अगले चरण में हमलोग विचार करेंगे । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री साम्रीद वर्मा : पहले लॉट में शायद सिकटा को लिया गया है क्योंकि मैनाटाड़ थोड़ा ज्यादा पिछड़ा इलाका है इसलिए हमारा अनुरोध है कि मैनाटाड़ को भी लिया जाय पहले लॉट में । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–34 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स०

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चंपारण तटबंध के केसरिया विधान सभा क्षेत्र के किलोमीटर 66.00 से किलोमीटर 132.80 तक के अंश का मजबूतीकरण एवं पक्कीकरण करावे।"

टर्न–22 / मुकुल / 25.02.2026

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सभापति महोदय, इस संबंध में प्रस्ताव यानी डी0पी0आर0 तैयार कराकर के हमलोग जी0एफ0सी0सी0 से एप्रुवल ले रहे हैं, उसके बाद उसके रिसेक्सनिंग यानी जो मजबूती करके ऊपर ब्रिक्स सोल्डिंग तक करने का काम करा देंगे, उसके बाद उस पर फिर ब्लैक टॉपिंग का नेक्स्ट फेज में करेंगे, इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूं माननीय मंत्री जी को, मेरे आग्रह पर उन्होंने पहले नहर का पक्कीकरण वाल्मीकिनगर से समस्तीपुर का करवा दिया है और यह आग्रह भी मेरा पेंडिंग है तो आशा करती हूं कि जल्द से जल्द यह होगा और उनके आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–35 : श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम, स०वि०स०

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत NH-327E अररिया से ठाकुरगंज राष्ट्रीय उच्च पथ में जोकीहाट चौक के निकट फ्लाई ओवर का निर्माण करावे।"

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलांतर्गत एन0एच0–327ई अररिया से ठाकुरगंज पथांश अररिया से गलगलिया का हिस्सा है । अररिया से गलगलिया पथ का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष–2024 में पूर्ण किया जा चुका है एवं वाहनों का

आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है जोकीहाट क्षेत्र में सर्विस रोड के साथ–साथ चार लेन मार्ग का निर्माण किया गया है, जिससे प्रश्नगत स्थल पर जाम की समस्या नहीं है । इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, उत्तर उपभाग के पत्रांक सं0–651, दिनांक–19.02.2026 द्वारा एन0एच0ए0आई0 से फ्लाईओवर निर्माण हेतु अनुरोध किया गया है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय मंत्री महोदय, अब डेढ़ साल में तेरहों जानें उस जगह गई हैं इतना एक्सीडेंट होता है, इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि वहां फ्लाईओवर करा दिया जाए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–36 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स०

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला अंतर्गत कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड पंचदेवरी के मुख्य सड़क के समीप थाना स्थापित करावे।"

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : सभापति महोदय, इस संबंध में विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आकलन कर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, जो पंचदेवरी प्रखंड में हम जो थाना बनाने के लिए कह रहे हैं, वहां से जो कटया प्रखंड में थाना पड़ता है लगभग 10 कि0मी0 की दूरी है और हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है उसमें वह थाना नहीं पड़ता है, वह भोरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है ।

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वहां थाना स्थापित कराने की व्यवस्था करें ।

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, हम तो वापस ले ही लेंगे, इसके पहले तो दो विधायक को एक बार खड़ा कर दिये, उधर से भी एक आदमी खड़ा हो गए, इधर से हम भी खड़ा हो गये तो, हम मन की बात समझ रहे हैं ।

क्रमांक–37 : श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, स०वि०स०

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा विधानसभा क्षेत्र में महानंदा नदी के पूर्वी तटबंध मीनापुर से सबनपुर ढलान कुरूम तक, भाया मोकर्री, नयाटोला चौक, सादापुर, रतनपुर माहीनगर के स्टरेंगथिंग एवं कालीकरण कार्य करावे।"

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का क्षेत्र यानी कदवा में जो महानंदा पर जिस तटबंध के भाग की बात कह रहे हैं, उस पर भी हमलोग डी0पी0आर0 बना चुके हैं और जी0एफ0सी0सी0 के एप्रुवल के लिए दिये हुए हैं, पहले चरण में मजबूतीकरण/स्ट्रेंथनिंग होगा, फिर अगले चरण में कालीकरण होगा, इसलिए अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : धन्यवाद, माननीय मंत्री जी का सकारात्मक उत्तर के लिए उनको बहुत–बहुत धन्यवाद और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री सत्नेश सादा) : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–39 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स०

श्री सिद्धार्थ पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के वैशाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत उच्चस्तरीय सभी सुविधाओं से युक्त एक खेल परिसर/स्टेडियम का निर्माण करावे।"

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत राज्य के सभी प्रखंडों में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है, वैशाली जिला के वैशाली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन प्रखंड वैशाली, बेलसर और गरौल आते हैं । इन तीनों ही जगह पर अंचलाधिकारी से दिनांक–24.02.2026 को पत्रांक संख्या–228, 328 और 370 के माध्यम से अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है कि मानक अनुरूप भूमि उपलब्ध करवा दे और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : मंत्री जी, वहां जमीन उपलब्ध है और हमलोग भी प्रयास करके चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपको प्रस्ताव चला जाए । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–42 : श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स०

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के जंदाहा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत–खोपी में कृषि फार्म की खाली जमीन पर कृषि–प्रसंस्करण, उद्यमिता विकास, आधुनिक तकनीकों (जैसे– मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन) में प्रशिक्षण और ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए तकनीकी जनशक्ति तैयार करने हेतु द्वितीयक कृषि (सेकेंडरी एग्रीकल्चर) महाविद्यालय का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि उत्पादन आयोग, कृषि विभाग, पटना के पत्रांक संख्या–188, दिनांक–26.02.2016 के द्वारा सेंट्रल ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्रूट एण्ड देसरी, वैशाली में ओपन फिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन हेतु बीज गुणन प्रक्षेत्र जंदाहा, खोपी की जमीन हस्तांतरण उद्यान निदेशालय को किया गया है । बीज गुणन प्रक्षेत्र जंदाहा, ओपन फिल्ड डेमोन्स्ट्रेशन हेतु विभाग के द्वारा घेराबंदी का कार्य किया गया है, इसमें फलदार वृक्ष आम, लीची, अमरूद एवं पपीता का पौधा तैयार कर राज्य के सभी जिलों को योजना के अंतर्गत फलदार पौधा कृषकों के बीच वितरण करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है, इससे बागवानी को बढ़ावा मिलेगा । साथ ही, कृषक आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, वैशाली जिला के सीमावर्ती, मुजफ्फरपुर जिला के तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर एवं मत्स्य महाविद्यालय, ढोली, मुजफ्फरपुर के साथ समस्तीपुर जिला में भी कई महाविद्यालय कार्यरत हैं जो डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अंतर्गत आता है । इससे छात्रों को कृषि विषयों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त है । अतः एवं सरकार स्थल पर वैशाली के जंदाहा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत खोपी में द्वितीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को कृपया वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, बिहार कृषि प्रधान राज्य है जहां धान, गेहू, मक्का, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें, पशु पालन, मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं । इन उत्पादनों के संवर्द्धन, औद्योगिक प्रयोग के लिए स्वतंत्र विशेषकृत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना समय की मांग है इसलिए महोदय मैं मंत्री जी से चाहूंगा, हम तो अपना प्रस्ताव वापस लेता ही हूं, लेकिन मंत्री जी से चाहूंगा कि खाली जमीन पड़ी है वहां विचार रखे सरकार कराने का ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–43 श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए पूर्णिया कृषि कॉलेज जहां मखाना अनुसंधान एवं विकास का नोडल केंद्र स्थापित है तथा पूर्णिया से मखाना को जी आई टैग मिला एवं पूर्णिया गुलाबबाग मंडी जिसे मखाना हाट के नाम से अंतर्राज्यीय पहचान मिली है, मखाना उत्पादन में पूर्णिया–कोसी की अपनी अग्रणी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए पूर्णिया में 'मखाना बोर्ड' का निर्माण करावे।"

श्री राम कृपाल यादव, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी द्वारा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय, पूर्णियां में स्थापित करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है, इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं । सबसे पहले तो मैं सदन तथा बिहार के तमाम अन्नदाता किसानों की ओर से बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिये ह्रदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना एवं मुख्यालय का निर्धारण भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह मखाना उत्पादक क्षेत्र के भीतर ही किया जाना प्रस्तावित है । बिहार देश में मखाना उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना से बिहार के मखाना किसानों उद्यमियों और क्षेत्र विकास को अधिकतम लाभ मिलेगा । राज्य सरकार इस विषय पर केन्द्र सरकार से सतत समन्वय बनाये हुये है और किसानों के हित में रक्षा के लिये पूर्णतः प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के मुख्यालय हेतु स्थल चयन केन्द्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है । इसलिये माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा कि अपना संकल्प कृपया वापस लें ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हैं । पूर्णियां में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही 2010 में पूर्णियां, भोला पासवान कृषि महाविद्यालय की स्थापना की है जो 210 एकड़ में है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने...

अध्यक्ष : मामला केन्द्र के स्तर पर विचाराधीन है । कृपया अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री विजय कुमार खेमका : जी, विचाराधीन है । सिर्फ हम जो है कोशी, पूर्णियां, भागलपुर के जो किसान हैं उनका जो यह क्षेत्र है जहां मखाना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है । मैं आग्रह करता हूं कि मखाना बोर्ड की स्थापना पूर्णियां के कृषि महाविद्यालय में हो । यह आग्रह मैं करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : मैं, जो मंत्री जी ने कहा उनको धन्यवाद देते हुये और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–44 श्री इन्द्रदेव सिंह, स०वि०स०

श्री इन्द्रदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सिवान जिला के पचरूखी प्रखण्ड स्थित पचरूखी में चीनी मिल स्थापित करावे।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह गन्ना उद्योग विभाग में स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : माननीय गन्ना मंत्री जी आ गये हैं ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत निजी क्षेत्र के चीनी मिल पचरूखी विगत 40 वर्षों से बंद है । इस क्षेत्र के पेराई योग्य गन्ने का उत्पादन पड़ोस के चीनी मिल गोपालगंज, सिद्धवलिया में किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार अंतर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है । राज्य में नयी चीनी मिल की स्थापना एवं पुराने चीनी मिलों के उन्नयन हेतु जिला पदाधिकारी, सिवान को स्थापना संबंधित प्रतिवेदन प्रस्ताव प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री इन्द्रदेव सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं । मुझे लगता है कि मेरा चीनी मिल चालू हो जायेगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–45 श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स०</u>

अध्यक्ष : श्री निरंजन कुमार मेहता जी ने प्राधिकृत किया है श्री ललित नारायण मंडल जी को । पढ़िये ।

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह विधान सभा क्षेत्र संख्या–71, बिहारीगंज (मधेपुरा) के अन्तर्गत गाँधी चौक से बिहारीगंज रेलवे स्टेशन तक निर्मित पी.सी.सी. सड़क से पड़ोकिया रेलवे ढ़ाला तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण तथा गाँधी चौक से पड़ोकिया रेलवे ढ़ाला तक पक्की नाला का निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहारीगंज (मधेपुरा) के अन्तर्गत गाँधी चौक से बिहारीगंज रेलवे स्टेशन तक निर्मित पी.सी.सी. सड़क से पड़ोकिया रेलवे ढ़ाला तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण तथा गाँधी चौक से पड़ोकिया रेलवे ढ़ाला तक पक्की नाला का निर्माण कराने हेतु विभागीय पत्रांक सं0– 1434ई0, दिनांक–23.02.2026 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद सर । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–46 श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स०वि०स०</u>

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण के रक्सौल को जाम मुक्त करने हेतु बट्टा चौक एवं कोइरिया टोला से बसों का परिचालन बंद कराकर, नगर परिषद् द्वारा चयनित धनगढ़वा कौड़िहार पंचायत के लक्ष्मीपुर स्थित निजी भूमि को लीज पर लेकर व्यवस्थित बस स्टैंड बनावे।"

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, रक्सौल क्षेत्रान्तर्गत शहर के मध्य रेलवे की भूमि से बसों का परिचालन होता है । शहर में जाम की समस्या के निदान हेतु नगर परिषद समिति बोर्ड द्वारा शहर के बाहर सरकारी अथवा निजी भूमि पर बस पड़ाव संचालित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है । बस स्टैंड के निर्माण हेतु सरकारी भूमि चिन्हित की जा रही है । वर्तमान में जाम की समस्या से निदान हेतु शहर की सीमा से पांच सौ मीटर की दूरी पर एन0एच0–28ए से सटे लक्ष्मीपुर, रक्सौल की निजी भूमि को चिन्हित करते हुये इस भूमि से बस पड़ाव को संचालित करने का प्रस्ताव नगर परिषद समिति बोर्ड पारित किया गया है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : धन्यवाद मंत्री जी । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–47 श्री सतीश कुमार साह, स०वि०स०</u>

श्री सतीश कुमार साह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखण्ड के सोनवर्षा गाँव के पास विहुल नदी पर स्लुईस गेट का निर्माण करावे।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम अधिकारी भेजकर स्थल जांच करा लेते हैं । यदि संभाव्य होगा, पॉसिबुल होगा तो हमलोग आगे कार्रवाई करेंगे । अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सतीश कुमार साह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–49 श्रीमती मनोरमा देवी, स०वि०स०</u>

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला अंतर्गत बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक दुधारू मवेशी पालने का कार्य किसान करते हैं, उक्त दूध उत्पादकों के हित में रोजगार सृजन के लिए बेलागंज में दूध, दही, पनीर, मिठाई, घी, आईसक्रीम निर्माण हेतु एक आधुनिक सुधा डेयरी फार्म का निर्माण करावे।"

श्री सुरेन्द्र मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला का कार्यक्षेत्र कम्फेड के मगध दूध उत्पादक संघ, गयाजी के अंतर्गत आता है । बेलागंज से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर जिले के मुख्यालय गयाजी शहर में एक लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता का डेयरी संयंत्र स्थापित है । इसके अतिरिक्त गयाजी जिले के बजीरगंज में राज्य सरकार के सहयोग से दो लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता के पूर्ण संचालित डेयरी संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें दूध उत्पादों के निर्माण की भी व्यवस्था की गयी है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह पूर्वक मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी जो अभी जवाब दिये । हमारा क्षेत्र टेकारी बार्डर पड़ता है, वहां से 40 किलोमीटर जो डेयरी फॉर्म है वहां पड़ता है । एक तरफ हमारा 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पड़ता है ।

(क्रमशः)

टर्न–24 / धिरेन्द्र / 25.02.2026

....क्रमशः....

श्रीमती मनोरमा देवी : महोदय, मैं आशा के साथ, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ कि आने वाले समय में हमारे माननीय मंत्री जी, क्योंकि महोदय, मुझे मालूम है हम दूध से जुड़े हुए आदमी हैं, हुजुर, हम किसान हैं, हम उस समाज से आते हैं । इसलिए दूध हमलोगों के जीवन में बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्रीमती मनोरमा देवी : महोदय, मैं वापस लेती हूँ इस आग्रह के साथ कि आने वाले समय में मंत्री जी विचार करेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

आप उस समय अनुपस्थित थे । माननीय सदस्य, आ जायेगा, बैठ जाइये ।

<u>क्रमांक–50 : श्री शम्भू नाथ यादव, स॰वि॰स॰</u>

श्री शम्भू नाथ यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के सेमरी पंचायत के ग्राम–केशोपुर, ब्रम्हपुर प्रखण्ड के पंचायत उत्तरी नैनीजोर के प्रबोधपुर डेरा से बिहार घाट होते हुए ग्राम ढाबी तक गंगा का कटाव जारी है, सरकार उक्त ग्रामों को गंगा कटाव से मुक्त करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, केशोपुर, ब्रह्मपुर में तो हमलोगों की योजना स्वीकृत हो चुकी है और मई तक काम करा देंगे । एक जगह और प्रबोधपुरा की इन्होंने चर्चा की है, वहां भी हम अधिकारी भेजकर दिखवा लेते हैं । आक्राम्य होगा

तो वहां पर काम करा देंगे । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री शम्भू नाथ यादव : हुजुर, एक सैकेंड ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या है ?

श्री शम्भू नाथ यादव : हुजुर, बड़ी बेइजती होती है बिहार सरकार की । गांव के गांव पलक झपकते गंगा में विलीन हो जाता है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसीलिए माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, इसी पिछले साल जो दुर्दशा हुई, हुजुर से निवेदन है कि उस काम को कराया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–51 : श्री सियाराम सिंह, स॰वि॰स॰</u>

श्री सियाराम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल में दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री संजय सिंह टाईगर, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में पटना जिला में सरकारी प्रक्षेत्र में एक दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना एवं निजी प्रक्षेत्र में बुद्धा इंस्टीच्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, पटना संचालित है । साथ ही, पटना के निकटवर्ती नालंदा जिला में राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठाना, रहुई का निर्माण किया गया है । बाढ़ अनुमंडल में सरकारी प्रक्षेत्र में दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सियाराम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला का पॉपूलेशन जो है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सियाराम सिंह : महोदय, भविष्य में विचार करेंगे न ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, चूंकि फतुहा के बाद जो है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस लीजियेगा तब न विचार होगा ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, लखीसराय बॉर्डर तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री सियाराम सिंह : महोदय, ठीक है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–52 : श्री अरूण सिंह, स०वि०स०

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट विधान सभा के प्रखण्ड–काराकाट में सकला वितरणी एवं देव राजवाहा जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उक्त वितरणी एवं राजवाहा का जीर्णोद्धार/मरम्मति कार्य करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा जो सूचना है कि खरीफ, 2025 यानी पिछले सीजन में उसकी मरम्मति संपोषण का काम कराया गया था और उससे बाकी जलस्राव मतलब जितना पानी देना चाहिए वह दिया जा रहा है लेकिन माननीय सदस्य वहां से आते हैं, ये कह रहे हैं तो हम जरूर अधिकारी भेज कर फिर से इसको दिखवा लेंगे और किसानों को सिंचाई की पानी में कोई दिक्कत न हो, यह व्यवस्था करेंगे । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिये ।

श्री अरूण सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब क्या है ? इतना स्पष्ट जवाब दिये हैं मंत्री जी ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि वहां सिचुएशन क्या है । महोदय, वह काराकाट ब्लॉक 20 पंचायत का ब्लॉक है । आधी से अधिक आबादी उससे सिंचित होती है । अभी तक, बीच में मिट्टी कढ़ाई हुआ था, कोई भी खोदाई का काम नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार दिखवा लेगी ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, और जो देव राजवाहा है, वह तो हुआ ही नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे दिखवा लेंगे ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, इसलिए आग्रह है कि इसको दिखवा लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे ? वापस ले लीजिये, तब न काम होगा ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–53 : श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०

श्री सुधांशु शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव स्थित माता गिरिजा स्थान एवं कलना गांव स्थित कल्याणेश्वर महादेव स्थान जो श्रीराम तथा माता जानकी से जुड़ा त्रेताकालीन पौराणिक धार्मिक स्थल होने के साथ–साथ सनातनियों के आस्था का पवित्र स्थल है। उक्त दोनों स्थलों के नाम पर राजकीय महोत्सव करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कल्याणेश्वर महोत्सव इसी वर्ष कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संपन्न की गई है, वह प्रारंभ हो चुका है ।

महोदय, जहाँ तक गिरिजा स्थान महोत्सव का प्रश्न है, वह पर्यटन विभाग में प्रक्रियाधीन है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–54 : श्री नीतीश मिश्रा, स॰वि॰स॰

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड के सिद्धपीठ चामुंडा स्थान पचही ग्राम में लगने वाले मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तहत राजकीय मेला अधिसूचित करने हेतु आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल के अनुशंसा के आधार पर राजकीय मेला घोषित करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा–3 में यह प्रावधानित है कि राज्य सरकार प्राधिकार की अनुशंसा यथा–अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का आकलन करते हुए किसी अन्य मेले को जो प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है प्राधिकार के प्रबंधन में लाने के लिए अधिसूचित कर सकती है । उल्लेखनीय है कि मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के सिद्धपीठ चामुंडा स्थान पचही ग्राम में लगने वाले मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तहत राजकीय मेला घोषित करने का प्रस्ताव अभिलेख आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–1680, दिनांक 13.12.2025 द्वारा अनुशंसित सहित विभाग को प्राप्त हुआ है । उक्त के आलोक में विषयगत मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंध में सम्मिलित किए जाने के बिंदु पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है इसलिए माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्वीकृत हो गया है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–55 : श्रीमती छोटी कुमारी, स॰वि॰स॰

श्रीमती छोटी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह छपरा प्रमंडल मुख्यालय है तथा छपरा सहित गोपालगंज–सिवान जिला के लाखों आमजनों के हितार्थ छपरा से पटना के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित परिचालन यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावें।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय छपरा प्रमंडल मुख्यालय है तथा छपरा सहित गोपालगंज–सिवान जिला के लाखों आमजनों के हितार्थ छपरा से पटना के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित परिचालन यथाशीघ्र प्रारंभ करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करती है ।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

माननीय सदस्यगण, शेष गैर–सरकारी संकल्प सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और सदन की सहमति से इन संकल्प सूचनाओं को गैर सरकारी संकल्प समिति के विचारार्थ सुपुर्द किया जाता है ।

(सदन की सहमति हुई)

शेष गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया

क्रमांक–56 श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स०

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रति वर्ष गंगा नदी के बाढ़ से बिहार को स्थाई रूप से निजात दिलाने हेतु सरकार गंगा नदी के तलवे (Rivered) से गाद या रेत को हटाने की व्यवस्था करावे।"

क्रमांक–57 श्री राहुल कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री राहुल कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला के डुमराँव विधान सभा में मलई बराज परियोजना धरातल पर नहीं होने के कारण हजारों हेक्टेयर भूमि असिंचित है, सरकार मलई बराज परियोजना का कार्य पूर्ण कर खेतों की सिंचाई करावे।"

क्रमांक–58 श्री शंकर प्रसाद, स०वि०स०

श्री शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पारू खास स्टेशन के यात्रियों, छात्रों एवं कर्मियों की सुविधा हेतु ट्रेन सं०–63383 (सोन–पटना मेमु) का विस्तार पारू खार तक करने तथा इसका (प्रस्थान) समय सुबह 04:00 से 05:00 बजे निर्धारित करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–59 श्री सुभाष सिंह, स०वि०स०

श्री सुभाष सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले किस्म मिट्टी क्षमता के अनुसार उत्पादन हेतु प्रमुख गन्ना उत्पादन जिला गोपालगंज में गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना करावे।"

क्रमांक–60 श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में छात्रहित में पोलिटेक्निक कॉलेज बनावे।"

क्रमांक–62 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स०

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के तिरहुत मेन कैनाल के सेवा पथ पर 538 आर.डी. बखरी बड़हरवा से 0 (शून्य) आर.डी. तक को जनहित में पक्की सड़क बनावे।"

क्रमांक–63 श्री विशाल प्रशांत, स०वि०स०

श्री विशाल प्रशांत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखण्ड के हसनबाजार को नगरपंचायत घोषित करे।"

क्रमांक–64 श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स०

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड में स्थित पौराणिक भगवान भोलेनाथ के मंदिर बाबा गुप्तेश्वर नाथ (गुप्ता धाम) में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कुदरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुप्ता धाम स्टेशन कराने की सिफारिश केन्द्र सरकार से करे।"

क्रमांक–65 श्री रमेश ऋषि, स०वि०स०

श्री रमेश ऋषि : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर विधान सभा के सभी पंचायतो में शवदाह गृह का निर्माण करावे।"

क्रमांक–66 श्री राकेश रंजन, स०वि०स०

श्री राकेश रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखण्ड के दामोदरपुर पंचायत को गंगा नदी के कटाव से बचाने हेतु सुरक्षात्मक बोल्डर पिचिंग कर तटबंध का निर्माण करावे।"

क्रमांक–68 श्री अनिल सिंह, स०वि०स०

श्री अनिल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आच्छादित करावे।"

क्रमांक–69 श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में Ph.D (डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी) के शोधार्थियों हेतु Non-Net Fellowship के समतुल्य छात्रवृति देने की नीति बनाते हुए सभी Ph.D स्कॉलर को छात्रवृति देकर बिहार की उच्च शिक्षा एवं शोध की संभावनाओं को मजबूत करावे।"

क्रमांक–70 श्री अभिषेक रंजन, स०वि०स०

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प० चम्पारण जिला अन्तर्गत चनपटिया में बंद पड़े चीनी मिल को चालू करावे।"

क्रमांक–71 श्रीमती रेणु देवी, स०वि०स०

श्रीमती रेणु देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेतिया जिलान्तर्गत कोहड़ा नदी के 62 आडी पर बने ध्वस्त पूल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–72 श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधानसभा के सोनवर्षा दूमुँही चौक से मड़वा जयरामपुर होते हुए विरवन्ना NH-31 को जोड़ने वाली सड़क (लगभग–8 कि०मी०) जीर्णशीर्ण और संकीर्ण अवस्था में है; जिससे आम जनता को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। अतः उक्त सड़क को मरम्मत करते हुए चौड़ीकरण करावे।"

क्रमांक–73 श्री अजीत कुमार, स०वि०स०

श्री अजीत कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत काँटी एवं मड़वन प्रखण्ड को पूर्वी अनुमंडल से जोड़ने या काँटी को केन्द्र मानकर मीनापुर, कुढ़नी, मड़वन एवं काँटी प्रखण्ड को मिलाकर काँटी में नया अनुमंडल सृजित करावे।"

क्रमांक–75 श्री राजेश कुमार मंडल, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के SH56 दोनार से धरौरा एवं सकरी से कुशेश्वर स्थान तक की पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग में उत्क्रमित करावे।"

क्रमांक–76 श्रीमती देवंती यादव, स०वि०स०

श्रीमती देवंती यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत फारबीसगंज के पशु वधशाला से उत्पन्न गंदगी और बदबू से वहाँ के निवासियों को निजात दिलावे अथवा पशुवधशाला को फारबीसगंज से किशनगंज स्थानान्तरित करावे।"

क्रमांक–77 श्री आबिदुर रहमान, स०वि०स०

श्री आबिदुर रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड कुसियारगांव पंचायत के पोखरिया PWD सड़क से समशाद के घर जाने वाली सड़क में पनार नदी मरिया धार पर पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–79 श्री चंन्द्रशेखर, स०वि०स०

श्री चंन्द्रशेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कृषि एवं किसान हितों की रक्षा के लिए आपसी सहमति से कृषि योग्य भूखंडो की अदला बदली के लिए बिना शर्त के प्रति एकड़ पाँच हजार (5000) रूपए मात्र शुल्क निर्धारित करने की ठोस एवं स्पष्ट नीति बनावे।"

क्रमांक–80 श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स०

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलांतर्गत मनेर नगर परिषद् के 25 वार्डों में जलापूर्ति हेतु मीनार स्थापित कर पेय जल उपलब्ध करावे।"

क्रमांक–81 श्री दामोदर रावत, स०वि०स०

श्री दामोदर रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला का पुलिस अनुमंडल झाझा जो अनुमंडल बनने की सभी मानकों को पूरा करता है, को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा प्रदान करावे।"

क्रमांक–82 श्री राम सिंह, स०वि०स०

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच प्रखंड बगहा–01 में गंडक नदी पर शास्त्रीनगर से बेलवनिया तक हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करावे।"

क्रमांक–84 श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल का पुनर्गठन करते हुए बोचहां, औराई, बंदरा, गायघाट, कटरा, मीनापुर एवं सकरा प्रखंडों को शामिल करते हुए शर्फुद्दीनपुर में मुख्यालय रखते हुए शर्फुद्दीनपुर अनुमंडल के नाम से एक नए अनुमंडल का गठन करावे।"

क्रमांक–85 श्री जितेंद्र कुमार, स०वि०स०

श्री जितेंद्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिला में मिल मालिकों को FRK की अनुपलब्धता के कारण धान अधिप्राप्ति कार्य का चक्रीय व्यवस्था की दयनीय स्थिति होने के फलस्वरूप पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को बेवजह आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है; FRK की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करावे।"

क्रमांक–86 श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला जो दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जिला जहाँ अस्पताल निर्माण के अनुरूप चिरैया प्रखंड के सेमरा पंचायत में सड़क एवं भूमि पर AIIMS, IGIMS, PMCH के जैसे अस्पताल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–87 श्रीमती कोमल सिंह, स०वि०स०

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधान सभा के बंदरा प्रखण्ड में T02 बडगाँव से संकरपुर तक लगभग 10.46 किलोमीटर सड़क है, जो 12.4 फीट एकल लेन जो RWD से निर्मित है, जो सकरा मुरौल, बंदरा होते हुए मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले मुख्य सड़क है। साथ ही मुजफ्फरपुर ढोली समस्तीपुर पथ से भी मिलती है, जो आर०सी०डी० सड़क है, जिस कारण उक्त सड़क का निर्माण आर०सी०डी० के माध्यम से 30 फीट चौड़ीकरण के साथ निर्माण करावे।"

क्रमांक–88 श्रीमती अश्वमेध देवी, स०वि०स०

श्रीमती अश्वमेध देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर प्रखण्ड के छतौना पंचायत एवं खानपुर प्रखण्ड के शोभन पंचायत के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–89 श्री उदय कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री उदय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिला अंतर्गत मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अंगीभूत S.M.S.G डिग्री कॉलेज शेरघाटी में स्नातकोत्तर (P.G) की पढ़ाई शुरू करावे।"

क्रमांक–90 श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के ताँती/ततवा उपाधि धारक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के समुदाय जिन्हें वर्ष 1992 एवं 2015 में पान जाति (अनुसूचित जाति) का दर्जा दी गई थी, को पुनः पान (अनुसूचित जाति) का दर्जा दिलावे।"

क्रमांक–91 श्री अजय कुमार, स०वि०स०

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत एक भी स्टेडियम नहीं है, जिससे खेल प्रेमियों में निराशा है। अतएव जनहित में उक्त प्रखंड के मध्य में तरूणिया में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करावे।"

क्रमांक–92 श्री गौतम कृष्ण, स०वि०स०

श्री गौतम कृष्ण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कोसी बाँध के अंदर रहने वाले लोग प्रत्येक वर्ष कोसी नदी की बाढ़ एवं कटाव के कारण अपने निवास स्थान खो देते है, जिससे उनका घर गड्ढा हो जाता है अथवा पूर्णतः कटाव का शिकार हो जाता है। बाढ़ का पानी निकलने के उपरांत उन्हें अपने निवास स्थान को ऊँचा करने हेतु निजी खेत की मिट्टी से भराई करनी पड़ती है, किंतु वर्तमान में बांध के अंदर निजी भूमि से मिट्टी कटाई पर प्रतिबंध एवं ट्रैक्टर जब्ती की कार्रवाई के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ हैं।

अतः मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोसी बाँध के अंदर निजी भूमि से सीमित मात्रा में मिट्टी कटाई हेतु ट्रैक्टर उपयोग की अनुमति देने के लिए नियमों में आवश्यक शिथिलता प्रदान करावे।"

क्रमांक–95 श्री रजनीश कुमार, स०वि०स०

श्री रजनीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बरौनी फ्लैग स्टेशन और बरौनी जंक्शन के बीच बरौनी–02 और बरौनी–03 के बीरहनिया बाजार के मध्य गुजरने वाली रेलवे लाईन के नीचे अंडरपास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–96 श्री महेश पासवान, स०वि०स०

श्री महेश पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के गड़हनी में आरा–सासाराम रेल लाईन पर अवस्थित बगवां गांव रेल फाटक के पास रेलवे ओवर ब्रीज के निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–97 श्री रामेश्वर कुमार महतो, स०वि०स०

श्री रामेश्वर कुमार महतो : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बाजपट्टी स्टेशन का नामकरण शहीद रामफल मण्डल के नाम से करने की सिफारिश भारत सरकार से करावे।"

क्रमांक–98 श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स०वि०स०

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड को बाढ़/कटाव से बचाने, बारहमासी आवागमन की सुविधा प्रदान करावे।"

क्रमांक–99 श्रीमती शीला कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती शीला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के भेजा, घोघरडीहा, एवं मधेपुर में जल जमाव से 5000 एकड़ कृषि भूमि पर फसल बर्बाद हो जाता है, सरकार समग्र ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाकर विशेष ड्रैनेज कॉरिडोर का निर्माण कर जल जमाव से मुक्त करावे।"

क्रमांक–100 श्री महेन्द्र राम, स०वि०स०

श्री महेन्द्र राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के रसलपुर हबीब पंचायत के चांदपुरा से मुरौवतपुर तक बांध का मजबूतीकरण हेतु सुरक्षात्मक बोल्डर पिचिंग का निर्माण करावे।"

क्रमांक–101 श्री राहुल कुमार, स०वि०स०

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अंतर्गत दरधा नदी अत्यधिक गाद के कारण उसकी जल वहन क्षमता कम हो गयी है जिसके वजह से पिछले वर्षा ऋतु में उक्त जिले में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गयी थी, के निदान हेतु नदी के गाद की सफाई करते हुए जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र के

मेघरीया (NH-22) बाईपास के अलगाना मोड़ (NH-33) तक 6KM का दरधा पाथवे का निर्माण करावे।"

क्रमांक–102 डॉ० कुमार पुष्पंजय, स०वि०स०

डॉ० कुमार पुष्पंजय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्रीकृष्ण सिंह जी का जन्मभूमि बरबीघा को शेखपुरा जिला के शेखपुरा अनुमण्डल को जनहित एवं लोकहित में विभाजित करते हुए बरबीघा विधान सभा क्षेत्र में आनेवाले प्रखंडों एवं अंचलों को शामिल करते हुए बरबीघा को अनुमण्डल बनावे।"

क्रमांक–103 श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के अंतिम दक्षिणी छोर, मोहिउद्दीन नगर विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड– मोहिउद्दीन नगर का ग्राम–घटहाटोल (सुलतानपुर) के ठीक सामने गंगा नदी के उस पार पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के ऊँमानाथ घाट के बीच सुरक्षित आवागमन हेतु गंगा नदी पर पीपा पुल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–104 श्री कुंदन कुमार, स०वि०स०

श्री कुंदन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत तिलरथ रेलवे स्टेशन स्थित तिलरथ रैक प्वाइंट (हरपुर ढाला) गुमटी नंबर–53 AT एवं लाखो रेलवे स्टेशन स्थित गुमटी नंबर–42 BT (कुश्महौत ढाला) पर जो एन०एच०–31 के मुख्य संपर्क पथ पर स्थित है, जहाँ जाम की भयावह को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर दोनों गुमटी पर फ्लाईओवर (ROB) का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–105 श्री राधाचरण साह, स०वि०स०

श्री राधाचरण साह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश प्रखण्ड के संदेश ग्राम के सामने सोन नदी पर एक नया उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पूल का निर्माण करावे।"

क्रमांक–109 श्री राजू तिवारी, स०वि०स०

श्री राजू तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोविन्दगंज विधान सभा के पहाड़पुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे।"

क्रमांक–110 श्री राम चन्द्र सदा, स०वि०स०

श्री राम चन्द्र सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में सोनमनकी पुल से लेकर झीमा, सर्वजीत, अमौसी, मारनडीह, हन्ना तेरासी होते हुए अलौली गढ़घाट पुल तक P.M.G.S.Y सड़क को P.W.D में अधिग्रहण कर मजबूत एवं चौड़ी सड़क का निर्माण करावे।"

क्रमांक–111 श्री विनय कुमार चौधरी, स०वि०स०

श्री विनय कुमार चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा करावे।"

क्रमांक–112 श्री भगवान सिंह कुशवाहा, स०वि०स०

श्री भगवान सिंह कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य की बेटियों की उच्च शिक्षा एवं कोचिंग हेतु सभी जिला मुख्यालय में कन्या छात्रावास का निर्माण करावे।"

क्रमांक–113 श्री उपेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०

श्री उपेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गयाजी जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमण्डल को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला बनावे।"

क्रमांक–114 श्री संतोष कुमार निराला, स०वि०स०

श्री संतोष कुमार निराला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बक्सर जिला अंतर्गत राजपुर विधान सभा के इटाढ़ी प्रखण्ड मुख्यालय एवं थाना स्थित इटाढ़ी के 14 पंचायत सहित नगर पंचायत इटाढ़ी घनी आबादी वाला बाजार है एवं बक्सर से बाजार होते हुए दिनारा (रोहतास) गुजरने वाली मुख्य सड़क से महाजाम की समस्याओं से निजात दिलाने हेतु बाईपास का निर्माण कार्य करावे।"

क्रमांक–115 श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, स०वि०स०

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत लोअर किउल मेन कैनाल जो लखीसराय L.K.V के शिवसोना के पास से कैनाल से उत्तर दिशा में जलयवाली होते धधौर के जमुई सिकंदरा मुख्य सड़क पार कर दक्षिण दिशा से बिछवे से उत्तर बहुआर नदी पार नवावगंज से भुआलटाड़, बरौन होते कदहर

बीयर में पानी गिराकर ईस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के 500 एकड़ जमीन की सिंचाई करावे।"

क्रमांक–116 श्री आसिफ अहमद, स०वि०स०

श्री आसिफ अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत सादुल्लाहपुर पंचायत के बार्ड नं०–14 स्थित ग्राम दुधैल के गटोली टोला को दो भागों में विभाजित करने वाले रेलवे लाईन पर गुमटी या फुट ओवरब्रीज के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–117 श्री शुभानंद मुकेश, स०वि०स०

श्री शुभानंद मुकेश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के गंगा तट पर बसे गाँवों को भीषण कटाव से सुरक्षित करने हेतु त्रिमुहान से कुलकुलिया–अनादिपुर होते हुए बटेश्वर स्थान तक 'रिवर फ्रंट (River Front) का निर्माण करावे।"

क्रमांक–118 श्री भीषम प्रताप सिंह, स०वि०स०

श्री भीषम प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सिवान जिला अंतर्गत मैरवा प्रखंड को अनुमंडल बनावे।"

क्रमांक–119 श्री मुरारी पासवान, स०वि०स०

श्री मुरारी पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगाँव एवं पीरपैंती प्रखंड स्थित बटेश्वर स्थान से बाखरपुर दियारा तक की लाखों एकड़ जमीन बाढ़ की विभीषिका से जान–माल एवं फसलों की भारी क्षति के निदान हेतु बटेश्वर स्थान से बाखरपुर दियारा तक रिंग बाँध का निर्माण करावे।"

क्रमांक–122 श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री मंजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में अवस्थित माँ नकटो भवानी मंदिर देवीगंज का सौन्दर्यीकरण कराते हुए प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को नकटो देवी महोत्सव आयोजित करावे।"

क्रमांक–123 श्री नचिकेता, स०वि०स०

श्री नचिकेता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर सदर प्रखण्ड में गंगा नदी के बीच में अवस्थित सीता चरण मंदिर को रामायण सर्किट से जोड़ कर सीता चरण को पर्यटन स्थल आधुनिक सुविधाओं सहित विकसित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–124 श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०

श्री जिवेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के दरभंगा/मिथिला क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को देखते हुए बुढनद नदी (सिंहवाड़ा) एवं बागमती नदी (केवटसा, मुजफ्फरपुर) से बाढ़ के दौरान होने वाले क्षति को रोकने हेतु किसानों को सिंचाई के साथ–साथ कृषि कार्य करने योग्य भूमि को कैनाल बनाकर खिरोई नदी से जोड़े।"

क्रमांक–125 श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के मधुबनी जिला अन्तर्गत मधुबनी–राजनगर– बाबूबरही–खुटौना रोड तक को स्टेट हाईवे के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक एफेयर की मंजूरी के साथ निर्माण कराने हेतु केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–126 श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स०

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखण्ड में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे।"

क्रमांक–127 श्री अतिरेक कुमार, स०वि०स०

श्री अतिरेक कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिरौल नगर पंचायत को नगर परिषद् का दर्जा दिलावे।"

क्रमांक–128 श्रीमती सावित्री देवी, स०वि०स०

श्रीमती सावित्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत बन्द पड़े तालिमी मरकज केन्द्रों को चालू करावे।"

क्रमांक–129 श्री माँशरीक मृणाल, स०वि०स०

श्री माँशरीक मृणाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत किशनपुर रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे गुमटी के अक्सर बन्द होने की वजह से लोगों के साथ सभी सवारियों को आवाजाही में हो रही कठिनाई के साथ जाम की स्थिति से निपटने के लिए जनहित में यहाँ रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–130 श्री राम चन्द्र प्रसाद, स०वि०स०

श्री राम चन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड हायाघाट एवं बहेड़ी में सात निश्चय–3 "उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य "योजना के तहत भूमि चिह्नित कर डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे।"

क्रमांक–131 श्री अरूण कुमार, स०वि०स०

श्री अरूण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत स्थित बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर मगधद्वार करावें।"

क्रमांक–132 श्रीमती संगीता कुमारी, स०वि०स०

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां विधानसभा के कुदरा प्रखंड अन्तर्गत फकराबाद एवं धटांव के बीच गुजर रहे दिल्ली–हावड़ा रेलवे लाइन पर अंडरपास या आर.ओ.बी. बनाने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–133 श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता, स०वि०स०

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला–पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत चारों प्रखण्डों 1. सुगौली 2. रामगढ़वा 3. हरसिद्धि 4. रघुनाथपुर (नव प्रस्तावित प्रखण्ड) को मिलाकर सुगौली को एक नया अनुमण्डल का सृजन करावे।"

क्रमांक–136 श्री रामानन्द मंडल, स०वि०स०

श्री रामानन्द मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय नहीं है, वर्ष 2025 में राज्य के सभी प्रखण्डों में डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, उसमें भी सूर्यगढ़ा प्रखण्ड का नाम दर्ज नहीं है, सरकार सूर्यगढ़ा प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण करावे।"

क्रमांक–137 श्री नन्द किशोर राम, स०वि०स०

श्री नन्द किशोर राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत रामनगर प्रखंड आदिवासी (जनजातीय) बाहुल्य क्षेत्रों के केंद्र में है, आस–पास के क्षेत्रों का अनुमंडल से दूरी को ध्यान में रखते हुए जनहित में रामनगर को अनुमंडल बनावे।"

क्रमांक–138 श्री देवेशकान्त सिंह, स०वि०स०

श्री देवेशकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सिवान जिला अन्तर्गत प्रखंड महाराजगंज, भगवानपुर, गोरेयाकोठी, लकड़ी नवीगंज, बसंतपुर एवं दरौंदा को मिलाकर 1–अप्रैल 1991 में गठित महाराजगंज अनुमंडल को जिला बनावे।"

क्रमांक–139 श्री बैद्यनाथ प्रसाद, स०वि०स०

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी के रीगा रेलवे फाटक पर उपरि पार पथ ROB बनाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–140 श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा विधान सभा के डाकबंगला चौराहा से बेगूसराय के बरौनी जीरो माइल तक ग्रीनफील्ड, फोरलेन सड़क बनवाने से नौ लाख की आबादी के साथ–साथ रोसड़ा, रामनगर एन.एच. एवं पटना– पूर्णिया एक्सप्रेसवे से सीधा सम्पर्क ग्रीनफील्ड सड़क से हो जाने से दरभंगा एम्स या एयरपोर्ट का सीधा सम्पर्क हेतु डाकबंगला चौराहा से बेगुसराय के बरौनी जीरो माइल तक ग्रीनफील्ड, फोरलेन सड़क बनवाने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (केन्द्र सरकार) से सिफारिश करावे।"

क्रमांक–141 श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित गंगा–नारायणी हाई स्पीड कॉरिडोर के मध्य गोपालगंज जिला अन्तर्गत बरौली प्रखंड के सलेमपुर घाट एवं पूर्वी चम्पारण जिला के गोविन्दगंज के बीच गंडक नदी पर पुल का निर्माण करावे।"

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–60 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही वृहस्पतिवार, दिनांक–26 फरवरी, 2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।